राजस्थान विधान सभा

११ वीं बैठक, बुधवार, दिनांक--१२ अक्टूबर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-३७ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—श्री किशनलाल शाह, प्रश्न संख्या ३२८.

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—आप फरमायें तो जवाब दे दूं ।

श्री अध्यक्ष—जैसी आपकी मर्जी ।

प्रश्न संख्या ३२९

सन् १९५३ से ५५ में पांचोता, मीठडी, जीलिया, खखड़की त०नांवां में हुई चोरियां

(प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में उत्तर दिया गया)

श्री किशनलाल शाह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) १९५३-५४. व ५४-५५ में पांचोता, मीठड़ी, जिलिया, खालडकी त०नांवां में कितनी चोरियां हुई और उन चोरियों के सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

(ख) उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप कौन कौन सी चोरी बरामद हुई ?

(ग) उक्त चोरियों में कितने कितने रुपयों का माल चोरी गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) ९ चोरियां हुई ।

(ख) इन चोरियों को बरामद करने का प्रयत्न किया गया किन्तु पुलिस द्वारा दो चोरियां ही बरामद की गई ।

(ग) २७ हजार ५१ रु. का माल ।

Page No.2

श्री खेतसिंह—चोरियों की कम बरामदगी का कारण क्या वहां के एस० एच० ओ० इन-एफीशियेन्ट हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—कम जरूर हुई हैं किन्तु एस० एच० ओ० इनएफीशियेन्ट नहीं हैं ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जितनी चोरियां हुई उनमें माल कितने का बरामद हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—९,४१८ रुपये का ।

श्री खेतसिंह—जब कि सरकार के पास सूचना है कि वहां ६ चोरिया हुई और उनमें से सिर्फ दो ही बरामद हुई तो सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—इनमें से तीन अदम बकुआ हैं और दो का पता लग चुका है; बाकी चार की तफतीश हो रही है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कितने रुपये का माल बरामद हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—६,४१८ रुपये का ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—चोरी में कितनी कीमत का माल गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—२७ हजार ५१ रुपये का ।

श्री खेतसिंह—क्या माननीय मन्त्री इस बरामदगी को सन्तोषजनक समझते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं ।

श्री खेतसिंह—तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये एक्शन लिया जा रहा है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पुलिस के विरुद्ध या चोरों के विरुद्ध ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसको इम्प्रूव करने के लिये ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—चोरियों को इम्प्रूव करने के लिये या पुलिस को इम्प्रूव करने के लिए ?

श्री रामकिशोर व्यास—चोरियों की बरामदगी ज्यादा हो, चालान ज्यादा हों; इनको ठीक करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ३३०

इस वर्ष धौलपुर सब डिवीजन में हुए अग्निकांड की घटनायें

श्री हंसराज जटिया—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) धौलपुर सब डिवीजन में इस वर्ष कितने गांवों में आग लग जाने के कारण जनता के लोगों की हानि हुई है और उसमें सरकार की ओर से अग्नि पीड़ितों को क्या सहायता दी गई है?

(ख) क्या यह सत्य है कि ग्राम चिलाखूर, तहसील बसेडी धौलपुर सब डिवीजन में पूरे घर हरिजनों (चमारों) के अग्निकांड होने के कारण भस्म हो गये? उनके लिये सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई है?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) धौलपुर सब डिवीजन के ८ ग्रामों में आग लगी जिसमें ११३ परिवारों को हानि पहुंची है। सरकार की ओर से १५८६ रू० सहायता के रूप में इन लोगों को बांटे जा चुके हैं। ३३४ रू० की स्वीकृति और दी जा चुकी हैं।

(ख) ग्राम चिलापुर में अग्निकांड के कारण ४७ परिवारों को जिनमें विशेषकर हरिजन व चमार थे नुकसान हुआ। ५८३ रू० की सरकार से साहयता दी गई तथा रवी सं २०११ की फसल की पूरी जमा ४४३ रू० १० आ० माफ कर दिये गये हैं।

श्री हंसराज जटिया—क्या सरकार मकान बनाने के पत्थर की रॉयल्टी से भी इन लोगों को मुक्त करेगी?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से सवाल है।

श्री खेतसिंह—सरकार जब इनको मदद देती है तो क्या इस बात का पता लगाती है क्या कि किस वजह से आग लगी?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर मालूम हो सकता है तो वजह का भी पता लगाते हैं।

रावल श्री शम्भूसिंह—हरिजनों के मकानों में आग लगने के कई प्रश्न आ गये तो क्या इसके पीछे कोई संगठित षडयंत्र चल रहा है?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप ज्यादा जानते हैं इस बारे में।

श्री हंसराज जटिया—चिलाखुर के अलावा किन किन गांवों में आग लगी है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से सवाल है ।

प्रश्न संख्या ३३१

सिरोही नगर पालिका द्वारा पानी की दरें निश्चित करना और इस सम्बन्धी शासकीय योजना

श्री जवानसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सिरोही नगरपालिका ने पानी की दर कितनी और कब से नियत करके सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजी है ? अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(ख) क्या जल की आवश्यकता को पूरी करने के लिये सीबेरा से जल पहुंचाने बाबत कोई बड़ी स्कीम सरकार के विचाराधीन हैं ? अगर हां, तो वह कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) सिरोही म्यू० बोर्ड द्वारा पानी की दरों के नियम जिसमें पानी की दर १।) रुपया प्रति हजार गैलन निर्धारित की गई है, निर्देशक, स्थानीय निकाय, जयपुर के कार्यालय से स्वायत शासन विभाग में ता० १७.५.५५ को प्राप्त हुये थे । ये नियम दिनांक १६.८.५५ को सुपरिन्टेन्डिंग एन्जीनियर, स्वास्थ्य, जयपुर को प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में उनकी सम्मति जानने के लिये भेजे गये । उनका उत्तर २३. ८. ५५ को आ गया है और सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) सिरोही नगर के लिये एक जल-वितरण योजना बम्बई के इन्जीनियर श्री वाडिया द्वारा तैयार की गई थी जिसमें सीबेरा नाम के जलाशय से सिरोही नगर में पानी पहुंचाने का समावेश किया गया है । यह योजना भूतपूर्व सिरोही राज्य के समय में तैयार की गई थी । सिरोही नगर की मौजूदा Skeleton स्कीम को विस्तृत करने के लिये २।। लाख की स्कीम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रक्खी गई है ।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता

श्री जवानसिंह—सरकार स्कीम को मन्जूर करने में क्या अब कोई परेशानी महसूस कर रही है ?

श्री बद्री प्रसाद—एक्सपर्ट की एडवाइज़ में डिफरेन्स था, इसलिये इस डिफरेन्स को मिटाने की कोशिश की जा रही है । म्यूनिसिपेलिटी को दुबारा लिखा गया है । उनका उत्तर आने पर सारे मामले पर फिर विचार किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता

प्रश्न संख्या ३३२

जिला सवाई माधोपुर के आर्म ट्रेन्ड कर्मचारियों को आर्मर अलाउन्स

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको आर्म ट्रेन्ड होते हुये भी आर्मर अलाउन्स नहीं दिया जाता है ?

(ख) उक्त डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कितने अनट्रेन्ड कर्मचारी हैं जिनको आर्मर अलाउन्स दिया जाता है !

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जिला सवाई माधोपुर में केवल एक कॉन्सटेबिल ऐसा है जिसे आर्मर ट्रेन्ड होते हुए भी आर्मर अलाउन्स नहीं मिलता।

(ख) एक अन्ट्रेन्ड कान्सटेबिल आर्मर अलाउन्स पा रहा है।

श्री श्रीदास गोयल—जो आदमी ट्रेन्ड है उसको अलाउन्स न देने की क्या वजह है ?

श्री रामकिशोर व्यास—वहां की स्ट्रेन्थ केवल एक हैड कॉन्सटेबल की है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—फिर दो रखने की क्या जरूरत समझी गई।

श्री रामकिशोर व्यास—यह कोई जरूरी नहीं कि दूसरा क्यों न रक्खा जाय।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—पर अगर आप डिफरेन्स इनमें करेंगे कि एक को तो आपने अलाउन्स दे दिया और दूसरे को वही योग्यता रखते हुए भी अलाउन्स नहीं देते तो यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास—हरेक डिस्ट्रिक्ट को उसकी आवश्यकता के हिसाब से स्ट्रेन्थ होती है और उसी के हिसाब से वहां रक्खे जाते हैं। जैसे मान लीजिये कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में ५० आदमी हैं और इतनी ही उनकी स्ट्रेन्थ है और ट्रेन्ड आदमी पचास से ज्यादा हैं तो अलाउन्स तो उन पचास को ही मिलेगा जितनी कि स्ट्रेन्थ मन्जूर हुई है।

श्री चांदमल मेहता—पर जो अनट्रेन्ड हैं उसको आर्म अलाउन्स दिये जाने का क्या कारण है !

श्री रामकिशोर व्यास—वह हैड कॉन्सटेबल है, उसकी जगह दूसरा आदमी भेज रहे हैं।

प्रश्न संख्या ३३३

तहसील बाड़ी (धौलपुर) के किले के द्वारा के सम्मुख चबूतरे पर गांधी ग्राउन्ड

श्री हंसराज जटिया—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार तहसील बाडी धौलपुर सब डिविजन में किले के दरवाजे के सामने जो चबूतरा है उस चबूतरे पर गांधी ग्राउन्ड बनाने में प्रयत्नशील होगी क्योंकि वहां सार्वजनिक मीटिंग आदि करने के लिये एक मात्र वही स्थान है तथा वहां की जनता के मनोरंजन के लिये सर्व साधारण को अन्य कोई स्थान नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बाड़ी तहसील धौलपुर सब डिविजन में किले के सामने जो चबूतरा है उस पर गांधी ग्राउन्ड बनाने के लिये नगरपालिका अभी तैयार नहीं है। वह यहां पार्क बनाना चाहती है।

प्रश्न संख्या ३३४

चम्बल योजना के अन्तर्गत कृषि निमित्त विद्युत वितरित करने की दर सम्बन्धी योजना शासकीय

(प्रश्नकर्त्ता श्री नारायण चतुर्वेदी की अनुपस्थिति में श्री कंवरलाल जेलिया ने प्रश्न किया)

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चम्बल योजना के अन्तर्गत कृषि के निमित्त बिजली वितरित करने की दर के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

(ख) उन क्षेत्रों के लिये जिनमें चम्बल की बिजली मिलने में देर होगी, क्या रियायती दर पर बिजली देने पर सरकार विचार करेगी ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—(क) अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है।

(ख) नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने सर्वे कराने का कोई इरादा नहीं किया है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—इसमें सर्वे का क्या सवाल पैदा होता है। (हंसी) बिजली की योजना है और सर्वे का सवाल, समझ में नहीं आया।

Page No.7

श्री कंवरलाल जेलिया—आप किस परिवर्तित रूप में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्तमान बिजली की दरों को रखना चाहते हैं ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—मैं समझा नहीं, फिर दुबारा सवाल करिये ।

(हंसी)

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या राजस्थान सरकार चम्बल योजना से सम्बन्धित बिजली का सर्वे कराने का इरादा रखती है और वह इसलिये कि प्रस्तावित द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दूसरी योजना जनता के सामने रखनी है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन–वह सर्वे हो चुकी ।

श्री कंवरलाल जेलिया—आपने पहले तो कहा कि आवश्यकता नहीं, सवाल पैदा नहीं होता और अब कहते हैं कि सर्वे हो चुका तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह विपरीतता कैसे है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन–मैंने पूछा था कि सर्वे का एक्सप्लेनेशन तो करिये । अब जब कि आपने एक्सप्लेनेशन कर दिया तो मैंने कह दिया कि हो चुका ।

श्री कंवरलाल जेलिया—अब अनुमानित व्यय बिजली देने का किस आधार पर मानते हैं ?

शाह श्री अलीमुद्दीन–यह क्वेश्चन बिलकुल अलग है । इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है । इसके सप्लीमेन्टरी तो इसके मुतल्लिक ही होने चाहिये ।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान सरकार को जनता में यह प्रचार करना होगा कि राजस्थान की सरकार किस कार्य में किस भाव से इस बिजली को देना चाहती है ?

(घंटी)

प्रश्न संख्या ३३५

श्री अध्यक्ष—श्री तेजपाल ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता ।

Page No.8

प्रश्न संख्या ३३६

राजस्थान के विभिन्न जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: राजस्थान में किन किन जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव किये जा चुके हैं ?

श्री बद्री प्रसाद्—ग्राम पंचायतों के चुनाव अभी सब जगह हुए नहीं हैं इसलिए जिला बोर्डों के चुनाव नहीं हो रहे हैं।

श्री भैंरू सिंह—जिस जगह पंचायतों के चुनाव हो चुके वहां जिला बोर्डों का चुनाव क्यों नहीं हुआ ?

श्री बद्री प्रसाद्-डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहने चाहिये या नहीं, इस पर मथाई कमीशन की रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है और इसलिये छः महीनों के लिए इनको एक्सटेन्ड किया गया है। इसलिये ये सब बातें तै होने पर चुनाव का काम शुरु किया जा सकेगा।

श्री भैंरू सिंह (१६)—क्या ऐसी भी दरख्वास्तें सरकार के पास आई हैं कि वर्तमान डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को समाप्त किया जाकर वहां एडहॉक अरेन्जमेन्ट किया जावे।

श्री बद्रीप्रसाद्—ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरूसिंह (१६)—क्या इस बात की जांच भी की है कि सीकर जिला बोर्ड के बारे में जो शिकायतें की गई हैं वे सही हैं।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—That is the subject-matter of a separate question. There is a separate question tabled by a member. That will come.

(विराम)

श्री धर्मचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री जवान सिंह—In public interest...

श्री अध्यक्ष—Public interest is the concern of the Minister concerned. If he wants to reply in public interest, I have no objection. Otherwise I pass on to the next question.

श्री जवान सिंह—He is prepared to reply.

(घन्टी)

प्रश्न संख्या ३३७

[प्रश्नकर्ता श्री धर्मचन्द के अनुपस्थित रहने पर श्री जवानसिंह ने श्री अध्यक्ष से सार्वजनिक हित में इसका जवाब देने के लिए प्रार्थना की]

करौली शहर में २६ जुलाई को एक हरिजन बालिका के साथ हुए बलात्कार की जांच

श्री धर्मचन्द—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि करौली शहर में २६ जुलाई को एक हरिजन लड़की से बलात्कार किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो जिस व्यक्ति का नाम लड़की द्वारा बताया गया है उसका नाम क्या है ?

(ग) क्या यह सही है कि शहर कोतवाल ने इस घटना को रिपोर्ट दर्ज नहीं की और जनता द्वारा सी. आई. के मकान पर जाने पर सी. आई. ने रिपोर्ट स्वयं कोतवाली पर जाकर दर्ज कराई !

(घ) क्या उक्त सी. आई. का तबादला करौली से कर दिया गया है ! यदि हां, तो किस कारण से ?

(ङ) सरकार ने उक्त कोतवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न करने पर कोई उचित कार्यवाही की ?

(च) यदि हां, तो क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो सदन की इच्छा पर निर्भर है ।

श्री हिम्मतसिंह—पढ़ दीजिये तो फिर ।

एक माननीय सदस्य—सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—Order-!

श्री राम किशोर व्यास—सुन लीजिये तो फिर।

श्री हिम्मतसिंह—फरमाइये ।

श्री रामकिशोर व्यास...(क) जी हां। करौली में श्रीमती गंगाबाई, स्त्री, मूलचन्द चमार बासी वीरवास के साथ २६ जुलाई, ५५ को बलात्कार होने की थाना करौली में रिपोर्ट हुई है।

(ख) लड़की ने अपराधी का नाम नहीं बताया। पर चन्द्रभान पुत्र महबर के अपराधी होने का संकेत किया।

(ग) जी हां, सही है ।

कोतवाल ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और सर्किल इन्सपेक्टर ने दर्ज कराई।

(घ) जी हां। यह तबादला किसी और आधार पर किया गया है इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

(ङ) जी हां, कार्यवाही की जा रही है।

(च) इन्क्वायरी की आज्ञा दे दी गई है।

श्री भैरूसिंह (१६)—उक्त थानेदार के खिलाफ कार्यवाही किस दिन से जारी की गई है।

श्री रामकिशोर व्यास—तारीख तो निवेदन नहीं कर सकता पर यह कह सकता हूं कि इन्क्वायरी का आर्डर दे दिया गया है।

श्री धर्मचन्द—थानेदार ने रिपोर्ट करने के बावजूद रिपोर्ट लिखी नहीं, क्या यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह तो बतलाया है न, जवाब में आ गया है।

श्री खेतसिंह—कोतवाल ने रिपोर्ट नहीं की तो क्या कार्यवाही की गई उसके खिलाफ!

Page No.11

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर आ गया है। परहैप्स दी मेम्बर वाज नोट एलर्ट।

श्री भैंरुसिंह—सर्कल इन्सपेक्टर के तबादले करने का क्या कारण है।

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब भी माननीय मन्त्री महोदय दे चुके हैं।

श्री भैंरोंसिंह—वाकये को कितने दिन बाद दर्ज किया गया है।

श्री रामकिशोर व्यास—उसी रोज।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—यह तबादला तरक्की के साथ किया गया या तनज्जुली के साथ किया गया।

श्री रामकिशोर व्यास—इसका जवाब दे चुका हूं।

प्रश्न संख्या ३३८

किशनगढ़ सब डिविजन के, इस वर्ष वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व नहरें बन्द करने से, तालाब न भरना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ सब डिविजन के किन किन तालाबों की नहरों को अब के वारिश शुरु होने के पहिले बन्द नहीं करने की वजह से तालाबों में पानी ठहर नहीं सका ?

(२) उक्त तालाबों में किस २ तालाब पर कितने कितने पानी का नुकसान हुआ है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मन्त्री)—(१) किशनगढ़ सब डिविजन के सब तालाबों की वारिश शुरु होने के पहले ही मोरियां बन्द करवा दी गई थीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह पूछता हूं कि कौन सी बन्द नहीं कराई गई थी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने उत्तर दिया कि सब को बन्द कर दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरगांव के तालाब, डीडवान के तालाब और फतहगढ के विजयसागर की मोरियां बन्द नहीं कराई गई थीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने जवाब साफ दिया है कि सब को बन्द करवा दिया गया था इस पर भी माननीय सदस्य महोदय कोई खास बात बतावेंगे तो उसकी एन्क्वायरी की जावेगी

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो जवाब दिया गया है वह बिना जानकारी के दिया गया है ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री शिवदानसिंह—क्या यह सही है कि वह तालाब खाली पड़े हुए हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा—जी नहीं।

श्री खेतसिंह—अब यह मोरियां कब खुल जायंगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जब कि यह सिंचाई का कार्य शुरू होगा।

श्री अध्यक्ष—श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या ३३९

रीयां बड़ी, तहसील मेड़ता, में म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :
(क) क्या रीयां बड़ी, तहसील मेड़ता, की आबादी ५००० की है ?

(ख) अगर हां, तो यहां म्युनिसिपल बोर्ड क्यों नहीं कायम किया जा रहा है ?

(ग) क्या इस आबादी के ११ बड़े गांव, जाटों की आबादी में मिलाने का यह मकसद है कि इस गांव में बहुमत से सरपंच नहीं आवें ?

(घ) क्या यहां के पंचों की संख्या कम करके सिर्फ पांच ही रखी गई है ?

(ङ) क्या इसमें एक वार्ड २०० घर का है, एक वार्ड ४० घर का और एक वार्ड सिर्फ २५ घर का है ?

(च) अगर हां, तो इस अनियमितता को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) –(क) जी नहीं। १६५१ की जनगणना के आधार पर जन-संख्या ४०२० है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) नहीं।

(घ) नहीं। पंचों की संख्या १४ है। ७ पंच उसी गांव के हैं और ७ अन्य गांवों से।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री भोपालसिंह—इस पंचायत की कुल आबादी कितनी है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कुल आबादी ७६६५ बताई है।

श्री भोपालसिंह—सरकार को इतना बड़ा सरकिल बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–आवश्नकता के अनुसार आसपास के गांवों को मिलाकर बनाये जाते हैं।

श्री भोपालसिंह—जड़ाऊ खुर्द जो गांव इसमें रखा गया है उसकी क्या आबादी २० घरों की नहीं है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यहां की जन संख्या ३३७५ और बाकी के गांवों की है। ७ पंच इस गांव के और ७ पंच दूसरे गांवों के हैं।

श्री भोपालसिंह—क्या जड़ाऊ खुर्द को जो इस सरकिल में रखा गया है उसकी आबादी २०-२५ घरों की नहीं है? मैं जड़ाऊ खुर्द की आबादी पूछना चाहता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भोपालसिंह—क्या तीसरे नम्बर के वार्ड (सरकिल) की आबादी ४० घरों की नहीं है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा है, 'जी नहीं'

श्री भोपालसिंह—उसकी आबादी क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि डिटेल गांवों का मुझे पता नहीं है, लेकिन वार्ड का मैं जवाब दे चुका हूँ।

श्री भोपालसिंह—वार्ड की आबादी के लिये कहा गया है कि एक वार्ड २०० घरों का है, एक वार्ड ४० घरों का है और एक वार्ड २५ घरों का है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसका जवाब मैंने पहले दिया कि जी नहीं।

श्री भोपालसिंह—आप कह रहे हैं कि 'जी नहीं' और मैं कह रहा हूँ कि क्या चार नम्बर के वार्ड की आबादी २०० घरों की नहीं है, तीन नम्बर के वार्ड की आबादी ४० घरों की नहीं है और जड़ाऊ खुर्द की आबादी २०, २५ घरों की नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने जो जानकारी दी है उसके आधार पर मैं दुबारा जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री भैंरूसिंह (१६)—किस पंचायत क्षेत्र में किस वार्ड में सबसे कम घरों की आबादी है और किस वार्ड में सबसे ज्यादा घरों की आबादी है, यह बताया जाय।

श्री बद्रीप्रसादगुप्ता—जो प्रश्न था उसका जवाब दे दिया गया। यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री खेतसिंह—जब कि एक गांव में पंचायत कायम हो सकती है तो फिर तीन गांवों को मिलाने की क्यों आवश्यकता हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आवश्यकता के अनुसार ही आसपास के गांवों को मिलाकर पंचायत कायम की जाती है, यहां भी उन गांवों को मिलाकर पंचायत कायम की गई है।

श्री भैंरूसिंह (१६)—जब कि एक गांव में ४ हजार की आबादी है तो क्या उसको पंचायत क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है ? अगर उपयुक्त समझा जाता है तो फिर दूसरे गांवों को शामिल करने की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि यह बात होगी कि आसपास के गांवों को कहां मिला मिलाया जाय, इसलिये शायद दिक्कत पैदा हुई होगी। इसलिए आसपास के गांवों को इसमें शामिल किया गया। दुबारा जानकारी करके आपको बता सकता हूँ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या ऐसे पंचायत क्षेत्र भी हैं कि जिनमें चार हजार से भी कम की आबादी भी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह प्रश्न अलग से है।

श्री जसवन्तसिंह—अगर आप जानकारी करेंगे तो 50 परसेन्ट से ऊंची ऐसी ही पंचायतें मिलेंगी जिनमें चार हजार से कुछ कम आबादी है, तो फिर यहां यह फर्क करने की क्या जरूरत है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक गांव में जहां ५००० की आबादी है उसमें पंचायत मौजूद है, और आम तौर पर यह नियम रखा गया है कि ५००० की आबादी होनी चाहिये। लेकिन ३,४ हजार का कोई गांव आसपास हो जिसकी आबादी दूसरी जगह नहीं मिलाई जा सकती है तो उस गांव में मिलाने की जरूरत हो जाती है। मैं और भी जानकारी प्राप्त करूंगा कि ऐसा क्यों किया गया है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या माननीय मंत्रीजी बतलायेंगे कि जितने वार्ड हैं वे सब बराबर हैं या छोटे बड़े भी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वार्ड्स के डिविमीटेशन आबादी के हिसाब से नहीं होते हैं, इसलिए आम तौर से छोटे बड़े हो जाते हैं। वार्ड्स रास्तों से डिमार्केट करते हैं, मकानों के लिहाज से डिमार्केट नहीं किये जाते हैं।

श्री भैरूसिंह (१६)—इस पंचायत क्षेत्र में सरपंच कौन है, उसका क्या नाम है और किस जाति का है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यहां के सरपंच हैं श्री गनपतसिंह।

श्री जसवन्तसिंह—क्या वार्ड के बनाने में एक पंचायत क्षेत्र में इतना फर्क हो सकता है कि किसी वार्ड में २०-२५ घर हों और किसी में २० घर भी हों। इतना फर्क रखने में क्यों आता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रहना तो नहीं चाहिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी कृपा करके जानकारी करके इस सदन के सामने एक स्टेटमेंट देने को तैयार हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उसके बारे में मैं और जानकारी करूंगा, लेकिन आबादी के लिहाज से वार्ड बने हुए नहीं हैं। वहर्ड एक गांव होता है यह उनको २,३ बनाने पड़ते हैं। तो उनको

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

डिमार्केट करते हैं रास्तों के लिहाज़ से। मकानों के लिहाज़ से डिमार्केट नहीं करते हैं, इसलिये थोड़ी बहुत कमी-बेशी के हो जाने की संभावना है। इसकी पूरी जानकारी मैं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—The gist of the question is whether population is also one of the criteria or not.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पोपुलेशन तो होता ही है, लेकिन डिमार्केट करने में रास्ते चाहिये। उसमें कुछ मकान इधर कम आ जाते हैं और कुछ मकान उधर ज्यादा आ जाते हैं।

श्री तेनसिंह—तो क्या इससे आबादी का रेश्यो चौगुना या पांच गुना हो जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह जांच होने पर, यह मालूम होने पर कि २०० और २५ घरों का अन्तर होने पर वार्ड ठीक नहीं है; तो इसके बाद क्या चुनाव रद्द कर दिये जायेंगे ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—इसके ऊपर विचार किया जा सकता है, कोई ठीक जानकारी दी गई तो।

श्री जसवन्त सिंह—मैंने एक स्टेटमेंट देने की कृपा करने के लिये निवेदन किया था उसका जवाब नहीं मिला। अगर जानकारी करने के बाद वास्तविकता मालूम हो क्या माननीय मंत्रीजी सदन के सामने एक स्टेटमेंट देने को तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यदि आबादी के लिहाज से चुनाव दुबारा किये जायेंगे तो चुनाव होना मुश्किल है। केवल कुछ छोटी मोटी खास बात हुई है तो उसको दूर किया जा सकता है।

श्री भोपालसिंह—जड़ाऊ खुर्द में नहीं मिला कर जड़ाऊ कलां में मिलाने को क्यों आवश्यकता हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है, मैं मालूम करके कह सकूंगा।

प्रश्न संख्या ३४०

सन् १९५४-५५ में विभिन्न नगरपालिकाओं को विभिन्न कार्यों के लिए शासकीय सहायता

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री चांदमल मेहता]

(१) सन् ५४—५५ के वर्ष में किस २ म्युनिसिपेलिटी को किस २ काम के लिए कितने २ रुपये सरकार द्वारा लोन के रूप में दिये गये ?

(२) किशनगढ़ म्युनिसिपेलिटी की लोन चाहने की मांग कितने वर्षों से पेन्डिंग है।

(३) उक्त म्युनिसिपेलिटी को लोन नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) म्युनिसिपेलिटियों को निम्न प्रकार से सरकार द्वारा लोन दिया गया :

बोर्ड का नाम	कार्य	स्वीकृत धन
कुचामन	स्वास्थ्य के कामों के लिये	४२००
चिड़ावा	चुनाव के लिये	८००
जोधपुर	वेतन वितरण हेतु	४०००००
जयपुर	वेतन वितरण हेतु	३५००००
बेंगू	दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए	६०००
गंगानगर	जल योजना के लिए	३०००००
नाथद्वारा	वेतन वितरण के लिए	५०००
तारानगर	वेतन वितरण के लिए	२०००
नगर	वेतन वितरण के लिए	६०००
उदयपुर	जल योजना के लिए	३०००००
सुजानगढ़	बकाया वेतन के चुकाने के लिए	४५००
टोंक	जल योजना के लिए	६५०००
अलवर	जल योजना के लिए	२०००००
डीग	बजट पूर्ति के लिए	६०००
बालोतरा	जल योजना के लिए	६१०००
भरतपुर	जल योजना के लिए	२०००००
बाड़मेर	विद्युत योजना के लिए	७५०००
जयपुर	सीवेज़ के लिए	५०००००

इस प्रकार कुल २४९५५०० रू० का कर्जा दिया गया।

(२) किशनगढ़ नगरपालिका की ऋण की कोई भी मांग अब पेंडिंग नहीं है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

जल योजना के सम्बन्ध में इस नगरपालिका की मांग सरकार के विचाराधीन थी जिसके प्रति भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जल तथा स्वास्थ्य योजना के आधीनस्थ २,४६,०००) रू० का ऋण इस वर्ष में स्वीकृत कर दिया गया है। शेष द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किया जावेगा ।

(३) प्रश्न सं० (२) के उत्तर को देखते हुए ऋण नहीं देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि जिस योजना के बारे में चर्चा की गई है उसके लिए भी किशनगढ़ नगरपालिका ने पांच लाख का लोन दिये जाने की मांग की थी और वह मामला तीन साल से सरकार के पास पेंडिंग हैं ।

श्री **बद्रप्रसाद गुप्ता** (स्वायत शासन मंत्री)—इस समय कोई मांग पेन्डिग नहीं है। उनको सबका जवाब दे दिया है ।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या ५ लाख रूपयों की टाउन इम्प्रूवमेन्ट के लिये किशनगढ़ नगरपालिका ने मांग की थी, उसको ठुकरा दिया; इसलिये उनको नहीं दिया ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—जी हां।

श्री **चांदमल मेहता**—इस मांग को ठुकराये जाने का क्या कारण है और कब ठुकराई गई ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—तारीख तो मेरे पास इस समय नहीं है। उन्होंने ५ लाख रूपयों की मांग टाउन इम्प्रूवमेन्ट के लिये की थी। राजस्थान में एक किशनगढ़ ही नहीं है। जहां टाउन इम्प्रूवमेन्ट की जरूरत हो और भी म्युनिसिपेलिटीज़ मांगने लगे तो सरकार कहां तक दे सकती है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसा सर्कूलर निकाला था कि फलां फलां काम के लिये यदि नगरपालिकाएं चाहें तो लोन के लिये एप्लाई कर सकती है और उसी के अनुसार एप्लाई किया गया है फिर इस मांग को ठुकराने का क्या कारण है ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—किशनगढ़ नगरपालिका की जो स्कीम वाटर सप्लाई के बारे में थी उसको स्वीकार किया गया क्यों कि वह जो आवश्यक समझी गई। और जितनी भी डिमान्ड्स हैं उन सब को मीट करना तो मुश्किल है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि जो ५ लाख रुपयों की मांग किशनगढ़ नगरपालिका को नहीं दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अगर सूचना नहीं दी गई है तो अब दे दी जायगी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछले अधिवेशन में इसी सदन में यह आश्वासन दिया गया था मंत्री महोदय द्वारा कि ५ लाख रूपये लोन देने का मामला जल्दी ही विचाराधीन है और आशा है कि जल्दी हो स्वीकृत हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने यह कहा था कि पानी सप्लाई की स्कीम को स्वीकार कर लिया गया है और रूपये भी दे दिये गये हैं ।

श्री चांदमल मेहता—मेरा सवाल पानी के लिये नहीं है । पिछले अधिवेशन में टाउन इम्प्रूवमेन्ट के लिये ५ लाख रूपये देने का आश्वासन दिया था फिर भी इसको स्वीकार नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस प्रकार का आश्वासन देना मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री मंडल के बदल जाने के बाद आश्वासन भी तब्दील हो जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—Next Quetion.

प्रश्न संख्या ३४१

जयपुर पावर हाउस से पावर लेने वाले पम्पिङ्ग सेट्स

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जयपुर पावर हाउस से पावर लेने वाले कितने निजी पम्पिंग सेट हैं ?

(ख) यह पम्पिंग सेट किन किन के नाम से हैं ?

शाह श्री अलीमुद्दीन (उप मन्त्री)—(क) जयपुर पावर हाउस से बिजली लेने वाले ३१८ निजि पम्पिंग सेट हैं ।

(ख) संलग्न लिस्ट में दर्ज कि किस किस को दिये गये हैं ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इस लिस्ट की एक कोपी हमें मिल सकेगी ?

Page No.20

श्री अध्यक्ष—Next Question

प्रश्न संख्या ३४२

कच्ची व पक्की सड़कों पर चलने वाली मोटर बसों की दरें

श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल—क्या यातायात मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कच्ची तथा पक्की सड़कों पर चलने वाली मोटर बसों की फीस अलग अलग है ?

(ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या सरकार कच्ची सड़कों पर चलने वाली बसों की रेट में कमी करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री रामनिवास मिर्धा (यातायात मन्त्री)—(क) कच्ची पक्की सड़कों के लिए मोटर का टैक्स एक ही है।

(ख) इसकी आवश्यकता नहीं है।

(ग) नहीं। क्योंकि उनके किराये की रेट ज्यादा है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या कच्ची और पक्की सड़कों के किराये की रेट भिन्न भिन्न है ?

श्री अध्यक्ष—अभी बतलाया था, आपने सुना नहीं क्या ?

श्री श्रीदास गोयल—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कच्ची सड़कों पर मोटर बसेज़ चलती हैं तो उनकी रेट में और पक्की सड़कों पर मोटर बसेज़ चलती हैं उनमें कोई फर्क है, इस बारे में सरकार ने पता लगाया या नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—मैंने अभी कहा था कि कच्ची सड़कों पर चलने वाली बसेज़ और पक्की सड़कों पर चलने वाली बसेज़ की रेट्स में फर्क है।

श्री श्रीदास गोयल—जब रेट में फर्क है और कच्ची सड़कों पर चलने वाली मोटरें ज्यादा खराब होती हैं तो क्या कारण है कि कच्ची सड़कों पर चलने वाली और पक्की सड़कों पर चलने वाली बसेज़ से समान टैक्स सरकार लेती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—कच्ची सड़कों पर चलने वालों को ज्यादा किराया लेने का अधिकार दिया है इसलिये सरकार बराबर टैक्स लेती है।

Page No.21

प्रश्न संख्या ३४३

श्री अध्यक्ष—श्री धर्म चन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४४

सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत राजस्थान के पेय जल कुओं व नाडियों के लिये राजकीय अर्थ सहायता

श्री भैंरूसिंह (वि. नं. १३)— क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत राजसमन्द के पानी पीने के कुओं और नाडियों का काम इस कारण से बन्द है कि सरकार द्वारा दी जानेवाली रकम अब नहीं दी जा रही है ।

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—बजट की स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सब पानी पीने के कुओं व नाडियों का कार्य समाप्त हो चुका है । अतिरिक्त कार्यों के लिए पूरक मांग की स्वीकृति की कार्यवाही जारी है ।

एक माननीय सदस्य—प्रश्न साफ सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—Next Question.

प्रश्न संख्या ३४५

गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर में बिजली लगाने की योजना

श्री छंगाराम—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर में सरकार द्वारा बिजली लगाये जाने की योजना कब से विचाराधीन है ?

(ख) अभी तक इसके कार्यान्वित न होने के क्या कारण है ?

(ग) भविष्य में कब तक वहां बिजली पहुंचा दी जाने का सरकार का इरादा है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(क) वैसे तो गंगापुर में बिजली लगाये जाने का प्रश्न काफी समय से चल रहा है परन्तु जयपुर, दौसा, गंगापुर बिजली की लाइन लगाने की स्वीकृति फरवरी सन् १९५४ में प्राप्त हुई थी ।

[शाह श्री अलीमुद्दीन]

(ख) सामान आदि समय पर न मिलने के कारण यह लाइन अभी तक पूरी नहीं हो सकी है।

(ग) आशा की जाती है कि गंगापुर नगर की बिजली १६५६ ई० के अन्त तक अथवा १६५७ ई० के आरम्भ में मिल जावेगी।

श्री छंगाराम—क्या सरकार को खबर है कि गंगापुर में बिजली की लाइन लग गई है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—क्या फरमाया आपने ?

श्री छंगाराम—क्या सरकार को खबर है कि गंगापुर में बिजली की लाइन लग गई है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—जी हां, मंजूरी दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष—लाइन लग गई है or not ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—कुछ खंभे लग गये हैं।

श्री रामदयाल—तार कब लग जायेंगे ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—मेटिरियल नहीं मिला इसलिये नहीं लगे। खंभे मिल गये, इसलिये लग गये।

प्रश्न संख्या ३४६

सिरोही पॉवर हाउस को बंद करने सम्बन्धी

श्री जवानसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सिरोही पॉवर हाउस अगले महीने में बन्द करने बाबत सरकार को नोटिस दे दिया गया है ?

(ख) अगर हां, तो सरकार पॉवर हाउस को बन्द न होने देने के लिये क्या कदम ले रही है ?

(ग) क्या सरकार ने सिरोही पॉवर हाउस को ले लेने का फैसला कर दिया है ?

(घ) अगर हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

[श्री जवानसिंह]

(ङ) क्या सिरोही नगरपालिका ने भी कर्ज पर पॉवर हाउस लेने की सरकार से मांग की है ? अगर हां, तो सरकार ने उस पर क्या निश्चय किया है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(क) हां।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह सवाल नहीं पैदा होता।

(ङ) मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला इस बारे में नहीं किया है।

श्री जवानसिंह—जो नोटिस दिया गया है उसमें कौनसी आखिरी तारीख बताई गई है कि उस तारीख को पॉवर हाउस बंद कर दिया जायगा ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—२० अक्टोबर, १९५५.

श्री जवानसिंह—और अब कितने दिन बाकी रह जाते हैं उस तारीख के आने में। अगर सरकार ने उस दिन तक फैसला नहीं किया तो ऐसी सूरत में सिरोही में अंधेरा हो जायगा।

शाह श्री अलीमुद्दीन—आप खुद केल्कुलेट कर सकते हैं कि कितने दिन बाकी हैं।

श्री जवान सिंह—सरकार असमर्थ है ही केलकुलेट करने में, लेकिन सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे कि वहां अंधेरा न हो ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—बात यह है कि उनको बुलाया है बातचीत करने के लिये। ऐसे नोटिस उन्होंने कई बार दे दिये हैं और बाद में चालू भी कर दिया है। सरकार आशा करती है कि उनसे फैसला कर लेगी। इस पर भी यदि नहीं हुआ तो और तरीका काम में लाया जायगा। सरकार खुद इन्ट्रेस्टेड है और कार्यवाही कर रही है।

श्री जसवन्तसिंह—यदि उन्होंने फैसला नहीं किया तो क्या किया जायगा ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—बिजली जलती रहेगी।

श्री जवानसिंह—बजाय पार्टी में इन्ट्रेस्टेड होने के पब्लिक में इन्ट्रेस्टेड होने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—निगोशिएसन्स इसलिये किये जा रहे हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार आश्वासन देती है कि प्राइवेट पॉवर हाउस बंद हो गया तो सरकार अपने तौर पर चलाने के लिए कोई प्रबन्ध करेगी ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—सरकार ने ऐसा कोई डाइरेक्टिव नहीं दिया है ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अन्धेरे से चान्दना करने की क्या कोशिश की जा रही है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—जब अंधेरा हो जायगा तब प्रबन्ध किया जायगा।

(हियर हियर)

प्रश्न संख्या ३४७

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की प्रतियें जनता को देने की व्यवस्था करना

श्री मानसिंह महार—Will the Minister for Stationery & publications be pleased to state:--

(a) Has the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1954, been published in the officeal Gazette ?

(b) How many separate copies of the said Act were published by the Government Press, Jaipur, for the use of the public ?

(c)Is it a fect that copies of this Act are not available for the last four or five months in the Government Press and are out of print ?

(4) Will the Government issue immediate orders for the printing of more copies of the said Act ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मन्त्री, लेखन सामग्री एवं मुद्रण विभाग)—क्या किसी ने यह प्रश्न पूछा है ?

श्री अध्यक्ष----The question has been called.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस प्रश्न का उत्तर अभी तक मेरे पास आया नहीं है।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, जबाब सुनाई नहीं दिया।

Page No.25

श्री अध्यक्ष-इसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मानसिंह महार—तो मैं उत्तर की कब तक आशा करूं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसका उत्तर नेक्स्ट टर्न पर दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—Next question.

प्रश्न संख्या ३४८

जयपुर के आस-पास नहर आदि से सिंचाई के साधन की उपलब्धि

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार जयपुर के आस-पास या उस क्षेत्र में जहां नहर आदि से सिंचाई का कोई साधन नहीं है कोई सिंचाई साधन उपलब्ध करने पर विचार कर रही है ?

(ख) क्या सरकार उस योजना के विषय में विचार कर सकती है जो उत्तर प्रदेश में स्थान स्थान पर ट्यूब वेल लगाकर कार्यान्वित की गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) कृषि विभाग की ओर से जहां सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है वहां नये कूए खुदवाने व पुराने कुओं की मरम्मत के लिये तथा पम्पिंग सेट व परशियन वील्स के लिये तकावी ऋण दिया जाता है।

(ख) अगली पंचवर्षीय योजना में ३५ लाख रुपये ट्यूब वैल लगाने की योजना के लिये मंजूर हुए हैं। वे प्रयोग के तौर पर परीक्षित किये जायेंगे तथा जहां प्रयोग में सफलता मिलेगी वहां ट्यूब वैल बनवाये जायेंगे।

श्री संतोषसिंह कछवाहा-पम्पिंग सेट के लिये ज्यादा से ज्यादा कितनी तकावी मिलती है?

श्री रामनिवास मिर्धा—जितना उसकी कीमत होती है उससे आधी रकम सरकार तकावी के तौर पर देती है

श्री खेतसिंह – ट्यूब वेल लगाने का प्रयत्न हर तहसील में किया जायगा या नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा – सर्वे होने के बाद जो स्थान उपयुक्त होगा वहां लगाये जायेंगे।

एक माननीय सदस्य – शेरगढ़ में भी लगाये जायेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष – Next question.

प्रश्न संख्या ३४९

हिन्डौन में हरिजनों की बारात पर हुए बारदात सम्बन्धी जांच

श्री छुंगा—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

हिन्डोन में हरिजनों की बरात पर हुये बारदात सम्बन्धी मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—इस तरह का एक मुकदमा हिन्डोन में ३१ जून, १९५५ को दर्ज किया गया। तफतीश होने के बाद ४ जुलाई, १९५५ को चालान किया गया। यह इस समय अदालत में चल रहा है।

श्री छुंगा—अब तक सरकार ने इसमें क्या किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—क्या फरमाया आपने ?

श्री अध्यक्ष—क्या किया सरकार ने अब तक ?

श्री रामकिशोर व्यास—चालान किया।

श्री छुंगा—कितनों का चालान किया ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने अर्ज किया न कि ४ जुलाई, सन् १९५५ को चालान किया गया। १३ अदमियों का चालान किया गया है।

कु० श्री जसवन्त सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं यह जनना चाहूँगा कि प्रश्न संख्या ३४५ में जो पूछा गया है उसमें तो श्री छुंगाराम छपा है और प्रश्न संख्या ३४६ है उसमें श्री छुंगा लिखा हुआ है तो क्या ये दोनों अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति का नाम है ?

श्री अध्यक्ष--यह मुगालता हो गया है क्या ?

It is just as they write. Sometimes they write 'Chhanga' sometimes they write 'Chhanga Ram'. The questions are put by them.

(विराम)

Next, Shri Dharm pal

प्रश्न संख्या ३५०

सड़कों के लिये दी जाने वाली सहायता में कुछ प्रतिशत कमी करना

श्री धरमपाल पँवार—क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार सड़कों के लिये दी जाने वाली सहायता में कुछ प्रतिशत कमी करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी ?

श्री सम्पत राम (उप मंत्री)—सड़कों के निर्माण में जन सहयोग का हिस्सा ५० प्रतिशत से कम करने के सुझाव आए हुए हैं और इनकी जांच की जा रही है ।

श्री धर्मपाल पंवार—यह प्लान कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री सम्पत राम—जल्दी ही पूरा हो जायगा ।

श्री धर्मपाल—जांचों के बहुत से फल आपने देख लिये हैं....

श्री अध्यक्ष—श्री हंसराज जटिया ।

प्रश्न संख्या ३५१

धौलपुर से रूपावास होकर भरतपुर तक की सड़क का निर्माण-कार्य पूरा करना

श्री हंसराज जटिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि धौलपुर से रूपावास होकर सीधी भरतपुर को जाने वाली पक्की सड़क बनाई जा रही है ? यदि हां, तो कितना कार्य गत वर्ष में हो चुका है और भविष्य में उसके कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ?

(ख) यह सड़क धौलपुर से और कहां कहां होकर भरतपुर पहुँचेगी ?

(ग) उक्त सड़क में यू० पी० प्रान्त का कितने मील का हिस्सा पड़ता है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(क) हां, रूपावास होकर जाने को है । राजस्थान में आई हुई इस सड़क का १० मील का हिस्सा गत वर्ष बन चुका है, बाकी ३१ मार्च, ५७ तक बनने की संभावना है ।

[शाह श्री अलीमुद्दीन]

(ख) धौलपुर, सैंथल, चन्दसोरो, कंथरी, घाटोली, रूपावास, दारापुर होती हुई भरतपुर आवेगी ।

(ग) साढ़े छः मील यू० पी० में पड़ता है । यू० पी० सरकार से की जाने वाली कार्यवाही इस विभाग को विदित नहीं है ।

श्री हंसराज जटिया—जो जमीनें किसानों की सड़क में आ गई हैं, उनके लिये क्या सरकार उनको मुआवजा देगी ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—जो जमीन आगई है, आ जावेगी; अभी तो मालूम नहीं है, उन्हें मुआवजा यकीनन दिया जावेगा ।

श्री मानसिंह महार—जो १० मील सड़क बन गई है उसमें का कितना हिस्सा बरसात में टूट गया है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—यह जांच करके अर्ज किया जा सकता है ।

श्री मानसिंह महार—आपके पास रिपोर्ट तो आई होगी कि टूट गई है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—जी, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष—श्री अवनिकुमार मुखर्जी ।

प्रश्न संख्या ३५२

डाइरेक्टर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, द्वारा प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त व्यवसायिक [प्रोफेशनल] कार्य करना

श्री अवनि कुमार मुखर्जी—Will the Minister in charge of Medical and Public Health Department be pleased to state:--

(a) Whether the Director of Medical & Health Services, Rajasthan, is allowed to do professional work in addition to his administrative duties ?

(b) If the reply to (a) is in the affirmative, does it not tantamount to interference in the discharge of his administrative duties ?

(c) If so, why should it not be stopped altogether ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) वर्तमान डाइरेक्टर डा० शर्मा एक विशिष्ट सर्जन हैं, अतः सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें जयपुर और उदयपुर के अस्पतालों में ऑपरेशन करने की इजाजत दी गई है। उन्हें प्राइवेट प्रेक्टिस की इजाजत नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—क्या और प्रान्तों में इस प्रकार की इज़ाजत दी हुई है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जानकारी नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—क्या सरकार यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जरूर।

श्री अवनि कुमार मुखर्जी—अगर जानकारी करने के बाद पता चले कि और प्रान्तों में इस प्रकार की इजाजत नहीं दी गई है तो उसके बाद क्या सरकार इस आज्ञा को वापिस लेगी!

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—उनको खास कर उदयपुर और जयपुर में ऑपरेशन करने की इजाजत दी गई है, क्योंकि वे एक बहुत ही अच्छे सर्जन हैं; इसलिये खास-खास ऑपरेशन करते हैं, प्राइवेट प्रेक्टिस की इजाजत नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी-नहीं, मेरा प्रश्न यह नहीं, मेरा प्रश्न तो यह है कि अगर जानकारी करने के बाद मालूम हो जाय कि इस प्रकार की और प्रान्तों में इजाजत नहीं दी जाती तो क्या सरकार यह इजाजत वापिस लेने को तैयार है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-जानकारी प्राप्त होने पर विचार किया जायगा।

श्री मानसिंह महार और श्री जसवन्त सिंह दोनों का एक साथ प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—One Hon'ble Member at a time.

श्री मानसिंह महार—मैं पहले खड़ा हुआ हूं। क्या माननीय मन्त्रीजी का खास-खास ऑपरेशन्स से मतलब खास-खास व्यक्तियों के ऑपरेशन्स से है या किसी खास प्रकार के ऑपरेशन से?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—खास प्रकार के ऑपरेशन्स, जिनमें वे एक्स्पर्ट हैं।

कु० श्री जसवन्त सिंह—किस प्रकार के ओपरेशन्स हैं ?

श्री बद्री प्रसाद—यह डिटेल तो मालूम नहीं है।

श्री मानसिंह महार—क्या यह सत्य है कि बड़े मंत्रियों और ड़ेब आदमियों की सिफारिश के अलावा वे कोई दूसरे ओपरेशन्स नहीं करते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं।

श्री तेजमल बापना—क्या यह सही हैं कि उनको यह काम देने से एडमिनिस्ट्रेटिव काम में बहुत अड़चन होती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—क्या इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कास में अड़चन होती है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—I have said, 'no'.

श्री तेजमल बापना—इनको कितने बैड दिये गये हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—यह जानकारी नहीं है।

कु' श्री जसवन्त सिंह—क्या यह सही है कि जो बैड्स दिये गये हैं उनमें मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी काम नहीं कर सकते, करें तो डिस्कवालिफाई कर दिये जावें, क्योंकि डाइरेक्टर साहब इतने क्वालिफाइड सर्जन नहीं हैं कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों को पढा सकें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूं।

श्री अवनि कुमार मुखर्जी—पिछले साल सीकर में आई ऑपरेशन्स चले थे तो उन्हें वहां बुलाया गया था, तो क्या ऐसी सूरत में एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में इन्टरफीयरेंस नहीं होता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सीकर की बात बता रहे हैं, वह मेरी जानकारी में नहीं है। इन्टरफीयरेंस नहीं होता है इसीलिये इजाजत दी गई।

कु' श्री जसवन्त सिंह—क्या यह सही है कि दुनियां भर में कोई कहीं ऐसा डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक हैल्थ नहीं है कि वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ावे और वह मेडिकल कॉलेज डिसएफिलियेटेड हो जावे, लेकिन हमारे यहां के डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक हैल्थ ऐसे क्वालिफाइड नहीं हैं; यदि वे मेडिकल कॉलेज में पढावें तो मेडिकल कॉलेज डिसएफिलियेटेड हो जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—No, no. It is quite relevant.

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

Is the post of Director of Medical & Health a practising job ? That is the question.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—और प्रान्तों की जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—That is the sum and substance of the question.

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि इसके बारे मे मेरे पास जानकारी नही है।

श्री खेतसिंह—अगर एक्सपर्ट सर्जन हैं तो उन्हें डाइरेक्टर के पद से रिलिव करके पूरी तरह से सर्जन के काम में ही नियत क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि खास खास ऑपरेशन्स करते हैं। अपना काम देखने के साथ साथ यह काम भी करते हैं, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है।

He is neither doing any work of a Surgeon nor he is employed for this purpose.

कुं० श्री जसवन्त सिंह—क्या यह सही है कि ५० बेड्स जयपुर हॉस्पिटल में दिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—आपकी जानकारी में क्या है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—आपने पूछा उसका उत्तर दिया गया कि स्पेशल केसेज़ में ऑपरेशन करने की इजाजत दी गई है।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—यह सुविधा व्यक्तिगत है या पोस्ट के साथ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—व्यक्तिगत।

श्री खेत सिंह—जब कि वे स्पेशल सर्जन हैं और इस कम में विशिष्ट योग्यता रखते हैं तो उनको एग्ज़ीक्युटिव जोब क्यों दी गई है ?

श्री रोशन लाल—साधारणतया उदयपुर में ये कितने दिन रहते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उदयपुर में बहुत कम जाते हैं।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—क्या गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर निकाला है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—गवर्नमेंट ने इजाजत दी है तभी तो कर रहे हैं।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—क्या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर निकाला है कि वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य के अलावा प्रोफेशनल वर्क भी करते रहें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—स्पेसिफिक ऑर्डर से करते हैं।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष—स्पेसिफिक ऑर्डर से करते हैं, यह कहा।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—स्पेशल ऑर्डर दिया है तभी तो करते हैं।

श्री किशनलाल शाह—अभी बताया गया कि वे एक्सपर्ट हैं इसलिये यह काम दिया गया; तो क्या इसके करने से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बाधा नहीं आती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि वे एक्सपर्ट सर्जन हैं, उनका फायदा उठा लिया जाय तो क्या नुक्सान है। ४,-५ ऑपरेशन्स डिफिकल्ट हैं तो वे कर लेते हैं।

श्री रोशनलाल—क्या सरकार ऐसा इन्तजाम कर रही है कि उनके अनुभव का पब्लिक ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, इसके लिये उनका पूरा पूरा समय ऑपरेशन्स के लिये ही रख दें ? क्योंकि यह कहा गया कि वे इस काम में एक्सपर्ट हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक्सपर्ट हैं इसीलिये तो उनको खास खास ऑपरेशन्स करने की इजाजत दी गई है।

श्री चांदमल मेहता—जानकारी तो चाहिये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जब ये अच्छे सर्जन हैं तो इनको मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं रखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो गवर्नमेंट के देखने का काम है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि अगर उनको मेडिकल कॉलेज में मुकर्रर किया जावे तो यह कॉलेज डिरएफिलिटेड इनकी डिसक्वालीफिकेशन के कारण हो जावेगा ?

श्री चांदमल मेहता—क्या इससे भी ज्यादा अच्छे सर्जन हमारे यहां पर हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हमारे सब के सब सर्जन बहुत एक्सपर्ट हैं।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—उनकी स्पेशल क्वालीफिकेशन क्या है, मैं जानना चाहता हूँ; क्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके लिये जानकारी प्राप्त करने के लिये समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३५३

नयड इलाका (त० सांचोर) में मलेरिया की रोकथाम हेतु शासकीय योजना

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सांचोर तहसील के नयड इलाके में इन्सानों की उम्र कम होती है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस इलाके के लोग अक्सर मलेरिया से रोगग्रस्त रहते हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि मलेरिया को रोकने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी मदद देती हैं ? अगर हां, तो इस इलाके के लिये कितनी मदद मिली और राजस्थाय सरकार ने मलेरिया को रोकने के लिए कितना स्टाफ लगाया है और कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। केन्द्रीय सरकार से नेशनल मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत एक यूनिट जिसके लिये डी० डी० टी० और ४ ट्रक अभी मिले हैं। एक जीप और स्प्रेयर्स और आने

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

की आशा है। राजस्थान सरकार ने एक मलेरिया मेडिकल अफसर, एक मलेरिया इन्सपेक्टर तथा ४ फील्ड वर्कर्स वर्ष भर के लिये लगाये हैं और ३२ फील्ड वर्कर्स पांच माह के लिये लगाये हैं। इस सब यूनिट का हैड क्वार्टर सांचोर है। मेडिकल ऑफीसर जिसके पास तीन और सब यूनिट हैं जालोर रहता है। जालोर यूनिट का वार्षिक बजट १,२५,००० है। अब तक इसमें २७०५४ रू० खर्च हुआ है।

श्री तनसिंह—क्या सारे राजस्थान के लिये मलेरिया मेडिकल अफसर एक ही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जालोर के लिये पूछा गया है, उसका जवाब है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—इसका रिज़ल्ट क्या रहा?

श्री भोपालसिंह—मारवाड़ की तमाम नदियों के पानी से बेरे भर जाते हैं। इसके लिये उन बेरों के पानी को दुरूस्त करने के लिये सरकार के पास कोई योजना है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने मलेरिया के सम्बन्ध में प्रश्न किया था उसका उत्तर दिया है।

श्री भोपालसिंह—वहां हर पीने का पानी खराब है इसके लिये उसको सुधारने का कोई प्रबन्ध किया जावेगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने मलेरिया का प्रश्न किया उसका उत्तर मैंने दिया है।

श्री तनसिंह—क्या मलेरिया पानी की खराबी से नहीं होता?

श्री अध्यक्ष—रावत श्री शम्भुसिंह।

प्रश्न संख्या ३५४

(प्रश्न-कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ३५५.

जयपुर शहर एवं जयपुर जिले में अस्पृश्यता निवारण कानून के अन्तर्गत पुलिस में दर्ज हुए मामले

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री]

जयपुर शहर के अन्तर्गत एवं जयपुर जिले के अन्तर्गत अस्पृश्यता निवारण कानून के अन्तर्गत कितने केसेज़ पुलिस ने दर्ज किये और उनका क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जयपुर शहर तथा जयपुर जिले में ऐसा कोई केस २६-६-५५ तक दर्ज नहीं हुआ । उक्त तारीख के बाद जयपुर जिले में थाने चन्दवाणी, अराई, तथा आमेर में दर्ज हुये हैं। इनमें तफतीश जारी है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या इसमें नाली लगाकर लोगों को पानी पिलाने के भी हैं या नहीं। अगर ऐसे केसेज़ हैं तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह आपने प्रश्न में नहीं पूछा है।

एक माननीय सदस्य—जयपुर के अलावा और भी कहीं ऐसे केसेज़ दायर हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग प्रश्न करें।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३५६.

तहसील मेड़ता में बीजाथल बंध बंधवाने की जनता की मांग पर शासकीय कार्यवाही

श्री भोपालसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील मेड़ता में बीजाथल का बन्धा बन्धवाने के लिये वहां के काश्तकारों ने सरकार से मांग की है ?

(ख) अगर हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ही इसे बनाने का विचार रखती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) बीजाथल नदी का पानी लूनी नदी में जाता है । अगर इसको बांध दिया जावे तो पिच्याक बन्ध में पानी की कमी हो जायगी और उसकी सिंचाई को हानि पहुँचेगी ।

(ख) हां।

श्री भोपालसिंह—क्या लूनी नदी जो पिच्याक के बांध में जाती है उसका ओवरफ्लो अभी तक चलता है इसलिये यह बांधना जरूरी हो जाता है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—हमेशा वर्षा ऐसी नहीं होती कि वह बांधा जा सके।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३५७

ग्राम पंचायतों के चुनाव के पश्चात् नये सदस्यों को शपथ दिलाने में विलम्ब

श्री भैंरूसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव होने के बाद नये मेम्बरों को शपथ दिलाने की मंजूरी आने में बड़ा लम्बा समय लगता है?

(ख) डिस्ट्रिक्ट उदयपुर में तहसील राजसमन्द के ग्राम पंचायत पड़ासली, ग्राम पंचायत केलवा व तहसील माहोली के ग्राम पंचायत माहोली के चुनाव कब सम्पन्न हुवे?

(ग) उपरोक्त ग्राम पंचायतों के पंचों को जो नये चुने गये हैं कार्य शुरू करने में अब और कितना समय लगेगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी नहीं।

(ख) पड़ासली के १०. ६. ५५ को, केलवा के १५. ६. ५५ को

(ग) निर्वाचित पंचों को शपथ दिलाने व कार्यारंभ करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव हुए हैं, इस सम्बन्ध में यह सूचना है:

	निर्वाचन अधिकारी के पास से पत्र प्राप्ति का दिनांक	कार्यरंभ करने व शपथ दिलाने के आदेश का दिनांक
१. केलवा	२५. ७. ५५	२६. ८. ५५
२. माहोली	१२. ८. ५५	६. ८. ५५
३. पडासली	१७. ८. ५५	२६. ६. ५५

श्री भैंरूसिंह—मेरा साफ प्रश्न है, कार्य शुरू किया गया है या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कार्य शुरू करने का आदेश दिया गया है। अभी तक शपथ लेने तथा कार्य शुरू करने की सूचना जिला निरीक्षक पंचायत विभाग से प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैंरूसिंह--शपथ लेने में इतना समय लगने का क्या कारण है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—निर्वाचन अधिकारी चुनाव के रिजल्ट यहां भेजते हैं और उस पर शपथ लेने के आदेश भेज दिये जाते हैं। अब तक शपथ ले लेनी चाहिये थी।

श्री भैरूसिंह—क्या सब अधिकार पंचायत अधिकारी अपने पास रखता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह कानूनी अधिकार हैं।

श्री भैरूसिंह—क्या सरकार भविष्य में इसका स्पष्टिकरण रूल्स में करेगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता-कानूनी अधिकार दिये गये हैं। ज्यादा देर नहीं होगी, जल्दी होगा।

श्री भैरूसिंह—यह प्रोसिज़र की बात है कानून की नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ज्यादा देर नही होगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३५८.

राजस्थान सशस्त्र कॉंस्टेबुलरी में राजस्थानी कांस्टेबल्स

श्री अंगदराम शास्त्री—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी में गैर राजस्थानी कान्सटेबुलों की कितनी संख्या है?

(ख) उक्त गैर राजस्थानियों की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी हैं? वे नियुक्तियां कब हुई?

(ग) क्या राजस्थान सशस्त्र कॉन्सटेबुलरी में सैनिकों के फरार होने की कतिपय घटनाऐं हुई हैं?

(घ) यदि हां, तो उनमें कितने व्यक्ति सरकारी हथियारों के साथ फरार हुये? और कितने हथियार एम्युनिशन्स (ammunitions) इस प्रकार खोये गये? उक्त व्यक्तियों में कितने राजस्थानी और कितने गैर राजस्थानी सैनिक हैं?

(ङ) जिन गैर राजस्थानी सेनिकों की भरती की गई थी उनमें कितने व्यक्ति पहले से शिक्षित थे?

[श्री अंगदराम शास्त्री]

(च) गैर राजस्थानी नियुक्तियों पर प्रतिमास औसतन कितना व्यय वेतन और भत्तों की शक्ल में एक मुश्त कोष से जाता है?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—क. राजस्थान कॉन्सटेबुलरी में गैर राजस्थानी सिपाहियों की संख्या १७४७ है।

(ख) इनकी नियुक्ति सरकार की मन्जूरी द्वारा वक्तन फवक्तन हुई है।

(ग) जी हां।

(घ) शुरू से अब तक ऐसी ५२६ घटनायें हुई हैं। इनमें से ८ आदमी हथियारों के साथ फरार हुए। इनमें एक एल. एम. जी., ७ रायफल, २२मैगजीन, १ मैगजीन बोक्स, ८८० राउन्ड्स और एक बोयनट ले जाये गये। मांगने वालों में से ३७३ राजस्थानी तथा १५६ गैर राजस्थानी सैनिक थे।

(ङ) गैर राजस्थानियों में अधिक संख्या में एक्स आरमी आदमी थे। तीसरी बटेलियन ७०८ एक्स आरमी मैन हैं। बाकी दो बटेलियनों की ऐसे आदमियों की संख्या अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। सूचना अभी तक नहीं आई है।

(च) लगभग १,०४,०००।०।०. रु०।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—टोटल स्ट्रेन्थ कितनी है जिसमें से इतने गैर हाजिर हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—कुल मिलाकर करीब ५ हजार हैं।

श्री खेतसिंह—राजस्थान में बहुत से लोग बेकार बैठे हैं जो पुलिस के काबिल हैं: उनको नहीं लेकर दूसरों को बाहर से बुलाने का क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास—बाहर से बुलाने का प्रश्न हो नहीं है? विधान बनने के बाद सब आ सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—प्रश्न (२) का उत्तर नहीं मिला।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३५९

भू-स्वामी संघ सत्याग्रह में कारवास में लिये गये सत्याग्रही और उनको मारपीट

श्री रावत शम्भूसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूस्वामी संघ के सत्याग्रह में कितने सत्यग्रही गिरफ्तार किये गये व किस २ जेल में कितने कितने रखे गये ?

(ख) क्या शान्त सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा प्रायः मारपीट की गई ?

(ग) हवालात में बन्द सत्याग्रहियों पर मारपीट के कितने मामले सरकार के नोटिस में लाये गये ?

(च) विधान सभा के कितने सदस्य गिरफ्तार हुये और उनके साथ क्या व्यवहार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) (क) भूस्वामी संघ के सत्याग्रह में २७१० आदमी गिरफ्तार हुए और २६४६ निम्नलिखित जेलों में निम्न प्रकार भेजे गयें :

सिरोही जेल	६५
जोधपुर जेल	६५२
बाडमेर जेल	४
बून्दी जेल	१६६
सेन्ट्रल जेल	१७५६
जोड़::	२६४६

बाकी के ६३ जमानत पर छोड़ दिये गये व १ पुलिस कस्टडी में मर गया।

(ख) जी हां। श्री नन्दसिंह पुत्र श्री आन्नद सिंह निवासी निमी गांव जब पुलिस कस्टडी में था मर गया था।

ग. पहले तो धारा १७६ जा० फो० के आधीन सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हुई और बाद में सरकार हुक्म से जुडीशल जांच मारफत डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज, जयपुर हुई। जिससे यह प्रतीत हुआ कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक थी।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(च) विधान सभा के २ सदस्य गिरफ्तार हुए। जब तक वे हिरासत में रहे तब तक बहुत अच्छा व्यवहार नियमानुसार किया गया।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—नन्दसिंह की मृत्यु के बारे में कौन से प्रश्न के उत्तर में कहा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—गवर्नमेन्ट के पास कॉपी आयी थी, उसमें था।

श्री अध्यक्ष—एडवान्स कॉपी गई थी, उसमें है।

श्री खेतसिंह—दो सदस्य बताये गये हैं विधान सभा के, वे कौन कौन थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—तनसिंहजी और नाथूसिंहजी ?

रावत श्री शंभूसिंह—(ख) में उत्तर दिया गया कि नंदसिंह की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई, तो क्या मारपीट से मृत्यु हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैने उत्तर दे दिया था कि मारपीट से नहीं हुई।

श्री किशनलाल शाह—उनके रिलेटिव्ज़ को सूचना दे दी गई थी क्या ?

श्री अध्यक्ष—A statement has been given on that score on the floor of the House. It was very clear and if the hon'ble members would have been attentive, everything would have been picked up.

श्री किशनलाल शाह—पोस्टमोर्टम करने के पहले उनके रिलेटिव्ज़ को सूचना क्यों नहीं दी गई, ताकि वे भी अपनी ओर से किसी मेडिकल एक्स्पर्ट को लगाते ?

(घंटी)

रावत श्री शंभूसिंह—क्या यह सही है कि पुलिस के अस्पताल में और जेल के अस्पताल में चोटों के मामले का इलाज कराया गया ?

श्री अध्यक्ष—किनकी चोटों का ?

रावत श्री शंभूसिंह—सत्याग्रहियों का।

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

रावत श्री शंभूसिंह—क्या यह सही है कि जिस रोज मारपीट की गई थी उस रोज गृह मंत्री से कई प्रतिष्ठित व्यक्ति मिले थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—मारपीट ही नहीं की गई तो सवाल ही कहां पैदा होता है ?

श्री तनसिंह—कुछ सत्याग्रहियों के साथ मारपीट होने से पुलिस पर मुकदमे दायर किये गये थे, इस विषय की जानकारी क्या माननीय मंत्री महोदय को थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपने या किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, उसकी जांच से जाहिर हुआ है कि मुकदमे खारिज हो गये।

श्री मानसिंह महार—क्या पं. रूपनारायण शास्त्री, एम.एल. ए. को पकड़ा गया और दो घंटे तक कोतवाली में बिठाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—हो सकता है, बहुत से आदमी पकड़े गये हों।

श्री तनसिंह—तो क्या वे विधान सभा के सदस्य नहीं है ?

(विराम)

उनको पकड़ कर कोतवाली में दो घंटे क्यों बिठाया रखा ?

श्री अध्यक्ष—शायद कोई इन्क्वायरी करने के लिए ले गये हों।

श्री तनसिंह—क्या वे कानूनी तौर पर पकड़े गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—अरेस्ट नहीं किया गया था।

श्री भैरूसिंह—क्या उनको कोतवाली में सत्याग्रह के सिलसिले में ले जाया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—उसी सिलसिले में गये थे, फिर उनको छोड़ दिया गया।

श्री मानसिंह महार—क्या एक सदस्य को दो घंटे तक कोतवाली में बिठाये रखना सदन का अपमान नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—कानून विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो उसके लिये वह अप मान नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या वे वहां अपनी स्वेच्छा से गये थे ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ३६०

चंदारुणा (त० डेगाना) पंचायत क्षेत्र के चुनाव में पक्षपात

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चंदारुणा तहसील डेगाना, पंचायत क्षेत्र का चुनाव एक तर्फा हुआ है ?

(ख) क्या वहां की दीगर कौमों को तेज धूप में खड़े रख कर और जाटों को छाया में खड़े रख कर ५ घंटे तक चुनाव नहीं कराया गया और जनता को परेशान होना पड़ा ?

(ग) क्या वहां पर दीगर कोमों को आतंकित किया जाकर जाट सरपंच को ही चुना गया ?

(घ) क्या इस क्षेत्र में गोरेरी करणा का वार्ड, स्टेशन डेगाना के बराबर है ? इनकी अलग अलग आबादी क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) जी नहीं।

(ख) किसी जाति विशेष को कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई ? मतदाता सुविधानुकूल अपने २ वार्डों के समूहों में बैठे थे। तीन घंटों में पूरा चुनाव हो गया था, इसलिए ५ घंटे खड़े रहने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, सरपंच का चुनाव निर्विरोध हुआ है।

(घ) स्टेशन डेगाना की आबादी पृथक नहीं है, इसका कुछ भाग गौरेडी चाचा में व कुछ भाग झाडवास में है।

श्री भोपालसिंह—मेरा अर्ज करना यह है कि गोरेरी करणा की आबादी कितनी है और डेगाना स्टेशन की आबादी कितनी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने आपको स्टेशन डेगाना के लिए अर्ज किया कि स्टेशन डेगाना की आबादी पृथक नहीं है इसका कुछ भाग गोरी चांचा में है व कुछ भाग झाडवास में है।

श्री किशनलाल शाह—क्या इस क्षेत्र में गोरेड़ी करणा नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—स्टेशन डेगाना के बारे में पूछा गया। स्टेशन डेगाना अलग नहीं है वह इसमें शामिल है। कुछ भाग गोरेड़ी चांचा में है और कुछ भाग झाड़वास में है।

श्री भोपालसिंह—आप गोरेडी चांचा के लिये कह रहे हैं और मैं गोरेडी करणा के लिए पूछ रहा हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—गोरेडी करणा अलग है क्या ?

श्रीभोपालसिंह—प्रश्न में साफ लिखा हुआ है कि गोरेरी करणा की आबादी क्या है और स्टेशन डेगाना की आबादी क्या है !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि स्टेशन डेगाणा की आबादी पृथक नहीं है। और उसका कुछ भाग गोरेडी चांचा में व कुछ भाग झाडवास में है।

श्री तनसिंह—एक ओर कह रहे हैं कि गोरेडी चांचा और डेगाना एक हैं। करणा के विषय का कुछ जबाब नहीं है।

(घंटी)

श्री भोपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का साफ जवाब नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—जवाब है, वह पढ़ दिया।

श्री भोपालसिंह—गोरेडी करणा की आबादी क्या है, मैं यह पूछ रहा हूँ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—गोरेडी की आबादी पृथक नहीं है।

श्री भोपालसिंह—मैं मानता हूँ कि गोरेडी चाचा उसमें है लेकिन गोरेडी करणा की आबादी क्या है और डेगाना की आबादी क्या है ?

श्री बद्रप्रसाद गुप्ता—उसकी अबादी करीब ३०० है।

श्रीभो पालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं.......

(घंटी एवं हंसी)

श्री अध्यक्ष—Order please ! The hon'ble member can table other questions or short notice questions.

प्रश्न संख्या ३६१

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचंद पल्लीवाल ।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—मेरा प्रश्न बाकी रह गया है ।

श्री अध्यक्ष—Yes.

प्रश्न संख्या ३६२

जोगीवाला पंचायत क्षेत्र (त० भादरा) में चुनाव की व्यवस्था

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जोगीवाला पंचायत क्षेत्र तहसील भादरा में पंचायत का चुनाव हो चुका है ?

(ख) अगर हां, तो कौन कौन पंच चुने गये और उनके कितने २ वोट आये ?

(ग) अगर नहीं, तो चुनाव कब होगा ?

(घ) क्या इस पंचायत क्षेत्र में कुछ पंच नामजद भी किये गये हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) जी हां ।

(ख) इस सूची अनुसार :

नाम पंच	मत संख्या
श्री मोहरूराम	निर्विरोध
श्री भगवानराम	निर्विरोध

Page No.45

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

नाम पंच	मत संख्या
श्री शेराराम	निर्विरोध
श्री हरचंद	१०४
श्री माइधन	१७५
श्री लालचंद	७६
श्री रामजीलाल आत्मज सरदाराराम उप सरपंच	निर्विरोध
श्री रामजीलाल आत्मज सम्पतराम सरपंच	७३२

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) इस बार कोई पंच नामजद नहीं किया गया।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जाय कि वहां पर कोई नामजद हुआ ही नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव हो गये हैं। अब वे पंच नहीं है।

श्री मानसिंह महार—क्या जो निर्विरोध आये हैं उनको नामजद किया गया है ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

कु० श्री जसवन्त सिंह—I have got one more question, Sir.

क्या यह सही है कि दोलाराम चुनाव में हार गये थे लेकिन फिर भी उनको नामजद किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि कोई नामजद है ही नहीं। नाम सारे अर्ज कर दिये थे ?

श्री अध्यक्ष—दौलाराम है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—The reply is there. Next, Shri RidhiChand

प्रश्न संख्या ३६३

जिला सवाई माधोपुर की विभिन्न तहसीलों में संलेख लेखक

श्री रिद्धीचंद पल्लीवाल—क्या मंत्री न्याय विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला सवाई माधोपुर में तहसील वाइज़ कितने २ डीड राइटर हैं व प्रत्येक तहसील में किस अनुपात से रखे गये हैं ?

(ख) क्या कमी में आये राज्य कर्मचारियों को सरकार लाइसेन्स देने पर विचार कर रही है ?

(ग) क्या सरकार निजामत हैडक्वार्टर व मंडियों के स्थानों पर डीड राइटरों की संख्या दस करेगी ?

(घ) लिखाई की निर्धारित रेट क्या है ? अधिक लेने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मन्त्री)—इसका जवाब पृथक राजस्व मन्त्री अपनी बारी में देंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

प्रश्न संख्या ३६४

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कस्बा मारोठ (जिला नागौर) से सीकर तक की सड़क का निर्माण

श्री भैरोंसिंह—क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कस्बा मारोठ (जिला नागौर) से सीकर तक जो सड़क मंजूर की गई है, उसका काम अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ ?

[श्री भैरोंसिंह]

(ख) इस विषय में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शाह श्री अलीमुद्दीन (उप मन्त्री)—(क) टेन्डर ऊंची दर पर आने से कार्य अभी शुरू नहीं हुआ।

(ख) टेन्डर फिर से मांगे गये हैं और जल्दी ही कार्य शुरू करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह—जो टेन्डर्स इन्वाइट किये गये उनमें शिड्यूल रेट्स से कितनी ज्यादा रेट्स आई हैं ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—यह तफसील में अर्ज नहीं कर सकता, आई जरूर है ।

श्री किशनलाल शाह—टेन्डर्स जो नागौर जिले के मांगे गये थे उनमें से किन किन के आये ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—सीकर से मारोठ की सड़क के लिए टेन्डर मांगे गये थे, जो देना चाहते थे उन्होंने दिये ।

श्री किशनलाल शाह—टेन्डर्स कहां से कहां तक थे ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—सीकर टू मारोठ सड़क ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह किस आधार पर निर्णय किया गया कि ये रेट्स ऊंची हैं ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—डिपार्टमेन्ट की खास शिड्यूल्ड रेट्स मुकर्रर हैं, उससे इस बात को जांच कर ली जाती है कि टेन्डर की रेट्स ठीक हैं या नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शिड्यूल्ड रेट्स से कितने परसेन्ट ज्यादा आये ?

शाह श्री अलीमुद्दीन—मैंने अर्ज किया कि तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दूसरे एरिया से शिड्यूल्ड रेट्स आती हैं और विभाग द्वारा ना-मंजूर की जाती हैं तो फिर इसमें क्यों नहीं की गई ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री किस्तूरचंद ।

प्रश्न संख्या ३६५

तहसील बनेडा (जिला भीलवाडा) के खास धर्म तालाब के कुछ भाग पर ठिकाना बनेडा का कब्जा

श्री किस्तूरचन्द—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील बनेडा जिला भीलवाडा का खास धर्म तालाब राम सरोवर ग्राम पंचायत का है ?

(ख) अगर हां, तो इसकी सालाना आमदनी ठिकाना क्यों लेता है ?

(ग) क्या यह सच है कि उस तालाब का कुछ हिस्सा ठिकाना बनेडा ने मिट्टी भरवा कर अपने कब्जे में ले लिया है ?

(घ) क्या इसकी कार्यवाही कलेक्टर भीलवाडा के पास चल रही है ?

(ङ) क्या सरकार इस तालाब के कुछ भागों में मिट्टी को वापस निकलवाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) जागीरदार इस तालाब में होने वाले कमल के फूलों से होने वाली आय को लेता रहा है और यह उसकी निजी सम्पत्ति मान ली गई है।

(ग) इसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(घ) इस विषय में कलेक्टर भीलवाड़ा स्वयं तहकीकात कर रहे हैं।

(ङ) खन्ड 'घ' के उत्तर के अनुसार कार्यवाही होने पर इस विषय में विचार किया जायगा।

श्री किस्तूरचंद—सरकारी कार्यवाही से आगे इसको सार्वजनिक मान लिया जायगा क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अभी तक जागीर डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत और जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के अन्तर्गत माना जायगा।

श्री कस्तूरचंद—क्या माननीय मन्त्रीजी को मालूम है कि यह तालाब सार्वजनिक बिला नाम दर्ज है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तालाब है यह धार्मिक स्थान है और आमदनी अब तक जागीरदार लेता रहा है। इसलिए इसको जागीर रिजम्शन के तहत माना जायगा।

श्री किस्तूरचंद—अर्ज यह है कि सार्वजनिक तालाब होते हुए भी कमल वगैरह की आमदनी जागीरदार क्यों लेता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब तक लेते रहे हैं और उनका राइट होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तक गैर कानूनी कार्यवाही होती रही है तो क्या उसको चलने देना जरूरी है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ३६६

सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश

श्री चान्दमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्क चार्ज स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है या नहीं?

२. यदि नहीं, तो क्यो नहीं?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मन्त्री)—पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट के तारीख २३ जुलाई, १९५५ के हुक्म के पहले वर्क चार्ज स्टाफ को वीकली होली डे देने के बारे में कोई कानून नहीं था। मगर उसके बाद में फौरन हुक्म जारी कर दिया गया और तमाम डिपार्टमेन्ट्स को इतला दी गई है और अक्सर जगहों पर छुट्टी देना शुरू कर दिया गया है और कई जगहों पर शुरू किया जाने वाला है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ये छुट्टियां पेड (paid) दी जाती हैं?

शाह श्री अलीमुद्दीन—अभी तसल्ली रखिये, अभी सवाल बाकी है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—सवाल बाकी है या जवाब बाकी है।

शाह श्री अलीमुद्दीन—सवाल-जवाब दोनों बाकी हैं।

(२) पार्ट एक के जवाब में इसका जवाब भी शामिल हो गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये छुट्टियां पेड दी जाती हैं या अन-पेड?

शाह श्री अलीमुद्दीन—छुट्टियों के मायने ही यह है कि तनखा दी जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जयपुर में पेड छुट्टियां नहीं दी जातीं; अब पेड छुट्टियां होंगी ऐसा कानून हो जाने के बाद भी छुट्टी देना बन्द कर दिया गया है?

शाह श्री अलीमुद्दीन—आप शायद २३ जुलाई, ५५ के पहले का जिक्र कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आज से दो दिन पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ, जयपुर के पी०डब्लू०डी० विभाग में कुछ दिनों की छुट्टियां दी गई; बाद में जब यह मालूम हुआ कि ये छुट्टियां पेड होंगी तो छुट्टी देना बन्द कर दिया?

शाह श्री अलीमुद्दीन—यह आपके द्वारा मालूम हुआ है, जांच कराई जायगी।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री विजयसिंह (वि० सं० १५८) ने २६-६-१९५५ से १२-१०-५५ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि इन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या सभा की कार्यवाही न हो उन दिनों के लिए भी अनुपस्थित रहने की स्वीकृति का सवाल पैदा होता है।

श्री अध्यक्ष—He wants to go in anticipation. There is no harm in granting leave.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Even when the Assembly is not meeting.?

श्री मानसिंह महार—श्री विजयसिंहजी आज तो उपस्थित हैं।

श्री अध्यक्ष—If he wants.

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

महाराजा किशनगढ़ मिल्स लिमिटेड की तालाबन्दी के कारण उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक एडजोर्नमेन्ट मोशन आया है जिसे मैं पढ़कर सुना देता हूँ : "सदन की यह राय है कि महाराजा किशनगढ़ मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़ की चार महीने की तालाबन्दी से पैदा हुई गम्भीर स्थिति से ग्रसित कर्मचारियों व मजदूरों को भूख से मरने से बचाकर रोजगार दिलाना राजस्थान सरकार के लिये अत्यन्त आवश्यक है और सरकार को मिल अपने कब्जे में लेने की कार्यवाही तत्परता से करनी चाहिये । मैं समझता हूँ कि यह आवश्यक नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह—यह किसकी तरफ से एडजोर्नमेन्ट मोशन आया ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—नाम तो बताया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—For publicity sake.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Not for publicity sake, sir.

श्री अध्यक्ष—यह श्री जसवन्तसिंहजी ने पेश किया है । It is not even necessary to mention anything on the floor of the House when I do not give my consent.

(विराम)

बात यह है कि ऐसे प्रस्ताव जो सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिये प्रस्तुत किये जांय वे प्रस्ताव प्रकारान्तर से सदन की कार्यवाही को सेन्सर करने की तरह के होते हैं ।

मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि इस प्रकार का रवैया हमारा अंग्रेजों के राज्य में था जब कि हम विरोधी पक्ष में थे; वैसी हलत में यह एक ओब्जेक्ट था । आज जब कि हमारी चुनी हुई असेम्बली है, विधान मंडल है तो फिर ऐसे कार्यों के लिये हमें अन्य उपाय ढूंढने पड़ेंगे । वे उपाय हैं प्रस्ताव या अल्पकालिक सूचना प्रश्न की प्रस्तुति । ये ऐसे जरिये हैं जिनके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है । ऐसे प्रश्न या तो क्षेत्रीय भावना से या किसी क्षेत्र विशेष से ताल्लुक रखने वाले होते हैं । तो ये ऐसे आवश्यक नहीं माने जा सकते जिनके आधार पर इतना बड़ा कार्य

[श्री अध्यक्ष]

सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का किया जाय। इसलिये मैं उचित नहीं समझता कि इस प्रस्ताव को सदन में उपस्थित करने की आज्ञा दूं।

मैं माननीय सदस्यों को आगे के लिये यह बता दूं कि वे अल्पकलीन प्रश्न द्वारा या प्रस्ताव द्वारा ऐसी बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जब प्राइवेट मेम्बर्स डे (private-members day) हो उस दिन भी वे इस प्रकार का प्रस्ताव ला सकते हैं। ये ऐसे वैधानिक तरीके हैं जिनके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

इन कुछ शब्दों के साथ जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है उसको उपस्थित करने की अनुमति प्रदान नहीं करता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक स्टेटमेन्ट तो करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—The Ministers are free to make statements at any time and it is their discretion to make a statement or not.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में एडजोर्नमेंन्ट मोशन का प्रोसिजर रखना ही नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष—श्री बृजसुन्दर शर्मा।

अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५५ के भाग एक की प्रस्तुति

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्तमंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं अंकेक्षा प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट), १९५५ के भाग १ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५५

(पुनःस्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत एक्ट (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पुरःस्थापित करने की सदन से आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की यह अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरःथापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

पुरः थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—clause No. 46.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपने अमेन्डमेन्ट्स प्रस्तुत कर सकता हूँ ?

श्री अध्यक्ष—They were called yesterday but the hon'ble member was not present.

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ४६ पर कई अमेन्डमेन्ट्स पेश हुए हैं । मैं एक एक अमेन्डमेन्ट का अलहदा अलहदा जवाब दूंगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह एक प्रकार से इन्फोरमल है । उसमें सिर्फ भाषा का चेन्ज है इसलिये मैं उनके संशोधन को स्वीकार करता हूँ ।

इसी सेक्शन के सब क्लॉज़ (१) में श्री श्यामलालजी गोयल का भी अमेन्डमेन्ट है । अमेन्डमेन्ट नं. ११७ उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ । इसी प्रकार इस क्लॉज़ के पार्ट (१) में श्री श्यामलालजी का अमेन्डमेन्ट नं. ११८ है उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ ।

बाकी के सब अमेन्डमेन्ट जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ सब गैर जरूरी है इसलिए मैं उनको स्वीकार करने में असमर्थ हूँ ।

इस क्लॉज़ के पार्ट १२ के लिये एक संशोधन है, इसको डिलीट करने का है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि यह बहुत आवश्यक है लम्बरदार जो हैं । उनके फरायज और डयूटीज़में यह बात रखी गई है कि वे जो विलेज सरवेन्ट्स हैं उनका सुपरवीजन कर सकें । (ii) to control and superintend every village servant......

इस क्लॉज़ के पार्ट ८ के लिये भी एक अमेन्डमेन्ट है । यहां कुलेक्टर इसलिये रखा गया है कि इसका सबन्ध कलेक्टरसे डाइरेक्ट रहता है । जितने भी Birth & death बर्थ और डेथ्स हों उनकी

[श्री दामोदरलाल व्यास]

रिपोर्ट उसके पास जाय। मान लीजिये जब लम्बरदार पंचायत को रिपोर्ट करता है, मान लीजिये किसी जगह पंचायत नहीं हो या डिजोल्व हो गई हो और कोई अधिकारी नहीं जिसको यह सूचना दी जाय इसलिये कलेक्टर का होना आवश्यक है; नहीं तो बर्थ एन्ड डेथ्स की किस जगह रिपोर्ट करेगा ?

इसी प्रकार क्लॉज़ के पार्ट नम्बर तीन में एक अमेंडमेंट माननीय परबतसर से आने वाले सदस्य का है। उनका यह अमेन्डमेन्ट है कि इसमें कलेक्टर के बजाय तहसीलदार कर दिया जावे। मेरा इसके बारे में यह निवेदन करना है कि ऐसा करने में व्यवहारिक डिफिकल्टी आवेगी। कलेक्टर सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पोलिसी बना सकेगा। अगर फसल खराब हो गई है या फसल में और कोई गडबड हो गई है, एग्रीकल्चर कैलेमिटी आ गई है तो नम्बरदार इसकी सूचना किस तारीख को देगा और कहां देगा। इस तरह की सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पोलिसी कलेक्टर को बनानी पडेगी क्योंकि उसे सारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कैलेमिटी के लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी है। अगर इसके लिए अलग अलग तहसीलों को पॉवर दे दी गई तो इससे एक पालिसी नहीं बन सकेगी और सारे डिस्ट्रिक्ट की जब कलेक्टर चाहे तब और उसी स्थान पर इत्तला एक साथ नहीं मिल सकेगी। एक तहसील एक तारीख और एक स्थान मुकर्रर करेगी तो दूसरी तहसील दूसरी तारीख और दूसरा स्थान मुकर्रर कर सकती है। इससे देर हो सकती है और एक पोलिसी नहीं बनाई जा सकेगी। इसमें ये सब व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा होंगी इसलिए कलेक्टर ही नम्बरदार के लिए इसकी सूचना देने की तारीख और स्थान मुकर्रर करे, यही व्यवहारिक होगा और ठीक होगा।

इसी प्रकार यहां और दूसरे अमेन्डमेन्ट्स हैं जिनको कि मैं स्वीकार करने के योग्य समझता नहीं और मेरे खयाल से जो मौजूदा क्लॉज है उसमें उन अमेंडमेन्ट्स को, जिनको कि मैंने स्वीकार किया है, मैं पास करने योग्य समझता हूँ। सदन से प्रार्थना है कि वे पास किये जायं।

श्री अध्यक्ष— I put it to vote.

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—जब आपका नम्बर आवे तब बोलें।

(विराम)

क्लॉज ४६, लिस्ट नम्बर ४, This is admitted.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने सीरियल नम्बर ११८, क्लॉज ४६ में रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

Page No.55

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंहजी ने क्लॉज ४६ में सीरियल नम्बर १५२ पर रक्खा है वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह जी ने क्लाज ४६ पर सीरियल नम्बर १५३ में रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैंरूसिंह [१६] ने सीरियल नम्बर १५४ पर क्लॉज ४६ में रक्खा है वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन सीरियल नम्बर १५५ पर क्लाज ४६ में श्री हिम्मतसिंहजी ने रखा है वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

Page No.56

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैंरूसिंह जी ने सीरियल नम्बर १५६, क्लाज ४६ में रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ४६ में सीरियल नम्बर १५८ पर श्री हिम्मतसिंहजी ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैंरूसिंह जी ने क्लॉज़ ४६ में सीरियल नम्बर १५७ पर रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन नम्बर ८८, श्री नाथूरामजी मिर्धा ने क्लॉज ४६ में रक्खा हैं वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह जी ने क्लॉज ४६ में सीरियल नम्बर १५६ पर रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

Page No.57

[श्री अध्यक्ष]

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह जी ने क्लॉज ४६ पर सीरियल नम्बर १६० पर रक्खा है वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया !

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने रक्खा है क्लॉज ४६ पर उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैंरूसिंहजी ने सीरियल नम्बर १६१, क्लॉज ४६ पर रखा है वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री भैंरूसिंह जी ने क्लॉज नम्बर ४६ पर एक संशोधन सीरियल नम्बर १६२ रक्खा है वह स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने क्लॉज नम्बर ४६ पर सीरियल नम्बर ११७ रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन सीरियल नम्बर १६३, श्री हिम्मतसिंह जी ने क्लॉज नम्बर ४६ पर रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैंरूसिंहजी ने सीरियल नम्बर १६४, क्लॉज नम्बर ४६ पर रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह जी ने क्रम संख्या १६५ पर क्लॉज ४६ में रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंहजी ने क्रम संख्या १६६ पर क्लॉज ४६ में रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४६, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

(श्री दामोदरलाल व्यास से) पिछले क्लॉज़ेज़ अभी लेंगे या फिर?

श्री दामोदरलाल व्यास—We can take from clause 24 on—wards. Then only three clauses will remain viz. 5, 6 and 8.

श्री अध्यक्ष—We can go forward then.

श्री दामोदरलाल व्यास—या ले लिया जावे २४। २४ से ले लीजिये। Then three clauses will remain.

श्री भैरोंसिंह (१६)—डेफर किये हुए क्लॉज़ेज़ को एक साथ लिया जावे, माननीय अध्यक्ष।

श्री दामोदरलाल व्यास—They are not interrelated.

श्री अध्यक्ष—What does the member-in-charge desire?

श्री दामोदरलाल व्यास—From 24 onwards all the deferred clauses may be taken.

श्री अध्यक्ष—२४ का जवाब दीजियेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—Is there any amendment to clause 24 ?

श्री भैरूसिंह (१६)—जवाब किसको दे रहे हैं आप ?

श्री अध्यक्ष—Yes. 24

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, २४ पर मैं जवाब दे चुका हूँ। सिर्फ इसमें वोटिंग होना बाकी है।

('जवाब नहीं दिया' और 'जवाब दे दिया गया' की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—२४ का जवाब आ चुका है। Nothing to accommodate.

श्री दामोदरलाल व्यास—२४ पर एकोमोडेशन की आवश्यकता नहीं है। २४ पर जो एमेन्डमेन्ट आये हैं। वह वापिस ले लें।

श्री अध्यक्ष—Shri Chand Mal Mehta.

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूसिंह।

श्री भैरूसिंह (१६)—कौनसी क्लॉज़ के बारे में है। २४ के ऊपर जवाब नहीं मिला, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—The reply was given on the floor of the House. Does the hon'ble members want to withdraw ?

श्री भैरूसिंह (१६)—I want to press it.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २४ में सीरियल नं० १०८ के ऊपर श्री भैंरूसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने क्लॉज २४ पर क्रम संख्या १०६ पर रखा है...

श्री श्यामलाल गोयलः—I want the leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्षः—Is it the wish of the House to allow withdrawal?

(स्वीकृत)

Permission granted

श्री श्यामलाल गोयलः—I withdraw my amendment.

The question is that clause 24 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 24 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 25. There is only one amendment by Shri Shyam lal Goel.

श्री श्यामलाल गोयलः—I beg leave to withdraw my amendment to clause 25.

श्री गोपीलाल यादव—इसमें २५ के ऊपर मेरा भी एक एमेंडमेंट है । मैं पेश करूं, यदि श्रीमान् की आज्ञा हो तो !

श्री अध्यक्ष—The minister-in-charge may move it and it will be accepted.

Page No.62

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—क्लॉज २५ में अमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष—सब क्लॉज़ कौनसा है ? इसमें ४ सब क्लॉज़ हैं। संशोधन किस पर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(a) (i)

श्री अध्यक्ष—" The State Government,
(a) shall appoint—
(i) a Collector in each district, and
(ii) a tehsildar in each district; "

श्री दामोदरलाल व्यास—"(i) a Collector in each district, who shall also be the Land Records Officer for the district, and In (b) (i) replace 'a' by an 'additional."

श्री अध्यक्ष—So what will be the language ?

श्री दामोदरलाल व्यास—It will be like this Sir, "25. Appointment of other officers.—The State Government,

श्री गोपीलाल यादव—नहीं, यह है। सब क्लॉज़ बी (१) पर एक और है–

(a) shall appoint—

(i) a Collector in each district, who shall also be the Land Records Officer for the district.

(b) may appoint—

(i) an additional Land Records Officer to any district.

यह बी (१) और ए (१) में है।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अमेंडमेंट इसलिये आवश्यक समझा गया कि माननीय सदस्यों ने यह विचार यहां व्यक्त किये हैं कि लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल सेपरेट मुकर्रर कर दें और बगैर जरूरत ही मुकर्रर कर देवें।

इसलिए यह दिया गया है कि "The Government shall appoint a Collector who shall also be the Land Records Officer for the district और आवश्यकता होने पर

[श्री दामोदरलाल व्यास]

may appoint an additional Land Records Officer to any district. एडीश्नल डिस्ट्रिक्ट लैन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर मुकर्रर किया जा सकता है।

मगर ऑर्डीनिरिली क्लॉज़ २५ में कलेक्टर्स जो हैं वे एक्स ऑफिशियो डिस्ट्रिक्ट लेन्ड रेकॉर्ड ऑफिसर होंगे।

श्री अध्यक्ष–I think the amendment is very innocent. So the question is that leave be granted for the withdrawal of the amendment to Shri Shyamlal Goel.

(स्वीकृत)

Leave granted.

श्री श्यामलाल गोयल–I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २५ के पार्ट (ए) और (बी) के अन्तर्गत रखे गये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Nobody is hearing, Sir.

श्री अध्यक्ष —Order please !

प्रश्न यह है कि क्लॉज २५ को, संशोधित रुप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५, संशोधित रूप से, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Page No.64

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ २६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(स्वीकृत)

क्लॉज २६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २७, श्री श्यामलाल गोयल।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री श्यामलाल गोयल.... ..

श्री दामोदरलाल व्यास—Clause 27 has already been passed.

श्री अध्यक्ष—I am sorry. Then we Come to clause 29.

(विराम)

श्री भैरूसिंह।

श्री दमोदरलाल व्यास—Perhaps he was not present when called.

श्री अध्यक्ष-Clauses 29, 30, 31 and 32 were kept pending.

श्री भैंरूसिंह—अध्यक्ष महोदय, में अपना अमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—Both the amendments?

श्री भैंरूसिंह—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—क्लॉज़ २९ पर मैं मेरा संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House?

(स्वीकृत)

Leave granted

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री हिम्मतसिंह—Nobody moved any amendment on clause 29.

श्री अध्यक्ष—Both the amendments are not desired to be moved.

श्री अध्यक्ष—So we take the clause.

(श्री श्यामलाल गोयल के खड़े होने पर)

The Hon'ble Member wants to move the amendmend ?

श्री श्यामलाल गोयल—Yes, Sir.

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ २९ में मैं मेरा एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करता हूं। क्लॉज २४ इस एक्ट का जो अभी पास किया गया है इसके लिये यह अमेन्डमेन्ट जरूरी है। क्लॉज २४ जिस हालत में पास किया गया है वह इस तरह से है :

"The State Government shall appoint for the whole of the State a Director of Land Records and may appoint as many Additional and Assistant Directors of Land Records as it may consider necessary."

इस क्लॉज़ में जिन अपोइन्टमेन्ट्स का स्टेट गवर्नमेन्ट को अधिकार दिया गया है उनमें असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ऑफ लैंड रेकॉर्ड्स के लिये भी अधिकार दिया गया है। क्लॉज २९ में सबोर्डिनेशन ओफ रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ओफिसर्स दिया है; उसके पार्ट (७) में यह लिखा है कि Subordination of revenue courts and Officers.—

"Subject to the provisions of sections 13 and 28,—

(i)...........(vii) all Additional Directors of Land Records, Collectors, Additional Collectors, Land Records Officers, Tehsildars, Additional Tehsilars and Naib Tehsildars shall be subordinate to the Director of Land Records."

यह सबोर्डिनेशन का जो सेक्शन है उससे जाहिर नहीं होता कि असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ओफ लैंड रेकॉर्ड्स किसीके सबोर्डिनेट होंगे या नहीं। इसलिये इसका प्रोविजन करना जरूरी था। इसके लिये मैंने यह कहा है कि :

"Insert the words 'and Assistant' between the words 'additional' and 'Directors' in line one."

[श्री श्यामलाल गोयल]

मैं समझता हूँ कि यह अमेन्डमेन्ट बहुत जरूरी है जिससे यह मालूम हो सके कि असिस्टेन्ट डाईरेक्टर ऑफ लेंड रेकार्ड्स के फंक्शन्स क्या होंगे, वह किस के सबोर्डिनेशन में होगा आदि ; मैं समझता हूं मंत्रीजी, इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री दामोदर लाल व्यास—मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री श्यामलाल गोयल का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज २९ संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३०

श्री हिम्मतसिंह—I do not want to move my amendment.

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चहता।

श्री श्यामलाल गोयल—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २९ में अभी मैंने जो अमेन्डमेन्ट मूव किया था जिसको माननीय मंत्रिजी ने स्वीकार किया है बिल्कुल वैसा ही अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ ३० में भी है।

श्री अध्यक्ष—क्या यह स्वीकार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३० में जो संशोधन श्री श्यामलाल गोयल ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है क्लॉज़ ३०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३०, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३१

(विराम)

श्री चांदमल मेहता—इस क्लॉज में मेरे कई संशोधन हैं उनमें से सिर्फ एक को मैं मूव करना चाहता हूँ और वह यह है कि क्लॉज़ ३१ में "लैंड रेवन्यु ऑफिसर" शब्द निकाल दिया जाय। यह क्लॉज़ इस प्रकार है।

"(f) on a Collector, all or any of the powers of a Land Records Officer or a Settlement Officer."

हमने क्लॉज़ २५ में इस तरह की व्यवस्था रख दी है कि कलेक्टर ही लैंड रेकॉर्ड्स ऑफिसर होंगे। इस दृष्टि से लैंड रेवेन्यू ऑफिसर शब्द जो आया है उसे निकालना आवश्यक हो जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास—कौन सा अमेन्डमेन्ड है?

श्री अध्यक्ष—सर्क्यूलर नं० १७, लिस्ट नं० १; देखकर बताइये कि कौनसा संशोधन है?

श्री चांदमल मेहता—वह इसमें नहीं है। जो अमेन्डमेन्ट दिये हैं उनमें नहीं है। जो संशोधन मैंने पहले रखे हैं उनमें से किसी को भी मैं मूव करना नहीं चाहता। यह संशोधन क्लॉज़ २५ को तब्दील करने के कारण आवश्यक है, इसलिये पेश करना चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—सब क्लॉज़ (एफ) में यह जो संशोधन है उसे मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—But that must come to us in writing.

श्री दामोदरलाल व्यास—There is no amendment with you.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह कांसिक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास—This is only a consequential amendment on account of the amendment having been accepted in clause 25. So it may be accepted.

श्री अध्यक्ष—But what is that ?

श्री दामोदर लाल व्यास—"(f) On a Collector, all or any of the powers of a Land Records Officer or a Settlement Officer." Only 'Land Records Officer or a' would be deleted because we have already accepted that the Collector by virtue of his office shall be a Land Records Officer.

श्री अध्यक्ष—Which is this part ?

श्री दामोदरलाल व्यास—क्लॉज़ ३१, सब क्लॉज़ (एफ)।

श्री अध्यक्ष—"लैंड रेकॉर्ड्स ऑफिसर" के बजाय "सैटलमेन्ट ऑफिसर"?

श्री दामोदरलाल व्यास—Settlement Officer is already there. So the words Land Records Officer will be deleted.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन लैंड रेकॉर्ड्स ऑफिसर को डिलीट करने के बारे में क्लॉज़ ३१ (एफ) में मंत्रीजी द्वारा रखा गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३१, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

Page No.69

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ ३२

श्री नाथूराम मिर्धा—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज़ ३२ में इस प्रकार है :

Parts of clause 32 be revised and renumbered so as to read as below:--

(a) a Commissioner shall have all the powers of a Collector, a sub--Divisional Officer, an Assistant Collector and a Tehsildar ;

(b) a Collector shall have all the powers of a Sub--Divisional Officer, an Assistant Collector and a Tehsildar;

(c) a Sub--Divisional Officer shall have all the powers of an Assistant Collector and a Tehsildar;

(d) an Assistant Collector shall have all the powers of a Tehsildar and a Naib Tehsildar;

(e) a Tehsildar shall have all the powers of a Naib Tehsilder; and;

(f) a Land Records Officer or a Settlement Officer shall have all the powers of a Tehsildar or a Naib Teihsidlar or an Officer arpointed under Chapter VII or Chapter VIII."

यह संशोधन अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इस वजह से इस क्लॉज़ में रखा है कि उसे ठीक तरह से पेश किया जाय। इस क्लॉज़ का मौजूदा जो (ए) भाग है वह कलेक्टर के जुरिसडिक्शन से शुरू होती है और इसमें हमने कमिश्नर किया है इसलिये सारे क्लॉज़ का रीनंबरिंग हो जाता है क्योंकि कमिश्नर और रेवेन्यू बोर्ड को आपने सारे अधिकार दिये हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३२ के अन्तर्गत के श्री नाथूराम मिर्धा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३२ का संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३२, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३२, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३५, श्री हिम्मत सिंह।

The hon'ble member had moved the amendment on clause 35

श्री हिम्मतसिंह—I don't want to press it.

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अमेंडमेंट वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हिम्मत सिंह—I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मैं मेरा संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ)—मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—That was moved. The hon'ble member is not clear.

श्री भैरोंसिंह—मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रेस करना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३५ में श्री भैरोंसिंह ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३६ श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरे संशोधन क्रम संख्या २२ को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

और मेरा संशोधन क्रम संख्या २३ है वह मंत्री महोदय मान ही लेंगे, क्योंकि मेरा यह संशोधन क्लॉज़ २५ का कोन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट है; क्लॉज़ २५ का जिसे हम पास कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—क्रम संख्या २३ कौन सा है?

श्री चांदमल मेहता—दो हैं साहब। पहला है...

"Substitute the words 'Sub-Divisional Officer' for the word 'Collector' in line two."

इसको वापिस लेने की अनुमति सदन से चाहता हूं और दूसरा है...

"Delete the words 'or where a Permanent Land Records Officer is appointed, such officer' occurring in lines 2 and 3."

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री चांदमल मेहता को उनका संशोधन क्रम संख्या २२ वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री **चांदमल मेहता**—मैं मेरा संशोधन क्रम संख्या २२ वापिस लेता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—श्री हिम्मत सिंह।

श्री **हिम्मत सिंह**—I don't want to move my amendment.

श्री **चांदमल मेहता**—२३ नं० का मेरा संशोधन रह गया है, साहब।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—मैं सेकेन्ड अमेंडमेंट स्वीकार करता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि श्री चांदमल मेहता का संशोधन क्रम संख्या २३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३६, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३७, श्री चांदमल मेहता।

श्री **चांदमल मेहता**—क्लॉज़ ३७ पर मैं अपना संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—क्या सदन की अनुमति है कि श्री चांदमल मेहता को उनका संशोधन, जो उन्होंने क्लॉज़ ३७ पर रखा है वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३८, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—इस क्लॉज पर जो मेरा अमेंडमेंट है वह माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे क्योंकि क्लॉज २५ जो स्वीकार किया गया है तो यह भी अपने आप ही स्वीकार हो जाता है क्योंकि यह कोन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री)—आप अपना अमेंडमेंट मेन्शन कीजिये।

श्री चांदमल मेहता—यह है " Delete the words 'or where a permanant land Records Officer is appointed, such officer' occurring in lines three and four. " यह डिलीट करने के बारे में है।

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)—This is also a consequential change.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ३८ में श्री चांदमल मेहता ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३८, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३८, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

Page No.74

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ ३६, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरा संशोधन वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३६ जैसा है वैसा ही विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ४६, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—क्लॉज़ ४६ के बाद ४६ ए. बढ़ाने का मेरा अमेंडमेंट है। मेरा अमेंडमेंट ४६ ए. इस प्रकार है……

"46. A (1) Subject to rules made under this Act the S. D. O. on the application of any Landholdar or of his own motion remove a lambardar or lambarbar-gumasta from office:--

(a) for bad character or gross misconduct; or

(b) for neglect or improper discharge of the duties imposed on him under this Act or under any other enactment for the time being in force; or

(c) for negligent or improper exercise of his powers under section 46 of this Act.

[श्री चांदमल मेहता]

(2) The S. D. O. may also suspend a lambardar or lambardar gumasta against whom proceedings for removal have begun and the Tehsildar may appoint any landholder to perform duties of a lambardar or lambardar gumasta as the ca may be until the proceedings of removal have been completed.

Provided that no person shall be so appointed who is a minor, or is unfitted by any mental or bodily infirmity to perform the duties of the office, or is a female who is unable to perform such duties."

माननीय अध्यक्ष, विलेज ऑफिसर और विलेज सर्वेन्ट का जो चेप्टर है उसके अन्तर्गत लम्बरदार की नियुक्ति के बारे में प्रोविजन है, लेकिन लम्बरदार को हटाने के बारे में या उसको सस्पेन्ड करने के लिये कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिये यह प्रोविजन होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार कर लेंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल— माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ५६ पर इस किस्म का श्री श्यामलालजी गोयल का एक एमेन्डमेंट है। उसमें भी यही बातें हैं। जिस वक्त वह क्लाज़ लिया जावे उस समय जो कुछ भी कमी हो उसको उसमें और जोड़ दिया जावे। इसलिये जब उसको लिया जावे तो उसी वक्त इसको भी लिया जावे। इस समय इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री दामोदर लाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह बात बिल्कुल साफ है। क्लॉज़ ५६ पर श्री श्यामलाल जी का एमेन्डमेंट है। इस क्लाज में पनिश्मेन्ट, सस्पेन्शन और रीमूवल ऑफ विलेज सर्वेन्ट्स का जिक्र है। मेरे खयाल से जब उसको लिया जावे तो इस एमेन्डमेंट को भी साथ साथ ले लिया जावे। इस समय इस एमेन्डमेंट की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरा संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है।

(विराम)

वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

श्री चांदमल मेहता— माननीय अध्यक्ष, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ४७, श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस क्लाज़ में मेरा एक संशोधन है कि क्लाज़ ४७ के बाद की पेनल्टी प्रोवाइड करती है। अगर कोई आदमी लम्बरदार द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना करे

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अथवा उसका पालन नहीं करे तो उस पर तहसीलदार के हुक्म देने पर ५०) रु का जुर्माना हो सकता है। ये जो ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई हैं उनके सिलसिले में पेनल्टी अलग प्रोवाइड की गई है; मसलन जो रेवेन्यू है—"to collect and to pay into the State Treasury all sums of money payable by the landholders of the area." लेंड होल्डर्स यदि पैसा न दे तो उनको क्या पेनल्टी दी जा सकेगी ? इसका इस एक्ट में दूसरी जगह जिक्र किया गया है। इसी प्रकार विलेज़ सरवेन्ट्स के बारे में भी "to report on agricultural conditions including encroachments..." इस एक्ट अथवा दूसरे एक्ट में पेनल्टी प्रोवाइड फोर किया गया है। जब क्लॉज़ ४७ को यहां पर रखने का यह तात्पर्य होगा कि अगर किसी ने लगान नहीं दिया तो सबसे पहले लम्बरदार उसको कहेगा कि लगान दे दो और चूंकि उसने उसकी आज्ञा का उलंघन किया तो क्लाज़ ४७ के तहत उस पर ५०) का जुर्माना होगा और फिर उसने जो लगान नहीं दिया तो उसके लिये अलग पेनल्टी है उस क्लाज़ के तहत में उसको फिर पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस आदेश का न पालन करने के लिये उसको दो दंड मिलेंगे। एक इस बात का कि लंबरदार ने उसको आज्ञा दी उसका उलंघन किया, दूसरा यह कि जो जो डयूटीज़ है वे एक्ट के किसी न किसी मेटीरियली प्रोविजन से संबन्धित है। कोई न कोई इस धारा के खिलाफ जुर्म हो जाता हैं उस पर सजा देने की स्थिती पैदा हो जावेगी। ऐसी स्थिति में मैं यह कह सकता हूँ कि इस क्लॉज़ ४७ की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो आज्ञाएं लंबरदार दे उन आज्ञाओं का उलंघन करने पर जरुर दूसरी कार्यवाही होने की पूरी गुंजायश है ऐसी सूरत में उसकी आज्ञा को कानूनी आज्ञा का उल्लंघन मानकर जुर्म करार करना वाजिब नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो इसका नतीजा क्या होगा ? इसका नतीजा यह होगा कि गांव में दलबन्दियें होगी और आपस में अदावतें बढ़ेंगी। मानलें की किसी एक आदमी से दूसरे आदमी से रंजिश हो गई तो वह इस प्रकार की धाराओं का फायदा उठायेगा और इसके लिये लंबरदार के जरिये या किसी दूसरे के जरिये उसको तंग कराने की कोशिश करेगा। मैं इस सिलसिले में यह भी अर्ज कर देना चाहता हूँ कि लंबरदार की ड्यूटीज में यह भी है कि अगर कोई नाजायज एन्क्रोचमेंट करता है तो उसकी इतिला देता है। एन्क्रोचमेंट के बारे में सजा देने के लिये टीनेन्सी एक्ट में अलग धारा प्रोवाइड कर दी गई है। अब लंबरदार आया और उसने कहा कि आप एन्क्रोचमेंट मत कीजिये। उसने एन्क्रोचमेंट किया। इसके लिये टीनेन्सी एक्ट में चार गुनां लगान देने का लिखा। आप डबल पनिशमेंट एक ही जुर्म में नहीं दे सकते और न दी जा सकती है। इसलिये में अर्ज करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जावे और अगर इसको पास किया तो ऐसा न हो कि इस पर कोई रिट इस संशोधन पर भी न आ जावे और फिर इसको मानना पड़े। इसलिये मैं अपना यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष, कल जिस समय क्लॉज़ ४६ पर इस सदन में चर्चा की जा रही थी उस समय मैंने सदन से निवेदन किया था कि लम्बरदार के नीचे विलेज सर्वेन्ट की नियुक्ति जो इस कानून के द्वारा हो रही है वह नियुक्ति कोई नई

[श्री भैरोंसिंह]

चीज नहीं बल्कि इसी को सामन्तशाही युग में बेगार नियम कहते थे उसी के अनुसार हैं। अब तक हमने बेगार प्रथा बुरी बताई। जागीरों के समाप्त होने के बाद सरकार को इस प्रकार बेगार की आवश्यकता महसूस होने लगी। और इस बेगारी प्रथा में जिस प्रकार से कड़ाई की जाती थी, जिस प्रकार से बेगार वालों को सजा दी जाती थी उसी प्रकार का नियम सजा देने के उपाय, यह राजस्थान सरकार कर रही है। आने वाली धारा में हम इस बात का जिक्र करने वाले हैं कि विलेज सर्वेन्ट किस प्रकार के होंगे। इस क्लॉज में इस बात का जिक्र है कि विलेज चौकीदार या विलेज बलाई या अन्य व्यक्ति विलेज सर्वेन्ट के रूप में नियुक्त किये जावेंगे। जहां तक विलेज चौकीदार का ताल्लुक है, उन्होंने बताया कि इसका सम्बन्ध सीधा पुलिस से होना चाहिये और इसलिए गांव की सुरक्षा के लिये यह आवश्यकता महसूस होती है कि विलेज चौकीदार की नियुक्ति की जावे। हो सकता है कि उनके हिसाब में ऐसी नियुक्तियां वाजिब हों। लेकिन जब विलेज बलाई की नियुक्ति की जाती है और विलेज सर्वेन्ट के नाम पर बेगार लेने की योजना बनती है और जब वह विलेज बलाई बेगार देने में रुकावट करे, वह विलेज सर्वेन्ट, विलेज बलाई बेगार देने में लम्बरदार का कहना न माने, वह विलेज बलाई उस नम्बरदार की अनुचित आज्ञा का पालन न करे, तो हमने इस क्लॉज़ द्वारा नियम बनाया है कि यदि वह विलेज सर्वेन्ट, अथवा विलेज बलाई उसके लिये यह सजा का हकदार होगा जो तहसीलदार द्वारा दी जा सकती है, और वह सजा तीस रुपये तक के जुर्माना की होगी। माननीय अध्यक्ष, दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकतीं! अगर बेगार लेनी है तो स्पष्ट रूप से कहिए कि बेगार का कानून बने और अगर नहीं लेना है तो स्पष्ट रूप से कहिए कि बेगार नहीं लेना है। विलेज बलाई के साथ यह दुविधा है। उसको दूसरे शब्दों के साथ माननीय राजस्व मन्त्री कहेंगे कि यह कोई बेगार नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि विलेज सर्वेन्ट्स की नियुक्ति से लेकर, विलेज बलाई की नियुक्ति से लेकर उनके क्या क्या काम होंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, और काम न करने के ऊपर उनको क्या सजा होगी; इन तीनों बातों को एक साथ पढ़ा जाय और उन पर मनन किया जाय कि इन चीजों का बेगार के साथ कहां तक सम्बन्ध है और उस बेगार की सजा उनको क्या होगी, तो वास्तविक स्थिति आपके सामने आ जायगी। लेकिन लगता है कि सरकार उसको बहुमत के आधार पर चालू करेगी और एक तरह से उसको कानूनी रूप देगी जब कि आज तक बेगार प्रथा का कानून नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह सरकार बेगार प्रथा को शुरू करेगी। यह भी मान लें कि बेगार प्रथा चालू की जा रही है लेकिन मानवता की दृष्टि से सद्भावना होनी चाहिये और वह सद्भावना यह होनी चाहिए कि जिन विलेज सर्वेन्ट्स को लम्बरदारों की आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर किया जाय, जिन विलेज बलाई को लम्बरदारों की आज्ञा पालने के लिये मजबूर किया जाय, वे नम्बरदार को आज्ञा दें, उनको आदेश दें, उनके साथ कैसे व्यवहार हों, उनकी क्या जिम्मेदारी हो? मैं मानता हूँ कि प्रशासनिक दृष्टि से किसी मुलाजिम के ऊपर, सरकार द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति पर अंकुश नहीं होता है तो वह उनकी आज्ञा का ठीक तरह से पालन नहीं करता है और आज्ञा पालन नहीं करने से गांवों में शांत वातावरण नहीं रहता और गांवों में शांत वातावरण पैदा करने की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से हम काम करते हैं तो उसमें संदेह नहीं होगा, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा

[श्री भैरूं सिंह]

कि उस आज्ञा पालन की अवहेलना क्यों हो रही है; किस कारण से हो रही है, कौन कर रहा है, उसके कारण सजा किसको मिलती है, और कितनी मिलती है ? आज हम जिसको विलेज बलाई के नाम से मुकर्रर करते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके लिये क्या योजना बनायी है; इसको नहीं देखकर अगर विलेज बलाई बना दियां उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी या ज्यादा खराब होगी, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विलेज बलाई की आर्थिक स्थिति ठीक होगी आगे, वह ज्यादा कमाई करेगा, ज्यादा धन कमावेगा और हम यह सोच लें कि धन प्राप्त करने वालों पर, आमदनी अधिक बढ़ाने वालों पर किसी न किसी प्रकार का अंकुश रखा जाय, तो हम यह मानकर चलें कि राजस्व मंत्री यह कहेंगे कि विलेज सर्वेन्ट्स हैं; विलेज बलाई है, वे भ्रष्टाचार के अड्डे नहीं हैं किन्तु वे तो प्रशासनिक दृष्टि से योग देने वाले हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आज तक जो रवैया चलता रहा है, पटेल पटवारी नम्बरदारदार उनके मातहत हैं, उनके द्वारा नियुक्त किये गये हैं, वे सब सरकारी अधिकारियों को पैसा देने की एजेन्सीज़ हैं और ऐसा मानकर कि विलेज बलाई की नियुक्ति के पश्चात् आमदनी बढ़ेगी तो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें करने वाले नहीं। उनके पीछे काम करने वाली भ्रष्टाचार की एजेन्सीज़ नही हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। वे विलेज बलाई को तनख्वाह देने वाले है, वे उनसे काम लेते है। वह काम ज्यादा है या कम ? उस काम का संबन्ध पटेल की ड्यूटीज़ में है, जो जो ड्यूटीज़ पटेल के लिए निर्धारित की गई हैं, जो जो ड्यूटीज़ नंबरदार के लिए निर्धारित की गई है और जो काम अनिवार्य रुप से निर्धारित किये गये हैं उन कामों की मदद के लिये वह है विलेज सर्वेन्ट, विलेज बलाई, जो उनकी आज्ञा में रह कर काम करे उन लंबरदारों की, पटेलों की आज्ञा में रह कर काम करें। मैं मानता हूँ कि यह तो एक तरह से पटेलों के बचाव का तरीका होगा। जब पटेल ने कोई गलती की हो, जब मालूम हो कि पटेल ने अमुक गलती की है; उसको पटेलाई जाने वाली है, उसको बरखास्त किया जाने वाला है और उस हालत में वह अपने बचाव के लिये काम करेगा, तो वह उस विलेज बलाई, जिसको राज बलाई के नाम से पुकारा जायगा, की गलती बतावेगा कि वह मेरे कहने की तामील नहीं करता है, मेरी आज्ञा का उलंघन करता है और यह आप देखते ही हैं कि जिस गांव में नंबरदार होता है वह वहां का एक जागीरदार समझा जाता है, जब लंबरदार के खिलाफ आवेदन-पत्र प्रस्तुत हुआ, उसके लिए एक बचाव का तरीका निकल गया कि वह कहेगा कि मैंने यह गलती नहीं की है, विलेज सर्वेन्ट ने की है, विलेज बलाई ने की है और वह ही सजा पाने का मुस्तहक है। तो इस तरह से लंबरदार अपने असर के कारण क्योंकि जब लंबरदार की गांवों में इस तरह की पूछ हो, उसका असर हो, तो इस प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर गांव के लोग उस पटेल का ही पक्ष लेंगे और बलाई का पक्ष नहीं लेंगे। इसका माननीय राजस्व मंत्रीजी को भी एक्सपीरियेन्स है। वे आज मंत्री पद के नाते इन्कार भले ही करें। गांवों के अन्दर नंबरदार है, राज बलाई है। कोई मंत्री पहुँचे। वह नंबरदार उस विलेज बलाई को आज्ञा देगा। उनके पलंग का इन्तजाम नहीं किया, सफाई नहीं कराई है, कुम्हार से लाकर घडे नहीं रखे है तो पटेल नाराज हो

[श्री भैरोंसिंह]

सकता है कि अनिवार्य रूप से यह कार्यवाही की जानी चाहिए थी। चूंकि मंत्रीजी आ रहे हैं उनका स्वागत करना है; उसने यह कह कर कि स्वागत करने का मेरा काम नहीं है। जिस तरह से पटेल की ड्यूटीज़ निर्धारित की गई उस प्रकार उसके लिए कोई ड्यूटीज़ निर्धारित नहीं की गई हैं और यदि वह इस प्रकार के काम को इन्कार कर देता है अथवा और किसी प्रकार के काम को करने से इन्कार कर देता है तो चूंकि उसने हटेल की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है इसलिए वह सजा पाने का मुस्तहक है। तहसीलदार नाराज होगा, कि बडे आदमी का स्वागत नहीं हुआ, तैयारी नहीं हुई, बडे आदमी की उन पर डाट पड़ेगी और इस भले आदमी को सजा मिलेगी। उसको कोई मौका नहीं दिया गया कि वह उस सजा के खिलाफ अपनी कोई सफाई पेश कर सके। इसकी अपील करने की गुन्जाइश नहीं है। केवल तहसीलदार को आर्बीट्रेरी पॉवर्स दे दिये गये हैं। पटेल ने जाकर रिपोर्ट की कि विलेज बलाई उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है और बस २० रुपया का जुर्माना कर दिया। आज हम देखें तो मालूम होगा कि विलेज बलाई को देते क्या हैं, आगे क्या है यह मैं नहीं कहता, लेकिन आज उसको २०) माहवार नहीं मिलता। जो योजना सरकार बनाने वाली है उस सम्बन्ध में विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वे एक पैसा या धेला फी रुपया निर्धारित करेंगे। अगर आप उनको १००) रु० १ साल के देते हैं तो बारह महीने के ८) के हिसाब से होते हैं और जुर्माना तजवीज करते हैं २०) रु. । ८) की तनख्वाह देते हैं और जुर्माना करते हैं २० रुपया। इससे तो अच्छा हो कि उसको बरखास्त ही क्यों नहीं कर देते, ऐसे बेगारी की आवश्यकता नहीं, तेरे स्थान पर दूसरा बेगारी नियुक्त कर लिया जायगा।

(घंटी)

मैं इन शब्दों के साथ माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बेगारी प्रथा को राजस्थान में चालू न करें और चालू रखना ही है तो बेगारियों के साथ सहानुभूति का वातावरण बनावें, न कि पटेल के हाथ में बेगारियों को देकर उनकी आर्थिक स्थिति खराब बनावें और उनके शोषण करने का कानून बनावें। मैं दुबारा माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन को मानकर इस बेगारी प्रथा को बन्द करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, ..

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री हिम्मतसिंह (अटरू)।

श्री हिम्मतसिंह—इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में मेरा भी एक अमेन्डमेन्ट है। पहले तो मैं दांता रामगढ़ से आने वाले मेरे मित्र भैरोंसिंहजी ने डिलीट करने का जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसके पक्ष में दो शब्द अर्ज करते हुए कहूँगा कि दर असल यह क्लॉज़ ऐसा है कि इस जमाने में पास होना

[श्री हिम्मतसिंह]

ही नहीं चाहिए क्योंकि इसके अन्दर कोई उचित बात नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि बेगार प्रथा को जारी रखने के लिए यह एक शस्त्र तहसीलदार और गवर्नमेन्ट के हाथ में दिया जा रहा है और और पटेल हर कोई बात अपने हुक्म की तामील न होने के सिलसिले में तहसीलदार के पास रिपोर्ट करने पर हर किसी को सजा २०) तक करा सकता है। तो इस तरह का प्रोविजन इस जमाने में होना मैं उचित नहीं समझता हूँ।

दूसरी बात यह है कि जब हमने पंचायत एक्ट में १० रूपये जुर्माने का प्रोवीजन किया है, १० रूपये जुर्माना करने का अधिकार दिया है उस हालत में जबकि कोई पंचायत की आज्ञा की अवहेलना करता है तो उस पर १० रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है। आज हम इस एक्ट में २० रुपये जुर्माने का अधिकार देते हैं। पंचायत एक्ट में कुछ निश्चित बातें हैं किन्तु यहां तो काफी अनिश्चित बातें हैं। यदि कोई पटेल जाकर तहसीलदार को कह देता है कि मेरे हुक्म की तामील नहीं की गई तो उस पर तहसीलदार २० रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। इसलिये मैं समझता हूँ कि अगर यह क्लॉज़ डिलीट हो जाता है तो ठीक, नहीं तो जहां २० रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं वहां १० रुपये कर दिये जांय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ४७ के सब क्लॉज़ (४) (५) (६) में मेरा एक छोटासा अमेन्डमेन्ट है वह अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है।

Substitute the following for clause 47 ;—

" Any person who negelcts or disobeys a reasonable order made by a lambardar in pursuance of the duty assigned to him under Section 46, Sub-Sections (iv), (v) and (vi) of this Act shall be liable, under orders of a Tehsildar, to a fine not exceeding Rs. 20/-".

माननीय अध्यक्ष, यह बात सही है कि जो अधिकार दफा ४७ में लम्बरदारों को दिया गया है उससे जनता को काफी कठिनाई हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई लम्बरदार अपोइन्ट किया जाय, वह अच्छा आदमी न हो तो वह छोटी छोटी बातों पर जनता को परेशान कर सकता है। किसी से यह कहा जाय कि तुम्हें एग्रीकलचर कन्डीशन की रिपोर्ट देनी है, अगर वह किसी कारण नहीं देता है तो वह उससे कहेगा कि चल मैं तेरा खेत देखता हूँ। अगर वह आदमी उसके साथ नहीं जाता है तो वह उस पर बीस रूपया तक फाइन कर सकता है। किसी ने कोग्नीजेबल ओफेंस किया। जिसको रिपोर्ट देनी होती है तो वह कहेगा कि मुझको जगह चल कर दिखाओ; इस तरह से उसकी रिपोर्ट कर उस पर जुर्माना करवा सकता है। इसका मतलब यह है कि लम्बरदारों को जो अधिकार देना चाहते हैं हो सकता है इसकी वजह से वे मनमानी कर सकते हैं। यदि किसी के उसके साथ दुश्मनी हो गई है तो या किसी किस्म की रंजिश हो गई हो तो

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

वह अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है क्योंकि वह भी उसी गांव का रहने वाला होता है। हो सकता है किसी से उसकी दुश्मनी हो तो ऐसी हालत में वह बदला ले सकता है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्लॉज़ ४७ में लम्बरदारों को इतना ताकतवर नहीं बनाना चाहिये जिससे वह तहसीलदार, एस० डी० ओ० से भी ज्यादा ताकतवर हो जाय।

क्लॉज़ ४६ के अन्दर लम्बरदार को काफी ड्यूटीज़ दी गई हैं, जैसे गांव में कोई यदि उसका कहना नहीं माने, किसी काम के लिये गांव के आदमी को कहे और वे इन्कार हो जायं उसको क्या पॉवर कि लोग उसका कहना मानें। इसलिए मैं यह आवश्यक समझता हूँ, दोनों बातों को मिलाकर देखने से यह पता चलेगा कि एक तरफ यदि कुछ भी अधिकार नहीं देते हैं तो गांव वाले उसका कहना नहीं मानेंगे और दूसरी तरफ यदि अधिकार देते हैं तो वह जायज़ नाजायज़ तौर पर जनता को परेशान कर सकता है।

सिर्फ इन हालतों में लम्बरदार जनता को हुक्म दे सकता है जैसा कि इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ (४), (५), (६), में आता है। सब क्लॉज़ (४) में यह है :

" (iv) to report, and if possible to prevent, encroachments on the public path and roadways in the area for which he is appointed."

इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी सड़क पर कब्जा करता है और ऐसी हालत में लम्बरदार का कहना नहीं मानता है तो उसका कर्तव्य है कि वह तहसीलदार को रिपोर्ट करे।

सब क्लॉज़ (५) इस प्रकार है :

"(v) to report, and if possible, to prevent, encroachments on unoccupied land and village boundaries and the unauthorised cutting of wood from any waste land."

इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अन--ओक्यूपाइड लैंड पर कब्जा करता हो या वेस्ट लेन्ड से लकड़ियां काटता हो, मना करने पर भी कहना नहीं माने तो वह जुर्माना कर सकता है।

सब क्लॉज (६) इस प्रकार है :

" (vi) to preserve such stations and marks, erected in the area for which he is appointed by the surveyors of Government, as may be made over to his care."

ऐसे स्टेशन्स, ऐसे लेन्ड मार्क्स जो सरवेअर्स द्वारा नियुक्त किये गये हों उनको कोई डेमेज़ करता हो। उसके लिये वह कहता है कि यह मत करो, इस प्रकार उसकी आज्ञा का कोई

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

पालन नहीं करता है तो वह जुर्माना करने के लिये तहसीलदार को रिपोर्ट पेश करेगा। ये तीनों बातें रीज़नेबल हैं जिनके कारण वह सही तौर से अपनी ड्यूटीज़ परफोर्म कर सकता है। अगर कोई कर्तव्य पालन में हिचकिचाहट करता है तो इतना माइल्ड पनिशमेन्ट उसके लिये होना जरूरी है।

करीब करीब ऐसे ही कानून सी. पी. लैंड रेवेन्यू की धारा १९९ में दर्ज है। वहां मुकद्दमा जिसे हम यहां लम्बरदार कहते हैं इस प्रकार के अधिकार दे रखे हैं। ऐसी ड्यूटीज़ जब लम्बरदार को दे रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उनको ये अधिकार भी दिये जांय, यह मेरा सुझाव है। इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है उसको स्वीकार करेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष ·········

श्री अध्यक्ष (श्री राजस्व मंत्री से)—क्या आप इस अमेन्डमेन्ट को जो श्री कपिलदेवजी ने रखा है स्वीकार करते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट श्री कपिलदेवजी ने रखा है वह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—(श्री मोदी से) जो संशोधन अभी रखा गया है उसको आपने समझा है?

श्री मुक्तिलाल मोदी—हां, मैं समझ गया। मेरा यह मतलब है कि इस संशोधन के बाद भी यह क्लॉज़ डिलीट होजाना चाहिये। जब कि हमने काफी अधिकार पंचायतों को दे दिये हैं, तो फिर लम्बरदारों की क्या जरूरत? इसलिये मैं श्री एच० के० व्यास ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूँ। उसमें यह बताया गया है कि अगर लम्बरदार किसी की शिकायत तहसीलदार के पास करता है तो उसको अधिकार है कि वह २० रूपया तक जुर्माना कर सकता है। जब हमने सब जगह पंचायतें बना दी हैं और पंचायतों को सरकार की तरफ से धीरे धीरे सब अधिकार दिये जा रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि लम्बरदारों को इतने अधिकार क्यों दिये जाते हैं सरकार की तरफ से? जब कि सी० पी०, यू० पी० जैसे प्रान्तों में पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिये हैं और अब जब कि राजस्थान भी ए क्लास स्टेट बनने वाली है तो फिर इस तरह के क्लॉज़ के लाने की क्या जरूरत है? यदि आज हम इस प्रकार का क्लॉज़ पास भी कर देते हैं तो आगे जाकर फिर अमेन्डमेन्ट होगा। ऐसी चीज़ होने वाली है तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री महोदय को यह चाहिये था कि लम्बरदारों को अधिकार देने का जो क्लॉज़ है वह लाते ही नहीं। यहां पर यह कहा गया है कि लम्बरदार तहसीलदार को किसी की शिकायत कर सकता है और वह बीस रूपये तक जुर्माना करवा सकता है। यह क्लॉज़ नहीं रखना चाहिये। मैं आपको अदालत के अनुभव से बताऊं, लम्बरदार ऐसे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी जाति के लोगों पर मुकदमें बना देते हैं और यहां तक होता है कि इन लम्बरदारों की ओर से लोगों

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

की स्त्रियों को उड़ाया जाता है और पता नहीं चलता है। इस तरह के लम्बरदार वे हुये हैं कि तहसीलदार, नाजिम, कलेक्टर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यह मैं तहसील बैराठ की बात कह रहा हूँ।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री मानसिंह महार—आप अपने रूस के अनुभव बताइये ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—(जारी रखते हुये) जाने दे यार, रूस वूस के अनुभव।

श्री सभापति—अभी रूस के अनुभव की जरूरत नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज जो लम्बरदारों के लिये कानून बनाते हैं, आज कानून तोड़ने वाले और सब से ज्यादा गुनाहगार यदि कोई होंगे तो वे लम्बरदार ही ज्यादा होंगे। तो ऐसी हालत में जितने प्रस्ताव और कानून बनते हैं नुक्ते के...

श्री सभापति—यहां नुक्ते का जिक्र न करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—कानून तोड़ने वाले कौन हैं, यह मैं अर्ज कर रहा हूँ। जिसको पॉवर दिया जाता है वही कानून तोड़ता है न कि जनता। यदि मैं गलत कहता होऊं तो असेम्बली में जितने लोग बैठे हैं उनका गुनाहगार होऊंगा। मैं एक एक आदमी को दावा करके बता दूंगा कि कानून तोड़ने वाले ये कानून बनाने वाले और कानून को चलाने वाले खुद हैं या जनता।

ऐसी हालत में हम यहां जो कानून बनाने वाले हैं उसको नम्बरदार, तहसीलदार, कलेक्टर कमिश्नर, एम. एल. ए., और मिनिस्टर सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। तोड़ेंगे वे जिनके हाथ में पॉवर होती है।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर हियर' की आवाज)

ऐसी हालत में हर आदमी को पॉवर देना ठीक नहीं होगा। अगर कानून उनको पॉवर दे देंगे आप तो इसका खामियाज़ा आज भले ही मिनिस्टरों को भी नहीं भुगतना पड़े, पर कल अगर मिनिस्टरी से हटेंगे तो कल आपको भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि आज तो ये मिनिस्टर लोग जनाते हैं कि वह नम्बरदार क्या करेगा, आज नम्बरदार किस तरह से लोगों को रगड़ता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Golden words.

("हियर हियर" की आवाज)

श्री मुक्तिलाल मोदी—(जारी) आज हजारों मुकदमें जो कोर्टों में आते हैं वे नम्बरदार और पटेलों के कारण आते हैं, एक पटेल और नम्बरदार किस तरह से दो को लड़ाकर मुकदमेबाजी कराता है, यह हम सब जानते हैं। आप जितने जितने नम्बरदार बनावेंगे, जितने जितने उनको पॉवर्स देंगे उतने उतने वे लोगों को लड़ावेंगे और मुकदमेबाजी करावेंगे। आप पंचायतों को ही देखिये (घंटी) आपने कितने पॉवर्स इनको दिये हैं और कितनी रिटें आज हो रही हैं हाई कोर्टों में। सैंकड़ों हो रही हैं और आपका यही पंचायती राज हो रहा है!

(हंसी एवं घंटी)

तो यही हालत यहां भी होने को है। मेरी बैराठ तहसील में बताऊं। इस तरह के कई उदाहरण हैं। कई वर्षों से एक पटेल था। उसने उगाई नहीं की। दूसरे पटेल को लाने की बात हुई। पांच सौ रुपये तहसीलदार को दिये गये इस मामले में और यह फैक्ट बात है। तो ऐसी हालत में जैसा मैंने क्लॉज़ ४२ में अर्ज किया था और इसके पहले परसों हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि इन नम्बरदारों को आप क्यों लाते हो, वही आज भी प्रार्थना करता हूँ कि आप इन नम्बरदारों को मत लाओ, इनको कोई पॉवर मत दो, नहीं तो करप्शन फैलेगा और मैं बताऊं कि कानून भी टूटेगा और यह सारा जो एक्ट आपने बनाया है उसके अन्दर कई तरह की बाधाएं आवेंगी और आपस में दुश्मनी पैदा होगी। (घंटी) इस कानून का दुरुपयोग होगा। आज दुनियां में जितने अधिकार दिये जाते हैं, जितने कानून बनाये जाते हैं उनको ये कानून बनाने वाले ही ये पॉवर पाने वाले ही तोड़ते रहते हैं और जो इन कानून को चलाने वाले हैं वे तोड़ते हैं। और मैं तो यह मानकर चलने वाला आदमी हूँ और माननीय मंत्रीजी जब तक कुर्सी पर बैठे हैं तब तक तो भले ही मेरी इस बात की ताईद नहीं करें पर पीठ पीछे तो उनका मन सब जानता है। इसलिए उनको धन्यवाद है, अगर वे इस पटेलों के क्लॉज को बिलकुल हटा देंगे और उनको कोई अधिकार नहीं देंगे तो। तहसीलदार या नाजिम को, अगर कोई अधिकार देना है तो दे दो। यह मेरी प्रार्थना है और इस पर आप पूरा ध्यान दें।

(घन्टी)

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—श्री मानसिंह।

श्री मानसिंह महार—धन्यवाद। माननीय चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज़ के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि वर्षों से राजस्थान के गांवों में पटेल काम चलाते आ रहे हैं लेकिन आज तक इस प्रकार का कोई प्रोवीजन किसी ने नहीं रखा कि पटेल के कहने पर किसी पर जुर्माना कर दिया गया हो। मैं इस बात को नितान्त अनावश्यक मानता हूँ कि नम्बरदार या पटेल को इस प्रकार का अधिकार दिया जावे। हम जो कुछ कानून बनाते हैं उसको बहुत संजीदगी से बनाना चाहिये, कानून का खिलवाड़ नहीं करना चाहिये; हम एक तरफ अधिकार देने की बात करते हैं लेकिन हमको यह भी देखना है कि जो कुछ अधिकार हम आज तक देते आये हैं उनका दुरुपयोग होता रहा है या सदुपयोग?

Page No.85

[श्री मानसिंह महार]

माननीय चेयरमेन महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पंचायतों के अन्दर जो अधिकार दिये गये हैं, उससे गांवों की जनता के अन्दर एक प्रकार की हलचल सी मच गई है और जनता को जो न्याय मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। यह होते हुए भी हमारा एक बात का तजुर्बा है जिसमें कि हम यह देखते हैं कि हमने इतने अधिकार दिये हैं वे समय से कुछ ज्यादा दे दिये हैं। यह कहने से ही कोई बड़ी बात नहीं हो गई कि हमें इतने अधिकार दे देने चाहिए। हमें देखना यह भी है कि अधिकार कितने देने चाहिये और कितने नहीं देने चाहिये। आज हमें यह देखना है कि हमारे राजस्थान के पटेल या नम्बरदार जो भी हैं वे कितने काबिल हैं, उनकी क्या योग्यता है? उसकी मैं अभी एक ताजा मिसाल सदन के समक्ष चेयरमेन महोदय, आपकी इजाजत से रक्खूंगा। वह मेरी मिसाल यह है कि ९ तारीख को संसद का उप चुनाव हुआ जयपुर इलाके में, जिसके अन्दर....

श्री कपिलदेव अग्रवाल—कौन सी १९ को।

श्री मानसिंह महार—यह परसों तरसों की ही, ९ का मैं जिक्र कर रहा हूँ। यह तरसों ही हुआ है और आप भी इसमें एक पोलिंग एजेन्ट के रूप में काम करने गये हैं, इसलिये आपका इस तरह से पूछना सर्वथा समय का अपव्यय ही करना है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपका यह कहना बिलकुल गलत है।

श्री मानसिंह महार–प्रचार में तो गये थे?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह भी गलत है।

श्री सभापति–(श्री मानसिंह महार से) आप तो अपनी बात जारी रखिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमैन महोदय, बीच में इन्टरप्शन किया गया, इसलिये मुझे तो बोलना पड़ा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किसके प्रचार में गये थे?

श्री सभापति—No please. (श्री महार से) Carry on with your speach.

श्री मानसिंह महार—इसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि गांवों के अन्दर इस बात के मेरे पास प्रमाण तक मोजूद हैं कि पटेलों ने इस प्रकार का प्रचार किया कि फलां व्यक्ति को वोट दीजिये और फलां को मत दीजिये। गांववालों को एकत्रित करके यह कहा गया कि तहसीलदार की यह आज्ञा है कि इस गांव में फलां व्यक्ति को वोट दिया जाय। मेरे ख्याल से माननीय राजस्व मन्त्री इस बात को नहीं मानेंगे, पर मैं दावे के साथ यह कहता हूं कि तहसीलदार आमेर की

[श्री मानसिंह महार]

तरफ से हमारे इलाके में इस प्रकार की डेफीनिट इन्स्ट्रक्शन्स भेजी गईं कि श्रीमती वृन्दा देवी को वोट दिया जावे और कांग्रेस केन्डीडेट को वोट नहीं दिया जावे और जिस आदेश के आधार पर पटेल ने

श्री सभापति--Order please ! order !! यह तो आप विषय से बाहर जा रहे हैं। विषय में ही रहिये। क्लॉज़ ४७ में पेनल्टी के बारे में, क्या पेनल्टी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं; नम्बरदार की रिपोर्ट पर, विचार चल रहा है, आप इसी से सम्बन्धित रहिये।

श्री मानसिंह महार-- माननीय चेयरमेन महोदय, श्री मुक्तिलाल मोदी घबरा रहे हैं पर सत्य तो सत्य ही कहा जावेगा।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह से)--किसी और मौके पर यह सत्य भाषण करें। इसको आगे के लिए स्थगित रक्खें। अभी तो आप विषय पर ही रहिये।

श्री मानसिंह महार--यह जो नम्बरदार के कहने पर २०) रूपया जुर्माना करने का अधिकार दिया जा रहा है वह अन्यायपूर्ण है और किस प्रकार से है यही मैं सिद्ध कर रहा हूं। माननीय चेयरमेन महोदय, यह सब कह कर कि जिस पटेल को आप यह अधिकार देने जा रहे हैं उसकी नैतिकता का क्या मापदण्ड है और इस मापदण्ड को मैं बता रहा हूं: परसों ही की बात से कि इस क्लॉज को पढ़ने से कि--

"Any person who neglects or disobeys a reasonable order made by a Lambardar ...."

तो इस पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव में तहसीलदार की आज्ञा होने पर; अगर यह कहा गया कि श्रीमती वृन्दादेवी को वोट दिया जावे तो यह तो बहुत ही रीज़नेबल बात है उस नम्बरदार के लिए और अगर कोई इस रीज़नेबल आर्डर पर उस नम्बरदार की मदद नहीं करता है और इस कारण किसी बेचारे पर नम्बरदार की शिकायत करने पर जुर्माना ठोक दिया जाता है तो यह तो सरासर अन्याय होगा, चेयरमेन महोदय।

(हंसी)

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरु)--इससे आगे यह भी पढ़ें, इसको न छोड़ा जावे "in persuance of the duty."

श्री मानसिंह महार--एक पटेल को तहसीलदार यह आर्डर देता है कि अमुक व्यक्ति को वोट दिया जावे तो फिर मैं तो यही समझता हूं कि वह "In persuance of the duty" आ जाता है कि वह अपने तहसीलदार द्वारा दिये गये ऑर्डर को परस्यू करे, उसे ओबे करावे, हालां कि ऐसा तहसीलदार को चाहिये नहीं। यह बात बहुत बुरी है। (हंसी)

[श्री मानसिंह महार]

और चूंकि यह बात वाकई में बहुत बुरी है इसलिये कहना पड़ा और इस पर अगर मेरे माननीय मन्त्री महोदय नाराज होते हों तो मैं यही कहकर बैठूंगा कि यह क्लॉज़ जो रक्खा गया है वह इस समय कानून के अन्दर नहीं रखना चाहिये।

(हंसी एव "हीयर हीयर")

और जो मेरे मित्र श्री ....

(श्री शम्भूसिंह एवं श्री गोपीलाल यादव के बोलने हेतु एक साथ खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री हिम्मत सिंह) :— Order please ! order ! इनको अपना भाषण पहले खतम करने दीजिये।

श्री मानसिंह महार —माननीय चेयरमेन, डिस्टर्बेन्सेज़, कर करके मेरा बहुत सा समय तो इन्होंने ऐसे ही गंवा दिया।

इस क्लॉज़ के अन्दर हमारे मित्र नीम के थाने से जो तशरीफ लाये हैं उन्होंने एक संशोधन रक्खा है। इससे उसमें काफी परिवर्तन हो जाता है, यह मैं मानता हूं और काफी सुधार भी इसमें हो जाता है। इसलिये अगर उनके संशोधन को स्वीकार करके इसे पास भी कर दिया जावे तो फिर यह क्लॉज़ इतना खतरनाक नहीं रहेगा जितना कि यह मूल में है। इसलिये मैं सदन से यह अपील करूंगा कि हमारे माननीय नीम के थाने से आने वाले मित्र ने जिस उच्च कोटि का जो संशोधन रक्खा है उसको माननीय मन्त्री जी स्वीकार करके और इस क्लॉज़ में जो कुछ अनर्गल बात रह गई है उसको दूर कर देते हैं तो बहुत अच्छा है।

(हंसी)

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष (सभापति), इस क्लॉज़ के संबंध में मुझे कुछ थोड़ी सी बातें निवेदन करनी हैं, और मंत्री महोदय भी अगर सुनें तो ज्यादा अच्छा हो।

सबसे पहले तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इसके अन्दर फाइन प्रोवाइड किया गया है, और आगे जहां अपील का चेप्टर है उसमें यह दिया हुआ है कि अपील किन २ चीज़ों की हो सकती है जो कि इसमें स्पेशली प्रोवाइडेड हैं, वर्ना कोई अपील नहीं होगी और जो चीजें अपील के लिये प्रोवाइडेड हैं उनमें यह क्लॉज़ ४७ के अन्दर जो फाइन है वह नहीं है। इसलिए मतलब यह निकला कि किसी आदमी के ऊपर २० रुपया आप जुर्माना करना चाहते हैं और उसके लिए अपील प्रोवाइडेड नहीं है। दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते कि एक आदमी पर एक पैसा भी जुर्माना करें और उसके लिए अपील प्रोवाइड नहीं करें। जुर्माने के नाम से लोगों में इतना डर

[श्री गोपीलाल यादव]

है कि तहसील में किसी पर १० रूपया जुर्माना होगया तो उसका रिवीज़न लेकर वह लोग हाईकोर्ट में आते हैं और हाई कोर्ट में सैकड़ों-हज़ारों रूपये खर्च करते हैं। १००, २०० रू० तो हर मामले में वकीलों को देते हैं सिर्फ इसलिए कि १०रूपये का जुर्माना माफ हो और हाई कोर्ट से वह जुर्माना माफ हुआ है। जुर्माने की चीज़ को बड़ी मामूली समझना और फिर उसके लिए अपील तक प्रोवाइड नहीं करना, एक सीरियस गलती है। गलती ही नहीं एक इललीगल चीज़ है जो आगे जाकर एक्ट की इस क्लॉज़ को अल्ट्रा वायर्स करार कर देगी।

दूसरी चीज़ मुझे निवेदन यह करना है कि 'एनी परसन' का यह मामला बड़ा खतरनाक है। अगर आप यह कहें कि जो परसन अपराध करता हुआ पाया जाय और क्लॉज ४६ की सब क्लॉज (४), (५), और (६) के मातहत उसको आकर वह आर्डर दे कि तुम यह मत करो, एन्क्रोचमेंट मत करो और फिर मैं इन्कार करूं तो मुझ पर पेनल्टी कर दो, कुछ कर दो, लेकिन ऐसा कहना चाहते हैं कि 'एनी परसन' तो क्या है कि मैं अपने गांव में नहीं रहता हूं और एक रोज चला जाता हूं और उस गांव का लम्बरदार आकर कहता है कि यादवजी चलो फलां आदमी सड़क पर एन्क्रोचमेंट कर रहा है। आपको लाठी लेकर चलना है, उसको प्रिवेन्ट करना है, क्योंकि लम्बरदार की ड्यूटी टू रिपोर्ट एन्ड टू प्रिवेन्ट दी एन्क्रोचमेन्ट्स। उसकी ड्यूटी टू प्रिवेन्ट दी एन्क्रोचमेंट की आ जाती है, और वह कहता है कि इस एन्क्रोचमेंट को प्रिवेन्ट करो, और मैं नहीं करता हूं तो २० रू० वह तहसीलदार के यहां से जुर्माना करवा देगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो 'एनी परसन' है और धारा ४६ में 'टू रिपोर्ट एन्ड टू प्रिवेन्ट' है तो चाहे रिपोर्ट के सम्बन्ध में वह किसी को कहता है कि जाओ तुम रिपोर्ट कर आओ, लेकिन चूंकि लम्बरदार अपनी इस ड्यूटी के लिये कुछ पैसा लेता है, जो कि उसको लगान के टाइम पर मिलता है और पैसा लेने की वजह से उसके सुपुर्द एक ड्यूटी की जाती है लेकिन वह दूसरे से कराता है कि तुम चले जाओ और रिपोर्ट करके आओ कि एन्क्रोचमेंट हो रहा है। वह तहसीलदार को रिपोर्ट करता है कि फलां आदमी को मैंने कहा था कि रिपोर्ट कर आओ, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं की, इसी तरह से फलां आदमी को एन्क्रोचमेंट रोकने के लिए कहा तो उसने मेरी सहायता नहीं की और न खुद उसने उसको रोका। तो इस प्रकार की चीजें होंगी और यह चीजें हो जाती हैं। यद्यपि इसका लिमिटेड स्कोप होगा और लिमिटेड स्कोप होते हुए भी उन दोनों के संबंध में उतना ही खतरनाक बना हुआ है जब तक कि 'एनी परसन' को हम क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे। 'ऐनी परसन' के मायने उस परसन से हो जो कि क्लाज ४६ की सब क्लाज (४),(५) और (६)के मातहत कोई ओफेन्स कर रहा हो। जब तक इसको क्लियर नहीं कर देंगे तब तक वह खतरनाक बनी हुई है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप फाइन रखते हैं तो यू विल हैव टू प्रोवाइड एन अपील। अगर अपील प्रोवाइड नहीं करते हैं तो मुझे निवेदन

[श्री गोपीलाल यादव]

यह करना है कि इस पर फिर से विचार करें और जो संशोधन ने रखा है उससे काम नहीं चलता है।

रावत श्री शंभूसिंह—माननीय चेयरमेन, माननीय श्री एच. के. व्यास ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है क्लॉज़ ४७ पर उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय चेयरमेन, यों तो आज इस विषय पर बहुत वाद विवाद हो चुका है, परन्तु मैं अपने को सब्जेक्ट मेटर पर बिल्कुल कनफाइन रखता हुआ उस पर ही थोड़ा सा निवेदन करूंगा, क्योंकि प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री महोदय उसका जवाब देने के लिए उत्सुक हो रहे हैं; खास तौर से उस हालत में जब कि नीम के थाने से आये हुए माननीय सदस्य ने एक संशोधन रखा है और उसको उन्होंने स्वीकार किया है और उससे किसी हद तक उसका स्कोप कम हो जाता है, लेकिन फिर भी यह एक खतरनाक क्लॉज़ है, उसको हटा देना बहुत जरूरी है।

इसके साथ ही इसमें जो ड्यूटीज़ दी गई हैं उसमें १६ बातें इसमें रखी गई हैं लम्बरदार के लिए। क्लॉज़ ४७ से यह भान होता है कि १७ बातों के अलावा वह कोई भी रीज़नेबल ऑर्डर दे सकता है। तो इतना वास्ट स्कोप हो जाता है लम्बरदार के वास्ते कि वह चाहे कुछ ऑर्डर दे सकता है। उसका डिसओबे होने पर जुर्माना करवा सकता है, जैसा कि इसमें प्रोवाइड किया गया है। वैसे तो लम्बरदार की ड्यूटीज़ दी गई हैं, उन ड्यूटीज़ को परफोर्म करने की जिम्मेवरी उसकी खुद की है, ड्यूटीज़ परफोर्म नहीं होती हैं तो जुर्माने का भागी उसको होना चाहिए, न कि दूसरा व्यक्ति। कई बातें ऐसी हैं कि टू रिपोर्ट; तो बहुत सी बातें रिपोर्ट करने की उसकी ड्यूटी रहती है, न कि दूसरे की। अगर वह उससे हैज़ीटेट करता है, तो जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है न कि किसी दूसरे परसन की।

इसके अलावा 'टू प्रिवेन्ट' भी इस क्लॉज़ में दो-तीन जगह आता है। तो प्रिवेन्ट करने की क्लॉज़ का पालन करने के लिए उसको खुद को अपनी जागीर से काम अन्जाम देना चाहिए, न कि दूसरे आदमी से इमदाद लेवे। दूसरे आदमी से इमदाद लेने के वास्ते उसको ऑर्डर देकर वह अपने खुद की जिम्मेवरी से बरी होना चाहे तो मेरे ख्याल से वह इन ड्यूटीज़ से जो कि इसमें प्रोवाइड की गई हैं, आने वाली जिम्मेवरी से अपने आपको बचाता है। उन ड्यूटीज़ को परफोर्म करने से वह बचता है। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से यह जो क्लॉज़ है वह बिल्कुल ही बेकार है, और यह एक बहुत बड़ी ताकत को देने वाली है जब कि नाजायज तरीके से इस्तेमाल की जायगी लम्बरदार के द्वारा। 'एनी परसन' से इतना वास्ट स्कोप हो जाता है कि जो १७ प्रोवाइडेड ड्यूटीज़ हैं उनसे बाहर निकल जाता है। इस क्लॉज़ में, मैं समझता हूँ, जो १७ प्रोवाइडेड ड्यूटीज़ हैं उनके वास्ते जिम्मेदार वह खुद है न कि दूसरे आदमी से उसके वास्ते मदद लेवे। यह तानाशाही वहां पर चलाने के वास्ते यदि क्लॉज़ ४७ को प्रोवाइड किया गया है तो यह बात दूसरी है। ऐसी क्लॉज़ और ऐसे

[रावत श्री शम्भूसिंह]

कानून तो भूतपूर्व रियासतों के वक्त में भी नहीं थे। रियासतों में भी कहीं पर लम्बरदार को यह अधिकार नहीं थे कि 'एनी परसन' को मनचाहा ऑर्डर दे दें, और एनी रीजनेबल ऑर्डर चाहे जिसको आप कह सकते हैं....

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, ११.१८ पर पदासीन)

और विटनेस चाहे जितने प्रोड्यूस कर सकते हैं और झूठी शहादत उस गांव के रहने वाले उसके डर से जरूरी तौर पर दे देंगे और जो विटनेस वह प्रोड्यूस करेंगे तो नेचुरली जो कुछ भी ऑर्डर वह देगा, वह रीजनेबल हो जायगा। तो यह बहुत खतरनाक पॉवर दे रहे हैं। जब कि सामन्तशाही और राजशाही के वक्त में यह नहीं था तो आज तो हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और अगर यह तहसीलदार साहब के पास कन्वेन्शन रह जायगा कि गांव के लोगों पर सब बातें छोड़ दे तो सारी बातें पंचायतों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ दें। पंचायतों को ही सब काम करने के लिए बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये थे। बहुत सी बातों को पंचायतों के क्षेत्र में देने से आनाकानी की जा रही है और उसके नीचे के लेवल के आदमी को इतने बड़े अधिकार दिये जाते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

इस वास्ते मेरे ख्याल से इसकी भयंकर ताकत माननीय नीम के थाने से आने वाले सदस्य ने जो सुझाव रखा है उससे कम हो जाती है। फिर भी इसकी अनावश्यकता तो रहती ही है। इसलिए मैं राजस्व मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इसे वे बिल्कुल ही डिलीट कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के ऊपर दूसरा अमेन्डमेन्ट जो नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया उसके बाद मैं समझता था कि अब इसका विरोध नहीं होगा। यह तो रीज़नेबल बात है कि पटेल को जो ड्यूटीज़ (Duties) दी हैं कानून के अन्तर्गत, जब तक उसको सुचारू रूप से पूरा करने की सहूलियत नहीं हैं, ड्यूटी डिस्चार्ज करने की सहूलियत नहीं है, उस आदमी को रोकने का उसको अधिकार नहीं है जो उसकी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने में बाधा डालते हैं तो उसको ड्यूटीज़ देना और फंक्शन्स रखना बेकार होगा। जैसे मान लिया जाय कि सब क्लॉज़ (४) के अन्तर्गत यदि एक आदमी पब्लिक पाथ पर एन्क्रोचमेन्ट करता है, दरख्तों को काटता है और लंबरदार उसको रोकता है और वह नहीं मानता है तो उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा, यदि क्लॉज़ ४७ नहीं रखी जाती है। यदि कोई आदमी पब्लिक पाथ पर एन्क्रोचमेन्ट करता है, अनऑकुपाइड लैंड पर एन्क्रोचमेन्ट करता है वहां से दरख्त काटकर उनका इस्तेमाल करता है, सर्वे के मार्कस् को डेस्ट्रोय करता है, तो क्या उसको नहीं रोका जाय ? उसको रोकना बहुत जरूरी है और यह उसका फर्ज है कि वह उसे रोके और अगर कोई आदमी उसके ऑर्डर को डिसओबे करता है तो उसके लिए सजा तजवीज होना आवश्यक है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

इसी ख्याल से सी. पी. के लैंड रेवेन्यू एक्ट की लाइन्स पर एक अमेन्डमेन्ट नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको स्वीकार करना चाहिए। मेरे ख्याल से संशोधित धारा स्वीकार होनी चाहिए और सब अस्वीकार होने चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसको अभी राजस्व मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है। इससे मेरे मूल संशोधन की रीजनेबलनेस स्वीकार करली गई है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जब इस बात को रीज़नेबल करार देकर बाकी तीनों को सिलसिले में अधिकार दे दिया है तो मुझे यह बिल्कुल समझ में अब तक नहीं आता है कि जिन कार्यों का जिम्मा हमने पंचायतों को दे दिया है उन कार्यों के सिलसिले में फिर लंबरदार को अलग से राइट्स देने की क्या आवश्यकता है ? मैं क्लॉज़ ४६ के सब क्लॉज़ (४) (५) और (६) जिनका उल्लेख नीम के थाने से आने वाले सदस्य ने अपने संशोधन में किया है उनकी ओर विशेष करके एक एक करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और आपके जरिये सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

सब क्लॉज़ (४) में लंबरदार की यह ड्यूटीज़ दी गई हैं : "to report, and if possible to prevent, encroachments on public path and roadways in the area for which he is appointed."

सबसे पहली बात तो यह है कि यह ड्यूटी है "इफ पोसिबल टू प्रिवेन्ट"। मेरा जहां तक ख्याल है "इफ पोसिबल टू प्रिवेन्ट" की ड्यूटी जो है उसके सिलसिले में यदि कोई ऑर्डर वह दे तो उसका उलंघन करने वाले का आखिर क्या होगा, इस भावना से माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है। लेकिन रोड्स का प्रोटेक्शन करना, उस पर किसी को एन्क्रोचमेन्ट नहीं करने देना, अनऑकुपाइड लैंड पर एन्क्रोचमेन्ट नहीं करने देने का अधिकार हमने पंचायतों को दिया है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यदि पंचायतों को यह अधिकार दिया है और पंचायतें स्वतंत्र रूप से कोई कार्यवाही करेंगी तो उसका तात्पर्य यह होगा कि एक रेवेन्यू का कर्मचारी है, उसका नाम है, लंबरदार; वह अलग रूप से इन्हीं बातों के लिए जुरिस्डिक्शन रखता है, दंड देने का और पंचायतें अलग रूप से दंड देने का अधिकार रखती हैं। जब यह जिम्मा पंचायतों का रखा है तो फिर बार बार लंबरदार को न तो ड्यूटी देने का अधिकार है और यदि ड्यूटी दे दी गई है तो फिर उनको यह अधिकार देना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वे दंड दे सकें। माननीय मित्र ने सी. पी. के लैंड रेवेन्यू एक्ट का जिक्र किया लेकिन वे भूल गये कि वह एक्ट कौनसे साल का है। यह सही है कि पुराने जमाने में ऐसा होता था। पुराने जमाने में राजाओं और अंग्रेजों के टाइम में उनके एजेन्ट्स गांवों में लंबरदार होते थे। अब उसमें तब्दीली हुई है और यह तब्दीली हुई है पंचायतों के नाते और जब पंचायतों को अधिकार दे दिया है तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आवश्यकता है लंबरदारों को यह अधिकार देने की ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir, the C. P. Land Revenue Act is amended upto 1955.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But the clause in question has been in the statute book right from 1898.

श्री दामोदरलाल व्यास—Was there any Land Revenue Act in 1898 ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—But the order issued. If my Hon'ble friend cares to find out from the history of land revenue, is under the C. P. (which is now called Madhya Pradesh) Tenancy Act.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Tenancy and Revenue are different.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But both are placed more or less at the same time. But then the particular clause which is under question has been on the Statute Book.

मैं यह अर्ज कर रहा था कि ऐसे पुराने एक्ट की दलील मौजू नहीं होती। पंचायतों को अधिकार देने के बाद आप यह अधिकार लम्बरदार को दें यह तो अन्यायपूर्ण होगा ही लेकिन मैं दूसरी बात का उल्लेख कर रहा था; वह यह है कि आखिर एन्क्रोचमेन्ट के मामले हैं वे सब्जेक्ट मेटर ऑफ डिस्प्यूट होंगे १०० में से ९९ केसेज़ में एन्क्रोचमेन्ट करने वाला कहता है कि यह एन्क्रोचमेन्ट नहीं है और उसको डिटर्मिन करना किसी अदालत का काम होता है। अब हमने काफी काम पंचायतों को दिये हैं, जिनकी अपील तहसील पंचायतों में होगी। आया यह एन्क्रोचमेन्ट हुआ या नहीं इस सिलसिले में कानूनी तौर पर निर्णय देने का अधिकार एक प्रकार से अदालत का ही है और वही निर्णय करती है कि एन्क्रोचमेन्ट हुआ या नहीं। इसी सिलसिले में लम्बरदार को अधिकार देने पर लम्बरदार कहेगा कि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है इसलिये उस पर जुर्माना होना चाहिये यह अलग से होगा। इस प्रकार का जुर्माना करने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है। इस प्रकार यह न सिर्फ ड्युअल पॉवर होगी बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह बिल्कुल अन्यायपूर्ण चीज़ होगी। पंचायत के निर्णय की अपील तहसील पंचायत के पास जायगी और उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जा सकती है। यदि पंचायत ने महसूस किया कि फलां मामले में एन्क्रोचमेन्ट नहीं है और लम्बरदार ने कहा कि यह एन्क्रोचमेन्ट है तो ऐसी हालत में क्या होगा। क्या आज्ञा का उलंघन करने वाले को दण्ड मिलेगा? यदि दण्ड मिलेगा तो इससे बढ़कर अन्याय कोई दूसरा नहीं होगा। वह एन्क्रोचमेन्ट है या नहीं; इसका निर्णय जब तक नहीं होता तब तक यह निश्चयात्मक कहा नहीं जा सकता कि इस कार्य को कौन करेगा? यदि लम्बरदार करेगा तो पंचायत और तहसील पंचायत बेकार हो जाती है। इसलिये मैं कहूँगा कि पब्लिक प्लेस, अनऑकुपाइड लैंड आदि का जो प्रोविजन कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन का जिम्मा पंचायतों का है, उनको अधिकार है। इसके उपरान्त लम्बरदार की पूंछ इसमें डालने की कोई आवश्यकता

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नहीं है। आप अपने आदमियों को अधिकार देना चाहते हैं जो पब्लिक के चुने हुये आदमियों को पहले ही से दिये गये हैं।

तीसरा पोइन्ट है सर्वे मार्क्स का।...

श्री उपाध्यक्ष—आप क्या रिप्लाई दे रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं बिल्कुल रिप्लाई दे रहा हूं। आगे सब क्लॉज का अमेन्डमेन्ट रखा है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सब क्लॉज़ (६) है, जिसमें सर्वे मार्क्स का उल्लेख है। इस सिलसिले में लम्बरदार को क्या अधिकार दिया गया है, यह भी आपके जरिये मैं सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा।

"(vi) " to preserve such stations and marks erected in the area for which he in appointed."

यहां इसकी ड्यूटी यह दी है कि वह सर्वे मार्क्स की निगरानी करेगा। यदि ऐसा संशोधन मेरे माननीय मित्र लाते कि उस ड्यूटी को करते वक्त लम्बरदार को कोई ओब्स्ट्रक्ट करे और उसके बारे में प्रोविजन करते तो समझ में आता कि...

"who obstructs the Lambardar while discharging the duty under Section 46 (vi)."

तो समझ में आता। पर इसको ड्यूटी दी है प्रिजर्व करे, वह दूसरों को आदेश नहीं दे सकता कि तू प्रिजर्व कर, तो वह क्या आदेश देगा कि तू इसको तोड़ मत। यदि लम्बरदार को केवल यह आदेश देने का अधिकार दे रहे हैं तो इस एक्ट में आगे जाकर प्रोविजन किया है कि जो सर्वे मार्क्स को डेस्ट्रोय करेगा उसको यह सजा दी जायगी। तो इसके लिये अलग सजा रखी है।

तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सर्वे मार्क्स को तोड़ने की सजा अलग है। कायम रखे ऐसा ओर्डर रखना, इस कार्य में बाधा देता है, तो दण्ड है। कोई इस ओर्डर को निग्लेक्ट करे तो उसके लिये क्या है ?

वह ऑर्डर दे सकता है कि तू प्रिज़र्व कर तो ठीक है, ओर्डर नहीं दे सकता तो पेनेल्टी किस बात की देंगे ? तोड़ने की ? तोड़ते हुए पाया गया तो इसकी पेनेल्टी आगे जबरदस्त रखी हुई है। हम इस तरह की धाराएं रख कर एक एब्सर्ड चीज रखेंगे; एक चीज की दो सजाएं मिलेंगी।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैं इसके लिए फिर से दर्ख्वास्त करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय और मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय, मुझे यही इस सिलसिले में अर्ज करना है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि मेरे माननीय दोस्त ने जो पोइन्ट्स उठाये हैं वे काफी विचार करने लायक हैं, इसलिये इसे कल पर रखा जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आज कर लो न।

श्री उपाध्यक्ष—क्या यह सारा क्लॉज़ कल के लिये मुल्तवी करने की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

कल के लिये मुल्तवी किया जाता है।

(विराम)

क्लॉज़ ४७ ए., श्री हिम्मतसिंह।

राज श्री हिम्मतसिंह—यह क्लॉज़ ४७ ए. एड करने के लिए मैंने अमेंडमेंट दिया है। माननीय श्री चांदमल मेहता का ऐसा अमेंडमेंट आया है। माननीय राजस्व मन्त्री ने इसका जिक्र किया है। ५६ के साथ इसको एकोमोडेट करेंगे, ऐसा संशोधन भी एक है। अगर ऐसा हैं तो मैं इसे मूव करना नहीं चाहता।

श्री दामोदरलाल व्यास—(अश्रव्य)

राज श्री हिम्मतसिंह—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ ४८, श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४८ में मेरा संशोधन यह है कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य—पूरे को ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां, पूरे को। वैसे जब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बारे में चर्चा हो रही थी तो मैंने उल्लेख किया था कि मौजूदा रेवेन्यु एक्ट के जरिये जो हम मशीनरी तैयार कर रहे हैं वह मशीनरी हमारे प्रजातन्त्र के दावे से मेल नहीं खाती और इसकी सबसे बडी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मिसाल अगर कोई है तो वह है क्लॉज़ ४८। इसमें दो विशेष व्यक्तियों की नियुक्ति का उल्लेख है। एक तो विलेज़ वाचमेन, या चौकीदार और दूसरा विलेज बलाई। इसके अलावा और कोई सर्वेन्ट राजस्थान सरकार उचित समझे उनके बारे में अधिकार दिया हुआ है। पर आगे जो यह क्लॉज़ है उसके मुताबिक विलेज़ वाचमेन, या चौकीदार या दूसरा गांव बलाई, मैं समझता हूं कि ये दोनों पोस्ट क्रियेट की गई हैं और रेवेन्यु ढांचे का उल्लेख है वह न सिर्फ अनावश्यक है, बल्कि खतरनाक है और मौजूदा प्रजातन्त्र प्रणाली के खिलाफ है।

सब से पहले मैं गांव बलाई के बारे में अर्ज करूंगा। गांव बलाई की ड्यूटी क्या है, हरेक माननीय सदस्य जानते हैं। सबसे बडी ड्यूटी यह है कि सरकार का कोई अफसर आये, चाहे तहसीलदार हों या मन्त्री महोदय हो, गांव वालों को इसकी सूचना देकर गांव वालों को इक्ट्ठा करने का काम गांव बलाई का है। इसको मैसेन्जर समझ लीजिये, यह ड्यूटी गांव बलाई की है।

जहां तक चौकीदार की ड्यूटी का सवाल है इसकी ड्यूटी बहुत बडी है। कोई भी अनलाफुल एक्टीविटी का अन्देशा हो, लॉ एन्ड ऑर्डर के भंग होने का अन्देशा हो, लगान देने न देने के बारे में सूचना कि आगे साल का लगान देंगे या नहीं देंगे, इस प्रकार की सूचना देने का और पुलिस के मातेहत एक सी. आई. डी. की ड्यूटी करना विलेज़ सर्वेन्ट के नाम से चौकीदार मुकर्रर होता है उसकी ड्यूटी है।

ऐसी ड्यूटी देने वालों के लिये कोई स्टेटस निर्माण करना चाहिए। इसके लिये अंग्रेजों ने उसको अख्त्यार भी दिये और गांव में उसकी हुकूमत चलाने की स्थिति पैदा की। शहरों में अनाड़ी मजिस्ट्रेट होते थे, वैसे ही गांवों में यह चौकीदार और गांव बलाई की प्रणाली है। जिस प्रकार राय बहादुर, राजा साहब की उपाधियां होती थीं उसी प्रकार की यह प्रणाली है।

मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि इन चीजों की अब आवश्यकता ही क्या है? गांव बलाई की ड्यूटी है इतल्ला करने की। आपके गांवों में पंचायतें होती हैं, पंचायतों से इसकी सूचना देने की आवश्यकता है। पंचायतें अपने चपरासी मुकर्रर करेंगी और गांव को सूचना देने का कार्य उसके जरिये किया जाता है।

जहां तक चौकीदार का सवाल है मैं पूछूंगा कि यह चौकीदार किसके लिये! किसके लिये गांवों में चौकीदार बैठा रहे हैं? हम लोगों के लिये? जो अपने आपको प्रतिनिधि सरकार कहती हैं..

मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कम्युनिस्टों के लिये सरकार चौकीदार बैठाती है। अगर कम्युनिस्टों के लिये है तो उनके लिये तो सी आई डी हैं ही, सेंसर करने में, रेल में वाच करने में वे लगे हुए हैं ही; जब गांव गांव में हो जायगा

Page No.96

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो मैं अर्ज कर रहा था कि यह किसके खिलाफ आप चौकीदारी बिठा रहे हैं। हम इस बात का दावा करते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और यह सरकार भी जनता के प्रतिनिधियों की है जो उन्हीं लोगों के द्वारा चुने हुए है। इसके अलावा हमें आप लोगों का विश्वास प्राप्त है और इसके अलावा भी हमने ऐसी कई संस्थाओं का निर्माण कर दिया है जिसमें पंचायतें विशेष रूप से हैं। जिनको भी इसी प्रकार गांव के लोगों का विश्वास प्राप्त है, तो ऐसी सूरत में जिन लोगों को अपना राज्य चलाना है, उन्ही के हम प्रतिनिधि हैं, उन्हीं लोगों पर चौकीदार कैसे बिठाना होगा ? यह समझने की बात है। चौकीदारी तो वे लोग बिठाते थे जो जबरदस्ती राज्य करते थे। अंग्रेज चौकीदार बिठाते थे क्योंकि गांव में लगान वसूल करना होता था तो वह उसके जरिये करते थे। जो वे आदेश देते थे वे उसके मारफत भेजते थे। वे एक आदमी को अपना गुर्गा बना कर रखते थे जो उनके लिये काम करता रहता था। लेकिन आज हम कहते हैं कि जनता के हम चुने हुए हैं। गांव की पंचायतें वहीं के लोगों की चुनी हुई होती हैं फिर उनके खिलाफ आप क्या चौकीदार रखेंगे ? पंचायत के पंच गांव के चुने हुए होते है और जब आप चौकीदार रखते हैं तो वह चोकीदार उन पर नहीं है तो किसके खिलाफ है। आप चौकीदार रख कर वही पुराना अंग्रेजों का दकियानूसी तरीका, वही पुराने का पुराना ढांचा और वही पुरानी की पुरानी मशीनरी कायम कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या होगा ? उसका नतीजा यह होगा कि हम इस प्रकार से एक डायरी ओफ ओफिसर्स का निर्माण करेंगे। छोटों के लिये छोटे और बडों के लिये बड़े। छोटे ऑफिसरों के लिये गांव के चौकीदार और बलाई होंगे जो उनके कमिशन एजेन्ट के रुप में होंगे और गांव के लोगों से उनको उनकी पैदावार में से कुछ हिस्सा देते रहेंगे जिसके जरिये वे जिन्दा रहेंगे। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिये ऊपर की नौकर शाही के लोग हैं उनके इशारे पर दलबन्दियें निर्माण करेंगे। किसी को टुकड़ा डाल दिया जावेगा और वह आपस में सर फुड़ावेगा। अभी भी ऐसा हो रहा है और इस बात को हमें मानना होगा। यदि माननीय मंत्री यह कहते हैं कि हम प्रजातन्त्र के हिमायती है समाजवादी हैं, हम तो सत्ता प्राप्त कर चुके हैं और बात बात में प्रजातन्त्र की दुहाई ला रहे हैं, उनको जवाब पूछना पड़ेगा कि वे चोकीदार किस लिये रख रहे हैं ? इनका क्या कर्तव्य होगा, ये लोग उनको रिपोर्ट दिया करेंगे कि क्या हो रहा है। इसलिये इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और यह चौकीदारी प्रथा है वह गलत प्रथा है। यह गाँव में दलबन्दी पैदा करने वाली है। पंचायतों के अधिकारों को हनन करने वाले हैं और आम तोर से प्रजातन्त्र पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। अतः इस प्रणाली को कायम रखना किसी भी प्रजातन्त्र के लिये शोभा की बात नहीं। अगर आपको चौकीदारी की प्रथा रखनी ही है तो आप भी अंग्रेजों की तरह कह दीजिये कि हमको किसी का विश्वास नहीं है, हमको तो लाठी और डन्डे से हकूमत चलानी है। मगर आप तो यह दुहाई दे रहे हैं कि हम तो लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं तो चौकीदारी रखना किसी भी प्रकार से वाजिब नहीं, पंचायतों के द्वारा गाँव का सारा का सारा हाल मालूम हो सकता है। पंचायतें गांव का सारा हाल जानती हैं। किसी भी गांव की पंचायत वालों से वहां के गाव की हलचल छुपी नहीं रहती है। जिस गांव में पंचायते हैं, उस गांव में पंचायतों के होते हुए भी उन पर चौकीदार किस प्रकार बैठा रखना है इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और इसका माननीय मंत्री जी को उत्तर देना होगा। उनका उत्तर इस बात का साक्षी होगा कि किस प्रकार पुरानी

(श्री हरिकृष्ण व्यास]

मशीनरी के अनुसार हम पर चौकीदारी रहेगी और वे लोग रिपोर्ट देंगे जिसको मिटाने के लिये वास्तव में हमने अपने प्राण दिये । इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और अंग्रेजों के जमाने में जिस प्रकार दकियानूसी नीति काम में ली जाती थी उस नीति का प्रयोग यहां नहीं करेंगे ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने क्लॉज़ ४५ का जो संशोधन पेश किया है तो जहां तक संशोधन का ताल्लुक है वहां तक तो मैं उसका समर्थन करता हूँ ।

श्री चांदमल मेहता—पहले सब संशोधन ले लिये जावें ।

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ को डिलीट करने के बारे में मेरा भी एक संशोधन था पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर दिया है इसलिये मैं उनके संशोधन का समर्थन करता हूँ ।

माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ ४८ के मातहत हम तीन प्रकार की श्रेणी के लोगों की नियुक्ति गांव की सेवा के लिये करेंगे :

(१) पहला होगा, a village watchman or chowkidar,

(२) दूसरा होगा, a village Balai, and

(३) तीसरा होगा, such other village servants as the State Government may from time to time notify in the Rajasthan Gazette.

अब क्लॉज़ ४८ के मातहत आपने उनकी नियुक्ति कर ली या कर लेते हैं तो जो इस कानून में उनकी ड्यूटीज़ निर्धारित की गई हैं वह क्लॉज़ ५३ के मातहत हैं और उसमें केवल इतना सा हमको मिलेगा कि " Every village servant, other than a village watchman, appointed under this Act, shall perform such duties as may be imposed on him by rules made under this Act. "

इस तरह से अभी "(i) a village watchman or Choukidar, or (ii) a village Balai, "

उनका क्या काम होगा ? उसके लिये सरकार ने नियम बनाने के अधिकार क्लॉज़ ५३ में लिये है और जब क्लॉज़ ५३ पास हो जावेगा तो वह अधिकार सरकार के पास चले जावेंगे ।

[श्री भैरोंसिंह]

मगर हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें गांवों की व्यवस्था करनी है। जिस तरह पहले राजस्व मंत्री ने बताया कि लंबरदार की आवश्यकता है और उन्होंने उसकी ड्यूटीज़ भी निर्धारित की अगर हम उसकी ड्यूटीज़ को देखे तो हमें मालूम होगा कि इस प्रकार के अधिकार हमने पंचायतों को दिये हैं। मगर यह कानून की भावना उनके समझ में नहीं आई कि जब लम्बरदार को काम दे दिया है तो फिर विलेज बलाई के लिये क्या काम रहता है। इस पर उनको विचार करना पड़ेगा और उसके बाद उनके ध्यान में आवेगा कि लम्बरदार की ड्यूटीज़ के अलावा कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम वाच मेन और विलेज बलाई से ले सकते हैं। अगर यह होता कि इस प्रकार की ड्यूटी लम्बरदार की होगी, इस प्रकार की ड्यूटी वाचमेन और बलाई की होगी और उस ही प्रकार का कानून बनाया जा रहा है तो वह ठीक होता लेकिन जब हम कानून को देखते हैं तो इस प्रकार का जिक्र नहीं पाते। मालूम होता है कि सरकार के ध्यान में विलेज बलाई और चौकीदार से क्या काम लिया जावेगा यह नहीं है। अगर होता तो इस क्लॉज़ में उसका जिक्र नजर आता। जितनी ड्यूटीज़ थीं वे सब तो आपने लम्बरदार के साथ लगादीं, अब आपने विलेज चौकीदार के लिये रखा क्या है।

"53. (1) Every village servant, other than a village watchman, appointed under this Act. shall perform such duties as may be imposed on him by rules made under this Act.

(2) Every village watchman appointed under this Act shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred and imposed on him by rules made under this Act or as may be required of him by the Superintendent of Police."

जब हम वाचमेन के लिये ड्यूटीज़ निर्धारित करने का काम उस जिले के सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस के हाथ में देते हैं तो ख्याल ऐसा होता है कि गांवों में सुरक्षा की दृष्टि से, गांवों में लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने की दृष्टि से हमें वाचमेन की आवश्यकता रहती है। अब देखना यह है कि गांवों की सुरक्षा और राजस्व विभाग का काम किसके सहयोग के ऊपर निर्भर है ? हमने पुलिस का महकमा अलग बना रखा है, पुलिस के लिये थाने अलग बना रखे हैं, पुलिस के लिये चौकियां अलग बना रखी हैं, पुलिस को यह प्रबन्ध दे रखा है कि गांवों की सुरक्षा करे, लॉ एन्ड ऑर्डर किस तरह से मेन्टेन हो सकता है उसका उपाय करे, गांवों में शांति बनी रहे उसका उपाय करे। हम यह कैसे देखेंगे कि अमुक गांव में शांति नहीं है, अमुक गांव में चोरी हो गई है, अमुक गांव में चौकीदार की आवश्यकता है, अमुक गांव में लॉ एण्ड ऑर्डर बनाये रखना है। राजस्व का इससे सम्बन्ध नहीं। उसका काम है लगान वसूल करना, लगान वसूली के सम्बन्ध में क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन करना, काश्तकारों और राज्य के बीच ठीक सम्बन्ध बनाये रखना, किन्तु उसका यह काम नहीं है कि लॉ

[श्री भैरोंसिंह]

एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन किया जाय। उनका यह काम नहीं है कि चौकीदारों पर कन्ट्रोल रखकर के गांवों में चोरी न हो उसका प्रबन्ध किया जाय। मैं मानता हूं कि प्रत्येक ग्रामवासी की यह ड्यूटी रहती है, उसका कर्तव्य रहता है कि गांव में चोरी न हो, गांवों में सुरक्षा हो, गांवों में शांति रहे, लेकिन अगर हम कानून के द्वारा किसी व्यक्ति पर इस प्रकार का कानूनी बन्धन डालते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे विभाग से इसका सम्बन्ध है या नहीं, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इसका अधिकार है या नहीं और हमारा उससे सम्बन्ध है या नहीं। गांवों में लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिये कन्ट्रोल पुलिस का रहता है न कि राजस्व विभाग का। किसी तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी की आवश्यकता नहीं लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिये। अगर लॉ एन्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने का काम है तो पुलिस का है। पुलिस वाले देखेंगे कि गांवों में शांति है अथवा अशांति अगर उनको लॉ एन्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिये विशेष व्यक्तियों की नियुक्ति की आवश्यकता हुई, अगर उस लॉ एन्ड ऑर्डर को बनाये रखने के लिये किसी विशेष पद की आवश्यकता हुई तो वह सही हो सकता है, वास्तव में उनका हमेशा काम पड़ता है। जब उनका काम पड़ता रहता है तो वे सही माने में सोच सकते हैं कि किस गांव में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है और किस गांव में कितनों की आवश्यकता है। लॉ एन्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिये कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है यह वे ही सोच सकते हैं। राजस्व विभाग को इसके लिये आवश्यकता नहीं। यदि राजस्व मन्त्री यह कहें कि राजस्व सम्बन्धी मामलों में लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिए इनकी आवश्यकता है, गांवों में शान्ति बनाये रखने के लिए चौकीदारों की आवश्यकता है राजस्व की दृष्टि से तो यह गलत होगा। उन्होंने चौकीदारों की ड्यूटी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस पर छोड़ी है। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस उन चौकीदारों को जो आज्ञा देंगे वे वैसा ही करेंगे और इससे यहसही है कि उनका सम्बन्ध राजस्व से नहीं होगा। इन सूरतों में भी यदि उनका सम्बन्ध राजस्व विभाग से रखा जाता है तो वह अन्यायपूर्ण होगा, वाजिब नहीं होगा, अनुचित होगा और उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। एक तरफ तो चौकीदारों पर कन्ट्रोल होता है पुलिस का और दूसरा होता है राजस्व का। उनमें आपस में संघर्ष होगा। एक ऑर्डर देगा कि लॉ एन्ड ऑर्डर के लिए तुमको अमुक काम करना चाहिए और दूसरा ऑर्डर देगा कि नहीं तुमको यह काम करना चाहिए। एक काश्तकार ने लगान नहीं दिया और तहसीलदार आज्ञा देता है कि फलां व्यक्ति को पकड़ कर ले आओ, वह पकड़ कर ले आता है। इधर पुलिस के लोग कहेंगे कि कानून में इस तरह पकड़ कर नहीं लाया जा सकता, कानून के अनुसार कोई एक्शन इस प्रकार का नहीं ले सकते, उस व्यक्ति पर हाथ नहीं डाल सकते, अगर उसको पकड़ना है तो पहले उसके लिए सम्मन जारी करो और अगर सम्मन नहीं है तो केवल सूचना देकर तहसील में हाजिर नहीं कर सकते, लेकिन राजस्व विभाग जितनी अनुचित कार्यवाहियां होंगी करायेगा, जो गांवों में सम्भव हो सकेगा वे करावेंगे, चौकीदार रखे हैं उनसे चुनावों का सारा काम भी करावेंगे।

यदि हम शांति के वातावरण की दृष्टि से देखें तो यह गैर जरूरी मालूम होगा कि राजस्व को इस प्रकार के अधिकार दिये जांय। अगर इस प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं तो उन

[श्री भैरोंसिंह]

अधिकारों का दुरुपयोग होगा। चुनावों के वक्त मदद करने के लिए चौकीदारों की आवश्यकता होगी, चौकीदारों पर उनका पटेल होगा और जैसा कहेंगे, जिस तरह से करना चाहेंगे वे करेंगे, कहेंगे गरीब जनता को इस चौकीदारी प्रथा के कारण दबाने की चेष्टा करेंगे, कि अमुक व्यक्ति को वोट दो, नहीं तुमको देना पड़ेगा, अगर वोट नहीं देते हो तो जानते हो मैं सरकार का चौकीदार हूँ, जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिस के हाथ में चौकीदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और अब उस राजस्व विभाग के हाथ के चौकीदारों को बैठा देते हैं जिनका दुरुपयोग होता आया है और आयन्दा चुनावों में भी दुरुपयोग होगा। अगर उनके हाथ में यह अधिकार दे दिया जाता है तो चौकीदारों का दुरुपयोग किया जायगा।

("चुनाव का भूत सवार हो गया है," ऐसी आवाज)

चौकीदारों को दबाया जायगा कि तुम सरकार के पक्ष में वोट डलवाओ, नहीं तो तुम्हारी चौकीदारी खत्म करदी जायगी, पटेलों को दबाया जायगा कि तुम सरकार के पक्ष में वोट डलवाओ नहीं तो तुम्हारी पटेलियात खत्म करदी जायगी और वे अपनी चौकीदारी को और अपनी पटेलियात को बचाने के लिये लोगों पर अंकुश डालेंगे कि तुम सरकार के पक्ष में वोट दो नहीं तो चौकीदार कहेगा कि हवेली को ताला लग जायगा, वह एक तरफ बैठ जायगा और चोरी करा दी जायगी और जब वोट देकर वापिस आवेंगे तो कहेगा कि चोरी हो गई, जब तुम वोट देने गये थे। चौकीदारी का जहां तक पुलिस से सम्बन्ध है हमने उसको मान्यता दी है अगर आवश्यकता हो तो? लेकिन राजस्व से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसके खिलाफ बराबर आवाज उठायी गई है आप लोगों के द्वारा कि यह बुरी है और उसी चौकीदारी प्रथा का राजस्व विभाग से सम्बन्ध रख कर निर्माण करना चाहते हैं तो जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि यह प्रजातन्त्र प्रणाली के प्रतिकूल होगी और वास्तव में यह उसी प्रकार होगी।

दूसरा मैंने रखा है विलेज़ बलाई की नियुक्ति के बारे में। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि विलेज़ बलाई की ड्यूटीज़ निर्धारित नहीं की गई हैं और नियम बनाने का अधिकार दिया; तो सरकार के सामने स्पष्ट कल्पना नहीं है कि विलेज़ बलाई की ड्यूटीज़ क्या होंगी, सरकार के सामने स्पष्ट कल्पना नहीं है कि उनको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे और कौन २ से काम नहीं करते हैं तो उनको सजा मिलेगी। उनकी ड्यूटीज़ का इसमें स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए था कि विलेज़ बलाई की ये ये ड्यूटीज़ होंगी, पटेल उनको कौनसी कौनसी ड्यूटीज़ करने के लिए मंजूर करेगा? कहा गया कि नियम बनावेंगे। लम्बरदार के लिए काम निर्धारित कर दिया गया है, ड्यूटीज़ निर्धारित की हैं। फिर कोई दलील नहीं है कि लम्बरदारों से नीचे के लोगों के लिए अलग नियम बनने वाले हैं। इस कानून के द्वारा ही सदन के सामने रखते, लेकिन रखा नहीं। विलेज़ बलाई का मतलब वही है जिनको गांवों में गांव बलाई कहते हैं, जिनको गांवों में गांव भांभी कहते हैं। गांवों में वे कोतवाल के नाम से पुकारे जाते हैं या राज बलाई भी कहते हैं। जब हम गांवों में जाते हैं तो गांव बलाई की आवश्यकता क्या है, यह देखते हैं। हम उनको बेगारी के रूप में देखते हैं, सरकार की ओर से बेगार करने वाले

[श्री भैरोंसिंह]

हैं, बेगार करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है । क्या यह कानून संगत है । आज जितनी बेगार ली जाती है पहले इसके लिए कोई कानून नहीं था, कोई बेगार देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था । राजस्थान में कोई इस प्रकार का कानून नहीं था, पंचायत एक्ट में धारा रखी गई कि पंचायत आवश्यक समझे तो किसी व्यक्ति को मजबूर कर सकती है कि तुमको अमुक काम करना पड़ेगा, तुमको अमुक बेगार देनी पड़ेगी, उस चीज़ को सरकार ने निर्धारित कराया । इधर राजस्व विभाग द्वारा भी गांव वालों पर बेगार लगाई जाती है और इस कानून के द्वारा गांव बलाई को नियुक्त करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि इधर तो इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है और उधर गांवों में जाकर लोगों को इकठा करते हैं, उनसे तकलीफ की बात पूछते हैं महसूस करते हैं कि वाकई सरकार से तनख्वाह मिलते हुए भी बेगार ज्यादा है, कोई विशेष चीज़ नहीं मिलती और इसलिये गांव बलाई और बेगारी की प्रथा को खत्म करने वाले हैं । यदि प्रशासनिक दृष्टि से इसकी आवश्यकता पड़ती है वह दृष्टिकोण दूसरा हो सकता था लेकिन केवल चुनाव की दृष्टि से ही इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता मालूम पड़ी है और गांव गांव में इस प्रकार से गांव बलाइयों को रखने से हित समझा गया है क्योंकि इस प्रथा को चालू नहीं रखते हैं तो जब वह बरखास्त होगा तो वह उनके खिलाफ प्रचार करेगा और जब उसको रख लिया जाता है तो भी मजबूर होकर उनका प्रचार करेगा क्योंकि उन पर अधिकारियों का अंकुश रहेगा, जब वह उस पद पर बने रहना चाहेगा सरकारी कर्मचारियों, जिन पर कि नेताओं का असर होगा तो वे उनको खुश रखने के लिए उनकी बात को रखेगा और यदि नेताओं को खुश नहीं रखेगा तो उसको बरखास्त किया जा सकेगा । विलेज़ बलाई की नियुक्ति का काम मामूली से आदमी को दे दिया ।

कोई भी आदमी जिससे नेता लोग नाराज होंगे उसको बरखास्त किया जा सकता है । दूसरा व्यक्ति जो उसकी जगह नियुक्त होगा वह अपनी नियुक्ति के साथ साथ सरकार का प्रचार करने लग गया तो यह होगा जनता के पैसे पर सरकार का प्रचार और इससे होगा कि उनको वोट मिलने लग जायेंगे । तो महज यह पद होगा सिर्फ सरकारी पक्ष का प्रचार करने के लिए, सरकारी पक्ष के लोगों को वोट दिलाने के लिए इसके अलावा उसकी कोई ड्यूटी नहीं होगी । अगर सरकार इन कामों में उसका प्रयोग नहीं करना चाहते तो लम्बरदार की जिस प्रकार ड्यूटीज़ लगाई है उसी प्रकार गांव बलई की भी ड्यूटीज़ बनाते इस कानून में ।

तीसरा कारण यह है कि सरकार ने इसमें यह भी रखा है और ज्यादा आदमियों को नियुक्त करने की आवश्यकता हुई तो और ज्यादा की भी नियुक्तियां की जा सकती हैं । विलेज़ बलाई बन गया केवल बेगार करने के लिए प्रचार करने के लिए मिनिस्टरों का स्वागत करने के लिए या उनके लिए स्वागत का सामान इकट्ठा करने के लिए । काले झंडे कोई दिखाता है तो उसको दबाने के लिए यह सब काम रहेंगे उस गांव बलाई के । तीसरा काम कि रहेगा कि यदि आवश्यकता हुई तो सरकार विशेष आदमियों को भी नियुक्त कर सकती है । इस धारा के अनुसार नियम बनायेंगे लेकिन

[श्री भैरूसिंह]

अधिकार जरूर ले लेंगे , सोच लिया चलो गांव बलाई को कुछ मदद के लिए आदमी देने चाहियें ताकि उनका प्रचार और जोरों से हो सके। तो सरकार जितने चाहे उतने व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगी।

गांवों के अन्दर आज जिस प्रकार का असन्तोष सरकार के प्रति है अगर उसको दबाना है तो उसके लिये केवल दो ही उपाय हो सकते हैं एक तो जोर से दबाये जा सकते हैं और दूसरा लालच से। जहां तक जोर से दबाने का ताल्लुक है आज वह जमाना नहीं कि किसी को जोर जबरदस्ती से दबाया जा सके। किन्तु लालच से अवश्य दबाया जा सकता है और जहां तक लालच से दबाने का तरीका है ये नियुक्तियां इसी आधार पर होंगी। जितने लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं वे करेंगे और उन नियुक्तियों का मतलब यह होगा जो लोग सरकार के प्रति असन्तोष प्रगट करते रहे हैं जो सरकार के खिलाफ प्रचार करते रहे हैं वे सारे के सारे लोग इस लालच से सरकार का समर्थन करने लग जायेंगे और लोगों को डरायेंगे- धमकायेंगे और सरकारी पक्ष के लोगों को वोट दिलवायेंगे मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आगामी चुनाव में जो उच्च अधिकारी हैं वे गांव गांव में इस प्रकार बलाई नियुक्त करेंगे जिनका गांवों में असर हो और जो उनको वोट दिला सकते हों। इस प्रकार से यह कह कर और आदमियों की भी नियुक्ति की जायगी कि सरकारी आज्ञा का पालन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है इसलिये विशेष आदमियों की नियुक्ति की आवश्यकता है। पांच आदमी और नियुक्त कर लिये जांय; इस तरह से नियुक्तियां होनी शुरू होंगी और जनता के पैसे से सरकार का प्रचार शुरू हो जायगा।

अगर हम प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के आधार पर हमारा शासन चलाना चाहते हैं, अगर हम डेमोक्रेटिक प्रिन्सीपल्स के आधार पर शासन व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था जिसका कि बहुत आसानी से दुरुपयोग हो सकता है निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज के युग में इस प्रकार बेगार प्रथा की स्थापना करना जिसके खिलाफ हमेशा से जो भाषण देते आ रहे हैं उनके द्वारा इस प्रकार की प्रथा का स्थापित होना उचित नहीं कहा जा सकता। आज जब कि एक तरफ कम्पीटीशन द्वारा लोगों की नियुक्तियां होती हैं और दूसरी तरफ मनचाहे व्यक्ति को बिना किसी परीक्षा के नियुक्त कर देंगे। ऐसी स्थिति में यह क्लॉज़ अनावश्यक है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, इस क्लॉज़ को डिलीट करने का, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष क्लॉज ४८ में मेरा एक छोटा सा संशोधन है जिसे में सदन के सामने प्रस्तुत करता हुँ किन्तु इसके पहले कि मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करूं यह आवश्यक है कि जो संशोधन मेरे से पूर्व प्रस्तुत हुए हैं उनको यदि मंजूर कर लिया जाता तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

[श्री श्यामलाल गोयल]

जो संशोधन इस क्लॉज़ को डिलीट करने के मुतल्लिक पेश हुआ है मैं उस संशोधन का विरोध करता हूं और क्लॉज़ ४८ को देखा जाय तो क्लॉज़ ४८ में इस तरह से हैं :

"In every village there shall be appointed and maintained so many and such of the following village servants as the Collector, subject to the orders of the State government, as may direct."

इस क्लाज़ का स्पष्ट मतलब यह है कि इस क्लॉज़ में जो विलेज़ सरवेन्ट्स रखे गये हैं यह जरुरी नहीं कि एक या सब अपोइन्ट किये हो जांय। यह देखने की जरूरत है कि किसी गांव में एक दो या एक से ज्यादा विलेज़ सरवेन्ट्स अपोइन्ट किये जांय या नहीं जरूरत होगी तो अपोइन्ट किये जायेंगे। इसके लिये जो माननीय सदस्यों ने ख्याल व्यक्त किये हैं कि एक चौकीदार व बलाई अपोइन्ट किया ही जायगा, ऐसी बात नहीं है। बलाई और चौकीदार की आवश्यकता होगी तो अपोइन्ट किया जायगा। इस धारा का विरोध करते हुए माननीय दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जाहिर किया कि इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, चौकीदार और बलाई के आखिर कर्तव्य क्या होंगे इसका कहीं उल्लेख नहीं है। अगर वे धारा ५३ को पढ़ते हैं तो हमको मालूम नहीं होता कि उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे। यह आयन्दा चल कर सरकार बतलायेगी। आज तो सरकार के सामने ऐसे कोई कर्तव्य नहीं जो उनको सौंपे जांय

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह बताना चाहता हूँ कि दरअसल इस एक्ट को देखा जाय तो जो धारायें हमने पास की हैं उनको देखा जाय तो यह कहा जा सकता है और इसमें दो राय नहीं हो कि बहुत सी धारायें इनकी पास हुई हैं। मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों का ध्यान धारा ४६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लंबरदारों के कुछ फर्ज बतलाये गये हैं कि वे क्या क्या कार्य करें।

लंबरदार का कर्तव्य है कि गांव में यदि किसी प्रकार एपेडेमिक बीमारी फैल जाय तो उसकी इतला तहसीलदार को दे। तो यह आवश्यक है कि उसके पास भी ऐसा जरिया होना चाहिये, ऐसा आदमी होना चाहिये जो तहसील में जाकर इतला दे, नौकर की जरुरत है। इस प्रकार जितने भी फरायज़ लंबरदार को सौंपे गये हैं उनको पूरा करना लंबरदार का कर्तव्य है तो ऐसी हालत में लंबरदार की मदद करने के लिये उसके द्वारा कही गई बात की सूचना देने के लिये एक आदमी की जरुरत है। इसके लिये यह कहा जा रहा है कि बेगार का नया महकमा इस एक्ट द्वारा खोला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बेगार का महकमा खोला नहीं जा रहा है बल्कि बंद किया जा रहा है।

आज स्थिति यह है कि जिनको हम गांव बलाई कहते हैं जिनको आज कुछ नहीं मिलता। कोई भी कार्य होता है उसके लिये पटेल लोग उनको बुलाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। वे उस कार्य को करते हैं बगैर तनख्वाह के। आज हम इस एक्ट द्वारा बेगार बन्द कर रहे हैं! बलाई बनाये जायेंगे क्लाज़ ५१ में इसलिये साफ प्रोवीज़न किया गया है, उनको इस बात की तनख्वाह

[श्री श्यामलाल गोयल]

दी जायगी। मैं नहीं समझता कि एक शख्स कोई कार्य करता है उसकी तनख्वाह दी जाती है; इस प्रकार तनख्वाह की एवज में कोई कार्य करता है तो इसको बेगार कैसे कहा जा सकता है ? अगर बेगार की परिभाषा आपके कहे अनुसार मान लें तो आज जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो तनख्वाह लेकर काम करते हैं वे सब बेगारी ठहरे। अगर यह परिभाषा मानते हैं तो बेगार शब्द की परिभाषा बहुत लम्बी-चौड़ी हो जायगी। आज जो यह स्लोगन उठाया जाता है कि यह बेगार का नया महकमा खोला जा रहा है, बिल्कुल गलत है। वास्तव में बात यह है कि बेगार के महकमें को बन्द किया जा रहा है। जो कार्य आज तक विलेज बलाई मुफ्त करता आया है अब इस एक्ट के मातहत उस बलाई को तनख्वाह मिलेगी और उसका अपोइन्टमेन्ट होगा। इस तरह से यह भी कहा गया कि अपने यहां चौकीदार गैर जरूरी है। मैं यह मानता हूँ कि आज हमारे संरक्षण का भार पुलिस पर है, यह सही है। किन्तु पुलिस तहसील हैडक्वार्टर में रह सकती है, थाने में हो सकती है पुलिस आउट पोस्ट में हो सकती है, गांव गांव में तो पुलिस नहीं हो सकती आज यदि किसी गांव में चोरी होती है जहां पुलिस नहीं है तो उस गांव को चोरियों से बचाने के लिये कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा या नहीं ? इसलिये ये विलेज चौकीदार यहां पर इसी लिये रखे गये हैं। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, कि जब जयपुर यूनिट था उस समय हर गांव में एक चौकीदार होता था जिस पर सारे गांव की जिम्मेदारी होती थी। वह गांव में किसी प्रकार की चोरी न होने दे। अगर चोरी होती तो उसके खिलाफ अदालती डिक्री होती थी। उस समय में मैं अच्छी तरह से आपसे कह सकता हूँ कि चौरियां कम होती थीं क्योंकि चौकीदार लोग जो होते थे वे इस बात का ख्याल रखते थे कि कहीं चोरी न हो जाय। अगर होगई तो हमारे खिलाफ डिक्री होगी। इस तरह से चौकीदार गांव का संरक्षण करता था। उसको चोरियों की रोक थाम और जुल्मों की रोक थाम के लिये मुकर्रर किया जाता था। इसी प्रकार बलाई की भी बात है। ये चीजें जो पहले से चली आ रही हैं आयन्दा भी चलने जैसी बात है।

मैं अर्ज करूं कि गंगापुर एक ऐसी जगह है जहां पुलिस का थाना मौजूद है, आउट पोस्ट मौजूद है वहां पर भी समय समय जब चोरियों का तांता लग जाता है तो अलग अलग मोहल्ले के आदमी अपने अपने यहां चौकीदार रखते हैं ताकि वह रात को, दिन को गश्त कर करके उनके यहां जो चोरियां होती हैं उनकी रोक थाम करे और इसका अच्छा असर पड़ता है। तो इसी सिलसिले में जब विलेज़ चौकीदार को हर ग्राम में मुकर्रर किया जाता है तो यह उचित है ताकि वहां चोरियां न हो और अगर कहीं हो जांय तो इसकी इत्तला थाने में या उपयुक्त अधिकारी को समय पर पहुंच जाय। ऐसे चोकिदारों की नियुक्ति का अगर विरोध किया जाता है तो मैं तो यही समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

इसके बारे में एक बहुत लम्बी-चौड़ी दलील दी गई कि इनसे चुनाव में काम लिया जावेगा। मैं नहीं समझ सकता कि इस कथन में क्या तथ्य है। अगर चुनाव में वहां काम लेना है तो और लोगों की वहां कमी है क्या ? पटवारी मौजूद है, नम्बरदार मौजूद है, एडिशनल नम्बरदार मौजूद

[श्री श्यामलाल गोयल]

है, और भी कई मौजूद हैं (हियर हियर की आवाज); तो चुनाव में सिर्फ इसलिये कि वे मुलाजिम हैं काम करेंगे यह मानी जाने वाली बात नहीं है और मैं समझता हूं कि यह विधान के भी खिलाफ है। अगर इनमें से कोई व्यक्ति किसी के चुनाव के लिए काम करता है तो यह करप्ट प्रेक्टिस में आ जाता है। तो यह तो वैसे भी किया नहीं जा सकता।

(हंसी)

कुं श्री जसवन्तसिंह—इससे तो करप्ट प्रेक्टिस को एन्करेजमेंट मिलेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बड़ी बड़ी करप्ट प्रेक्टिसें होती हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर तक इनको एन्करेज करते हैं।

श्री श्यामलाल गोयल—यह तो आपका खयाल हो सकता है, पर मैं तो इसे ठीक नहीं मानता।

(घन्टी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—किशनगढ़ के इलेक्शन में ऐसा हुआ है।

श्री श्यामलाल गोयल—अभी एक माननीय सदस्य ने जो जमुवा रामगढ़ से आये हैं उन्होंने जो अपने भाषण में इलस्ट्रेशन बताई थी कि साहब वहां के तहसीलदार ने उससे कहा कि वृन्दादेवी को सपोर्ट करो, अगर ऐसी बात होती, अगर मिनिस्टर वगैरह कहते तो वृन्दादेवी को सपोर्ट नहीं करते।

कुं श्री जसवन्तसिंह—सुनने में आया है कि वृन्दादेवी को सपोर्ट कई कांग्रेसी लीडर भी कर रहे थे।

श्री श्यामलाल गोयल—कम से कम मेरे ध्यान में तो ऐसी बात नहीं है। मैं तो यह कह सकता हूँ कि उन्होंने सब ने कांग्रेस के केन्डीडेट को सपोर्ट किया और वृन्दादेवी का अपोजीशन किया।

(घंटी)

तो मैं अर्ज कर रहा था कि चौकीदार की और विलेज़ बलाई की जरूरत है, उनको रखना ही चाहिये और इसके लिए जब कि क्लॉज़ ४८ में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि जहां और

[श्री श्यामलाल गोयल]

जैसी जरुरत होगी वहां वैसे ही उनको अपोइन्ट किया जावेगा उस स्थिति में मैं यह समझता हूं कि यह क्लॉज़ जैसा है वैसा ही पास होना चाहिये और जो संशोधन मेरे माननीय जोधपुर से आने वाले मित्र ने पेश किया है वह मन्जूर नहीं किया जाना चाहिये ।

पर साथ ही मैं समझता हूं कि क्लॉज़ में यह जो लाजिमी रखा गया है कि हर विलेज़ में ऐसा हो कि एक वाचमैन हो और विलेज बलाई हो तो यह ठीक नहीं है । क्योंकि वास्तविक स्थिति यह है कि बहुत छोटे छोटे विलेज अथवा ढाणियां ऐसी भी हैं कि जहां मुश्किल से पांच पांच, सात सात घर हैं और इसलिये अगर इन हरेक में विलेज़ बलाई या चौकीदार रक्खा गया तो इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा और ऐसी स्थिति में मैंने इसमें एक अमेन्डमेन्ट पेश किया है कि जिसमें एवरी विलेज के साथ ओर ए ग्रुप आफ विलेज़, को एड करने का प्रोवीज़न किया है और इसके ताबे अगर यह अमेन्डमेन्ट मन्जूर हो जाता है तो इसके मातहत एक विलेज में एक और एक से ज्यादा विलेज के लिये भी एक विलेज सर्वेन्ट मुकर्रर किया जा सकता है और यह एक प्रशासनिक तौर पर भी ठीक बात होगी । इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट को कि जो जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया है विरोध करते हुए मेरे अमेन्डमेन्ट को प्रस्तुत करता हूं और माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लिया जावे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह अमेन्डमेंट जो माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, कहां है, हमारे ध्यान में तो नहीं आया ?

श्री उपाध्यक्ष—लिस्ट नम्बर ४ में सीरियल नम्बर ११६ में देखें ।

श्री चांदमल मेहता ।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता ।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, may I say a few words now, Sir ?

माननीय उपाध्यक्षजी, जब कि मैंने पहले बोलना शुरू किया था उस वक्त मैंने यह तो साफ कर दिया था कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

(श्री हरिकृष्ण व्यास " हियर हियर")

लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो आर्गुमेन्ट्स इस क्लॉज़ को हटाने के लिए उन्होंने दिये हैं उनसे मैं इत्तफाक नहीं करता हूं ।

(श्री मोतीलाल चौधरी द्वारा "हियर हियर")

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

इनमें से एक आर्ग्युमेन्ट का जवाब मेरे से पूर्व वक्ता ने अभी दिया। पर मैं अपनी भाषा में यह कहना चाहूँगा कि चौकीदार और विलेज़ सरवेन्ट ये दो जो विलेज के लिए कम्पलसरी रक्खे गये हैं उनकी आवश्यकता हर विलेज में, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, ढाणी हो, जरूर होगी; यह तो एक ठीक बात मालूम नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक कदम और आगे जाऊंगा और मैं यह कहना पसन्द करूंगा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जो कहा कि अंग्रेजों के वक्त की यह प्रणाली थी कि उनका काम यह था कि वे ऐसी बात की निगाह रक्खें कि अलग अलग तरह के फिरके गांवों में किस किस तरह के विचार रखते हैं और उन पर एक तरह से स्पाई या सी० आई० डी० का काम वे करते थे तो यह उनका जो आरगुमेंट इन चौकीदारों को हटाने का है यह मेरी समझ में नहीं आया और जहां तक मेरा खयाल है यह दलील बिलकुल गलत है। यह चौकीदारी अंग्रेजों के वक्त से ही हमारे गांव में हो, ऐसी बात नहीं है पर यह तो हमारे यहां प्राचीन समय से चली आ रही प्रथा है। कहीं पर राज्य सरकार द्वारा अगर चौकीदार नहीं रक्खे जाते थे तो भी गांव वाले अपनी हिफाजत के लिये खुद चौकीदार रखते थे। यह जरूर है कि जहां चौकीदार रक्खे जाते थे पुलिस से उनका ताल्लुक जरूर होता था। उनकी पूरी जिम्मेदारी किसी प्रकार की चोरी गांव में न होने देने की थी और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कहीं कहीं गांव में तो यहां तक प्रणाली थी और हमारे बीकानेर की तरफ तो यह बात थी कि अगर गांव में चोरी हो जाती और चौकीदार की वहां नियुक्ति थी तो उस चोरी की जिम्मेदारी उन्हीं चौकीदारों पर पड़ती और उनको हरजाना तक देना पड़ता था। तो यह ......

श्री हंसराज आर्य—बीकानेर में ऐसा नहीं था।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं भी बीकानेर का रहने वाला हूँ। माननीय सदस्य को शायद बीकानेर का अनुभव ज्यादा हो सकता है। उनके खयाल में ऐसी बात होगी, पर बीकानेर कोई छोटा-मोटा तो है नहीं, २३ हजार स्क्वेअर माइल्स में वह है और अगर वे इस २३ हजार माइल्स के लिये कहें तो उनका मैं चैलेन्ज स्वीकार करता हूँ। मेरे भी आठ-दस गांव थे और उनमें हम चौकीदारों पर इसकी जिम्मेदारी रखते थे और अगर चोरी का पता वे नहीं लगाते थे तो हरजाना हम वसूल करवाते थे और कइयों का जुर्माना तो हमने भरवाया है। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। फेक्ट बात है।

श्री हंसराज आर्य—चौकीदारों से हरजाना वसूल करने का नियम नहीं था बीकानेर में।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मेरे गांव में दस्तूर था यह और हरजाना हमने भरवाया है। फिजूल की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। यह वाक्या है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जहां आप काम करते हैं वहां नहीं होगा।

श्री घीसीसिंह—हमारे यहां भी यह था कि चोरी होती थी तो पता नहीं लगने पर वे देते थे। पहले चौकीदार भी हमारे यहां थे। चोरी होती थी तो वे वापस देते थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन वह चोरों से हरजाना दिलाना चाहते तो न दिलायें।

डा० श्री जसवन्तसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) बहस में जाने की क्या बात है। मैं एक सिस्टम का जिक्र कर रहा हूँ। जिस इलाके में आप रहते हैं उसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ वहां यह प्रणाली थी। वह कोई खास बहस तलब बात नहीं है, लेकिन जो बहस मेरे माननीय मित्र ने की कि यह अंग्रेज साहबों का सिस्टम था वह इतनी ही अजीब है। × × ×

और अगर डेमोक्रेसी को हमें चलाना है तो विरोधी पक्ष का उतना ही कर्तव्य है; सरकार की गलतियों को प्रकट करें, और यह विरोधी पक्ष ही कर सकता है। × × ×

अब मैं अपने मूल विषय पर आता हुआ यह कहना चाहता हूँ कि यह चौकीदार का जो जिक्र इस रेवेन्यू बिल में आया है यह कुछ हमारी समझ में नहीं आया। मुमकिन हो कि हमारे माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो पुराने कहीं के एक्ट्स थे, रेवेन्यू एक्ट्स, उनसे नकल कर ली। बहस के सिलसिले में सुनने में आया कि हाल में यह कहीं पास हुआ है। मुमकिन हो उस एक्ट से नकल कर ली हो। लेकिन रेवेन्यू बिल में चौकीदार का केवल रेवेन्यू के काम के लिए क्या कर्तव्य होगा यह मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए चौकीदार का इस जगह मुझे उपयुक्त स्थान मालूम नहीं होता। और इसी प्रकार बलाई का दूसरा सवाल है। जनरल डिबेट जब हो रही थी उस डिबेट पर मैंने इस बलाई शब्द पर यह निवेदन किया था कि आज के जमाने में यह एक अमुक जाति के कार्य को बतलाता है जो कि इस वक्त उपयुक्त नहीं है। अगर ग्राम में किसी सेवक की जरूरत हो तो अब तो हमने पंचायतें स्थापित कर दी हैं अलग २ गांव में सब जगह। ऐसा कोई स्थान नहीं रहेगा जिसमें कि पंचायतें काम नहीं करेंगी। तो यह पंचायत का कार्य बन जाता है कि राजस्थान सरकार के लिए उस गांव में वह प्रबन्ध करे। तो इन सब बातों को देखते हुए न चौकीदार की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेवेन्यू बिल में चौकीदार का कोई स्थान नहीं है। चौकीदारी करने का स्थान पुलिस से सम्बन्ध रखता है। चौकीदार को कलेक्टर नियुक्त करता है, लेकिन क्लॉज़ ५३ (२) को हम देखेंगे तो जिम्मेवारी रखी है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस जो आदेश दे उनको मानना पड़ेगा। उसकी नियुक्त करने वाला ऑफिसर दूसरा है और कन्ट्रोल करने वाला दूसरा अफसर है। उसमें आपत्ति उत्पन्न होगी। लेकिन मैं इसको न लेकर सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू बिल में चौकीदार का कोई स्थान नहीं है। चौकीदार की ड्यूटी सिर्फ गांव की रखवाली करने

× × × × श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-विवरण में से हटाये गये।

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

की है। चाहे तो पंचायतें स्वतः प्रबन्ध करें या सरकार की पुलिस करे। चोकीदार को रखकर कोई काम वहां पर अच्छा होने वाला नहीं है। इसी तरह 'बलाई' शब्द भी आब्जेक्शनेबल हैं, एतराज लायक है इस वक्त। लेकिन इसका काम पंचायतों के स्थापित करने के बाद में कोई नहीं रहता है। इन सब बातों से मैं यह निवेदन करूंगा कि यह क्लाज़ ४८ डिलीट कर दिया जाय तो उपयुक्त होगा और इसके कोई मायने नहीं हैं कि कम्पलसरिली विलेज चौकीदार या विलेज बलाई रखा जायगा। तो जैसा कि मेरे पूर्ववक्ता ने निवेदन किया सदन में उसके मुताबिक तो नहीं होगा कि जहां जरूरत हो वहां रखा जाय। मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता। मेरे आवश्यकता नहीं समझने के जो कारण थे वे मैंने सदन में निवेदन कर दिये। इन शब्दों के साथ जो संशोधन जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं अपने दृष्टिकोण से समर्थन करता हूं।

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके उस हिस्से का जिसके मुताल्लिक अपोजिशन के लीडर ने इत्तफाक प्रकट किया है मैं समर्थन करता हूँ, और साथ ही माननीय राजस्व मंत्री को मुबारकबाद देता हूँ कि जो अब शनैः २ इस डेमोक्रेसी के जमाने में ब्यूरोक्रेसी से ओटोक्रेसी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं (हंसी और धन्यवाद की आवाजें) जिसके प्रमाण में पुराने जमाने में जो ओटोक्रेटिक संस्थाएं थीं विलेज सर्वेन्ट्स को जिन्हें कि ओटोक्रेट्स ने स्थापित किया था उनको सरवाइव ही नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि पुनर्जीवित करके उनको हमेशा के वास्ते अमर करने जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, इसमें विलेज वाचमेन और चौकीदार का कुछ जिक्र है क्लॉज़ ४८ की सब क्लॉज़ (१) में। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि विलेज वाचमेन और चौकीदार का जो यह फन्क्शन है, और मेरे खयाल से तो पुलिस फोर्स के फोरमेशन के जो रेग्यूलेशन्स हैं, पुलिस एक्ट, उसमें यह बातें प्रोवाइड की गई होंगी। मैं नहीं समझता कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के फन्कशन्स को इस तरह से वॉयलेट क्यों करने जा रहा है? बहुत सी बातें जो हमने पंचायतों को दे दी थीं और पंचायत एक्ट के द्वारा जो पंचायतों के जुरिस्डिक्शन में आ गईं, उनको हम रेवेन्यू के इस कानून के द्वारा वॉयलेट करने जा रहे हैं, और अब पुलिस के फन्क्शन्स में भी इस तरह से हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आया कि जो काम पुलिस करती है, जो काम पुलिस के जिम्मे है उसको भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि विलेज वाचमेन के नाम से कांग्रेस के पिट्ठू मुकर्रर कर दिये जायेंगे, जो उन संस्थाओं का प्रचार तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही में लो पेड होंगे; उससे अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि रेम्युनरेशन के ऊपर जैसा कि टेनेन्सी एक्ट में प्रोवाइड किया गया था उसी लाइन पर इस एक्ट के मातहत नियम बना सकते हैं और उसमें उनके एम्प्लॉयमेंट के तरीके बना दिये जायेंगे, उनको बहुत कम तनख्वाह दी जायगी। क्या तनख्वाह होगी इसके बारे में जिक्र नहीं है। वे नेचुरली बहुत बहुत लो पेड होंगे और करप्ट तरीकों से अपनी उदरपूर्ति करेंगे। विलेज वाचमेन यह करेगा कि वह फसल के आने पर अनाज लेगा और जो व्यक्ति अनाज नहीं देगा तो उसके घर

[रावत श्री शंभूसिंह]

के अन्दर चोरी होगी और चोरी से मुक्ति पाने के लिये उसको साल में एक-दो मर्तबा अनाज देना पड़ेगा। अगर मन्जूर नहीं करेगा तो चोरी होने पर उसकी चोरी नहीं मिलेगी। इस तरह से लो पेड सर्वेन्ट्स को गांव पर थोपकर हम एक बला पैदा कर रहे हैं।

इसके अलावा हमारे कॉस्टीट्यूशन के मुताबिक भी इस तरह से किसी व्यक्ति को लो पेमेंट (Low Payment) पर रखना, लो कास्ट लेबर की दफा में आ जाता है तो वह हमारे विधान के बिल्कुल विपरीत है। लो कोस्ट लेबर की प्रथा फिर क्यों चालू करने जा रहे हैं ?

इसके बाद सब क्लॉज (२) में विलेज बलाई का जिक्र आ जाता है। विलेज बलाई का क्या काम होगा, यह इसमें नहीं बताया गया है। यह लिखा है कि रूल्स में प्रेस्क्राइब कर दिया जायगा। तो, माननीय उपाध्यक्ष, बहुत से ऐसे जिले राजस्थान में हैं जहां कि बलाई होते ही नहीं है, बलाई जाति नहीं होती वहां पर फिर यह दूसरे इलाकों से बलाई पहुंचाये जावेंगे या फिर यदि वहां पर कोई बलाई नहीं है तो बलाई जाति का नया निर्माण करना पड़ेगा। ऐसी हालत में एक ओर तो हम कास्ट-लेस सोसाइटी बनाने का दावा करते हैं और दूसरी ओर हम गांवों में बलाई मुकर्रर करना चाहते हैं। बलाई की ड्यूटीज़ हम क्यों एन्ट्रस्ट करें, यह मैं नहीं समझ सका। यह विलेज सर्वेन्ट क्या काम करेगा ? मेरे ख्याल से यह वही काम करेगा जो लम्बरदार या पटवारी नहीं करना चाहता है। जब तहसीलदार आयेंगे तो उनके घोड़े के लिये घास लाने की जरूरत पड़ेगी तो यह लायगा, या कभी गांव के आदमियों को इकट्ठा करना होगा तो आवाज देकर इकट्ठा करेगा। उसको यदि लम्बरदार का ऑर्डर होगा कि फलां किसान के खेत में जाकर इतना घास काटकर ले आवो और किसान उसको घास नहीं काटने देगा तो इसमें लम्बरदार के ऑर्डर की तामील नहीं हुई है तो २० रुपये तक का जुर्माना तहसीलदार को कहकर करवा देगा। इस डर से किसान के घर से जबर्दस्ती कोई भी चीज यह सर्वेन्ट ले आयगा और लम्बरदार का हुक्म चलता रहेगा। इसलिये यह बलाई और दूसरे विलेज सर्वेन्ट्स निरर्थक ही हैं। क्यों नहीं लम्बरदार ही सारे काम कर देता जो तहसीलदार की अहसायस के लिये जरूरी हैं। मेरे ख्याल से और कोई भी काम इन सर्वेन्ट्स से नहीं लिया जाने वाला है। इसके अलावा पूरे गांव की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं, ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार के जो सर्वेन्ट्स हैं वे बहुत ही लो पेड होंगे और गांव के ऊपर बर्डन बन जायेंगे। इस वास्ते मैं राजस्व मंत्रीजी से अपील करूंगा कि वे जोधपुर से आने वाले सदस्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री मानसिंह महार-उपाध्यक्ष महोदय, यदि आज समय नहीं है तो नेक्स्ट टाइम बोलने के लिये आज्ञा दे दीजिये।

श्री जसवन्तसिंह-The time is up.

श्री मानसिंह महार-माननीय उपाध्यक्ष जी,...

श्री उपाध्यक्ष—(श्री महार से) आप कितनी देर बोलेंगे ? आपको कितना समय लगेगा ?

श्री मानसिंह महार—कम से कम १० मिनिट तो लग ही जायेंगे। यदि आज समय नहीं देते हैं तो कल सब से पहले मुझे बोलने की इजाजत मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—क्योंकि आज समय हो गया है इसलिये सदन की कार्यवाही कल दिनांक १३-१०-१९५५ के ८-३० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही १२-३४ मध्यान्ह में, दिनांक १३ अक्टूबर, १९५५ के प्रातः ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१२ अक्टूबर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

३३५ (६२। ए. टी. एम.) श्री तेजपाल एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १५२ :— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार को पता है कि बंध खनूसा में जो गटर लगाये गये हैं वे उचित जगह पर न लगाने के कारण टूट गये हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि ये गटर पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर लगाये गये थे और टूट गये थे ?

(ग) यदि हां, तो क्या किसी की लापरवाही या अयोग्यता इसका कारण है ?

उत्तर

(क) (ख) (ग) खनूसा बंध किस जिले या तहसील में स्थित है इसकी पूर्ण जानकारी दिये बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

प्रश्न

३४३ (६०/एच एम) श्री धरमचन्द एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ३६ :— क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) करौली सब-डिविजन में सन् ५३-५४ में पुलिस स्टेशनस् पर कहां २ कितने केसेज़ दर्ज हुये ?

(ख) उनमें से कितनों का अदालत में चालान किया गया और कितनों का नहीं ?

(ग) जिन मुकदमों का चालान किया गया उनमें से कितनों में पुलिस ने कामयाबी हासिल की व कितने खारिज हुये ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

354 (79/H. M.) Shri R. Shambhusingn M. L. A. (Division No. 139):- Will the Home Minister be pleased to state:—

(a) What are the academic qualifications of Shri Pant, Dy. S. P., C.I.D. at present posted at Jaipur ?

(b) What were the academic qualifications stated by him at the time of his fixation ?

(c) Has the aforesaid officer. inspite of being repeatedly asked to produce his qualifications certificates, not produced any certificate as yet ?

(d) If so, what action has been taken against the officer concerned and why has he been recently promoted as D. S. P.

उत्तर

(१) श्री पन्त की योग्यता सर्विस बुक के अनुसार यह है :
मैट्रिक : यू० पी० से : १९३० में।

बी. कॉम. (यु. एस. ए.) कोरेस्पोन्डेन्स कोर्स, सन् १९४५ में

(२) उत्तर १ के अनुसार।

(३) जी हां। श्री पन्त से दो बार अपनी योग्यता के सर्टिफिकेट्स पेश करने को कहा गया किन्तु उन्होंने यह अभी तक पेश नहीं किये है क्योंकि असल खो गये हैं और डुप्लीकेट कॉपी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं।

(४) ऊपर बताई हुई डुप्लीकेट कॉपीज़ की प्रतीक्षा है। इनके पेश नहीं होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी। यह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट का काम कर रहे थे। इनका नाम पी० एस० सी० द्वारा अप्रूव्ड लिस्ट में था किन्तु एक टेक्निकल पोइन्ट पर डिग्रेड कर दिये गये थे। इस पर लीगल ओपीनियन ली जाकर उनको वापस डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिया गया।

प्रश्न

३६१ (७०। पी. डबल्यू. एम.) श्री गुरुदयालसिंह संधु, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ४९ :—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

पंचायत चक ३९ बी० बी० व पचायत ६ डी० डी०, पंचायत ७ डी० डी० के चुनाव अभी तक न कराये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

पंचायत चक ३६ बी. बी, में पहले गजसिंह पुरा जो एक नगरपालिका है त्रुटिवश सम्मिलित कर दिया था। अब त्रुटि को ठीक करने के बाद गजसिंहपुरा निकल जाने के बाद शेष २ गांवों की जन संख्या केवल ३३० रह गई जो इतनी न्यून है कि इतनी थोड़ी जन संख्या के लिये पंचायत कायम करना उपयुक्त नहीं है। इसलिये इसका चुनाव नहीं किया गया। क्लॉज़ ८६ पंचायत एक्ट के अन्तर्गत वहां के निवासियों की राय जानकर ये गांव किसी समीपवर्ती पंचायत में मिलाने हैं जिसकी कार्यवाही की जा रही है।

६ डी. डी. कोई पृथक पंचायत नहीं है। ७ डी. डी. पंचायत के अन्तर्गत यह एक गांव है। इस पंचायत का चुनाव ६ मास पहले हो चुका है। केवल ग्राम ६ डी. डी. के लिये १ पंच चुनना है जिसकी कार्यवाही जारी है, शीघ्र ही हो जायेगा।

परिशिष्ट २

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

(१) (८२ एच० एम०) रावत श्री शम्भूसिंह (१३६) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) भीलवाड़ा जिले की सहाड़ो और रायपुर तहसीलों में सन् १९५२ से अब तक कहां-कहां और कब २ डकेतियां हुईं; प्रत्येक स्थान पर कितनी हानि हुई? कहां कहां के कितने कितने मुल्जिमान् गिरफ्तार हुए और उन्हें सजा हुई? माल बरामद होकर पीछा सुपुर्द किस २ को हुआ और कितना बाकी है? कितने मुल्जिम अभी तक नहीं पकड़े जा सके हैं?

(ख) क्या किसी स्थान से डाकू मोटर लेकर भी भागे थे? यदि हां, तो वह किसकी थी?

(ग) सरकार उपरोक्त डकेतियों के अपराधियों को जो अब तक नहीं पकड़े जा सके हैं, पकड़ने और माल बरामद करने का क्या आश्वासन दिलाती है?

उत्तर

(a) Statement giving the required information is appended for being placed on the table of the house.

(b) No Sir.

(c) The dacoits escaped in a motor vehicle belonging to Daduwala Company, Bhilwara.

(d) All possible efforts are being made for the arrests of the ramaining dacoits and the recovery of the remaining stolen property.

STATEMENT REGARDING DACOITIES IN TEHSILS RAIPUR AND SHARAN FROM 1952 TO 30-9-55-DISTT. BHILWARA.

S. No.	Place of occurrence & Date of occurrence.	No. of accused persons. Involved	Arrested	Challaned	Convicted	Discharged/acqt.	Pending trial	Amount of property Looted	Amount of property recovered	Name of persons to whom the property was given back	Amount of property which is still lying unrecovered	Were these incidents due to slackness of local police.	Did the dacoits retreat in a motor vehicle after commission	If so what place	To whom the vehicle belonged.	What assurance the Govt. give for the arrest of remaining accused and recovery of remaining property.	Remarks.	
1.	2/3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
1.	Kirimal P.S. Raipur. 5-5-52	10	9	10	4	5	—	Year 1952 3087/8	2454/8	Final order has not been given by the Spl. Court Udaipur for its return as one dacoit is still absconding.	633/-	no.	-	-	-	Action against one absconding dacoit has already been taken u/s 512 Cr. P. C. Unrecovered property has already been spent by the dacoit, hence it cannot be recovered.		

1.	2/3.	4	5	6.	7.	8	9.	10	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2.	Khatan Kheri PS Gangapur 20-11-52	6 —	—	—	—	305/4/3		--		--	305/4/3	- - -	Uutraced. Efforts are being made to trace out the offender				
3.	Chilesar P S Raipur 5-12-52.	5 3	3 1	2	—	6892/—	721/	--		1. Bhika Teli. Rs. 143/-- 2, Sukh lal Mahajan Rs. 558/-	6I71/--	No. - - -	Action against 2 accused u/s 512 Cr. P. C. has already been taken. the remaining amount has been spnt by the dacoits; hence the same cannot be recovered.				
4.	Sargaon PS Gangapur 25-12-52/6	4 4	3 1	-		15280/12	2157/12/-			1, Kanak mal 2. Ramnath 3. Ramsukh 4. Kesuram 5. Surat ram 6. Bherulal 7. Hiralal 8. Kaluram 9. Nanu 10 Mst. Rukmani 11 Mst. Badam.	13123/-	No - - -	Action has already been taken against the absconding dacoits u/s 512 Cr. P. C. The ramining amount has been spent by the dacoits hence it cannot be recovered.				

1.	2/3.	4.	5. 6. 7. 8. 9.	10	11. 12. 13. 14.	15. 16. 17. 18. 19.
					Year 1953	
5.	Kasabu P S Raipur	13-2-53	6 6 6 6 - -	2744/13 2573/8	1. Mst. Badam 171/5 No. - - - 2. " Silu 3. " Bhikhi 4. " Hanja 5. Ambalal	The dacoits have spent the remaining unrecovered amount, hence it cannot be recovered.
6.	Nahari PS Raipur	23-9-53	7 5 5 1 4 -	10280/11 2603/2	No final orders for it's return have been issued by the Spl. court Udaipur as the accused are absconding in this case. 7677/9 No - - -	Action against the absconding accused u/s 512 Cr. P.C. has already taken. Efforts are being made to arrest them. The unrecovered property has been disposed of by the accused persons.
				Year 1954		
7.	Urali PS Gangapur	3-1-54	9 2 2 1 1 -	8531/12-80/-	1 Year 1. Haralal 8+51/12 No - - - 2. Modsingh.	One accused has been acquitted by the court of Munsiff Magistrate for want of proof, case of seven persons who were absconding against whom challan u/s 512 Cr. P.C. was put up in the court, was filed. Unrecovered proptery has been disposed of by the accused.

1.	2/3.	4.	5- 6. 7. 8. 9.	10. 11. 12. 13.	14. 15. 16. 17. 18.	19.
8. Borana P. S. Raipur.		27-8-54	10 - - - - -	75/8/- - -	No - - -	Untraced (Technical) efforts are being made to arrest the accused and as well to recover the property.
9. Amli , P.S. Ganga-pur.		25/10/54	5 - - - - -	9043/ - - - 9043/-	No Yes. Mica Duduwala Mica Co. Amli Bhilwara. to village Mataji Kakhera nearly 2 miles.	Pending investigation. This dacoity was committed by the dacoit Bheru Singh gunner with his gang. Efforts are being made to arrest the dacoits.
				Year 1955 (upto Sept. 1955).		
10 Jalira P.S. Raipur.		23-5-55	7 2 2 - - 2	6490/- 1127/- - 5363/-	No - - -	Challan u/s 512 Cr. P.C. against 4 accused has been put up in the court of Munsiff Mag-istrate Gangapur. On 13-9-55 one dacoit Moolia has been shot dead in an encounter with Police on 12-4-55. Necessary steps are being taken to arrest the accused as well as to recover the property.

1.	2/3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
11	Tal P.S. Raipur.	9-4-55	6	2	2	-	-	2	11081/-	1345/8/-	-	9735/8/-	No.				Challan u/s 512 Cr. P.C. against three accused has been put up in the court of Munsiff Magistrate Gangapur on 26-9-55. Necessary efforts are being made to arrest the accused as wall as to recover the property. One dacoit Moolia has been shot dead in an encounter with Police on 12-4-55.

Page No.120

प्रश्न

(२) (४३ पी. डब्लू. एम.) श्री नारायण चतुर्वेदी (१८६) : क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देनें की कृपा करेंगे :—

(क) आगामी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी मील लम्बी सड़कें बनाने का निश्चय है ?

(ख) तहसीलवार इन सड़कों का विवरण किस प्रकार हैं ?

उत्तर

क. आगामी पंचवर्षीय योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है इसलिये अभी इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

ख. उपर्युक्त उत्तर से प्रश्न हीं नहीं उठता ।

प्रश्न

(३) (६ एच० एम०) श्री चांदमल मेहता (८७)—क्या विधि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: –

क. राजस्थान के निर्माण के बाद कितने मुन्सिफ न्यायालय भंग करने के आदेश राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये ?

ख. उक्त मुंसिफ न्यायालय कहां २ स्थापित थे ?

ग. ऐसे कौन २ स्थान है जहां मुन्सिफ न्यायालय भंग करके मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट के सम्मिलित न्यायालय बना दिये गये हैं ?

घ. ऐसे कौन २ स्थान हैं जहां के मुन्सिफ न्यायालय भंग करने के आदेश वापिस ले लिये गये हैं ?

ङ. किशनगढ़ के मुन्सिफ न्यायालय को भंग करने से जनता की बढ़ी हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(क) राजस्थान में सिविल व सेशेन्स कोर्ट्स का जुडीशियल सैट-अप जुलाई, सन् १६५० से लागू हुआ (इस सैट अप में ८४ मुन्सिफ न्यायालय रखे गये) उनमें से अब तक कुल ३० मुन्सिफ न्यायालय भंग किये गये हैं। सूची संलग्न है।

(ख) ऐसे कोई स्थान नहीं हैं जहां पहले मुन्सिफ न्यायालय हों और बाद में उनको भंग करके सम्मिलित मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किये गये हों। अलबत्ता कुछ जगह मुन्सिफों को मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं जिनके नाम निम्न लिखित हैं:-

(१) कानोड, (२) मावली, (३) सवाई माधोपुर, (४) भवानी मण्डी, (५) मालपुरा, (६) हिण्डोन, (७) गंगापुर, (८) नाथद्वारा, (६) छोटी सादड़ी, (१०) कुशलगढ़, (११) गंगापुर (भीलवाड़ा) (१२) सिरोंज (१३) सादूलगढ, (१४) सागवाड़ा, (१५) अकलेरा (१६) शाहपुरा (जयपुर) (१७) निम्बाहेड़ा, (१८) बांसवाडा, (१६) बयाना, (२०) डीग, (२१) लछमन गढ़ ।

इनमें से शाहपुरा, बयाना और डीग में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के सम्मिलित न्यायालय नये कायम किये गये।

निम्न लिखित तीन स्थानों के मुन्सिफ न्यायालयों को भंग करने के आदेश जारी कर दिये गये थे परन्तु भंग करने के आदेश कार्यरूप में परिणित होने से पूर्व ही उनको जारी रखने के आदेश जारी कर दिये गये, ये :

(१) कपासन, (२) बूंदी और (३) बांसवाडा ।

(घ) किशनगढ़ की मुन्सिफी को भंग करने से कोई खास असुविधा जनता को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुन्सिफ के न्यायालय में दायर होने वाले मुकदमें अब सिविल जज के न्यायालय में ही दायर हो सकते हैं।

अलबत्ता मुन्सिफ के फैसलों की अपील जो अब तक सिविल जज के न्यायालय किशनगढ़ में ही होते थे इस परिवर्तन से जयपुर में होने लगे हैं। किन्तु परिस्थिति सिविल और एडीशनल सैशन्स जज की अदालत में काम कम होने में ऐसी बन गई कि और कोई दूसरी सूरत नहीं हो सकी।

राजस्थान निर्माण के पश्चात् (अप्रेल, ४६) जो मुन्सिफों के न्यायालय बन्द किये गये उनकी सूची

सं०	न्यायालय का नाम	सं०	न्यायालय का नाम
१	मुन्सिफ, सुल्तानपुर	१६	,, नागौर
२	,, बाप	१७	,, रामगंजमंडी
३	,, इटावा	१८	,, मंगरोल
४	,, सांगोद	१६	,, छीपा बड़ोद
५	,, अटरू	२०	,, नैनवा
६	,, सलामपुर	२१	,, खानपुर
७	,, खेतड़ी	२२	,, बनेड़ा
८	,, झुन्झुनू	२३	,, माण्डलगढ़
६	,, जैसलमेर	२४	,, बारी
१०	,, डूंगरपुर	२५	,, झालरा पाटण
११	,, चूरू	२६	,, बालोतरा
१२	,, टोंक	२७	,, चित्तोडगढ़
१३	,, किशनगढ़	२८	,, भरतपुर (डीग व बयाना के लिये)
१४	,, नीम का थाना	२६	एडीशनल मुन्सिफ, सोजत
१५	,, भीलवाडा	३०	एडीशनल मुन्सिफ, जयपुर